

# वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

## सातवां अंक



भारतीय रिज़र्व बैंक  
जून 2013

© भारतीय रिज़र्व बैंक

सर्वाधिकार सुरक्षित। सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है, बशर्ते कि स्रोत का उल्लेख किया जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से <http://www.rbi.org.in> पर भी देखा जा सकता है।

इस रिपोर्ट का फीडबैक [fsu@rbi.org.in](mailto:fsu@rbi.org.in) पर दिया जा सकता है।

## प्रस्तावना

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का यह अंक, जो श्रृंखला में सातवां है, संयोगवश लेहमेन ब्रदर्स के ढह जाने की पांचवी वर्षगांठ के साथ जारी किया जा रहा है, जिसके कारण हमारे समय का सबसे बड़ा वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ। बाद में, यूरो क्षेत्र के सरकारी ऋण संकट ने आग में घी डालने का काम किया। सरकारों, केंद्रीय बैंकों, विनियामकों तथा बहुविध संस्थाओं द्वारा समन्वित कार्रवाई से इस आग को बुझाने में सहायता मिली, लेकिन चिंगारियां अभी भी जल रही हैं।

यह वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर लगातार अनिश्चितता के परिवेश में तथा देशी स्तर पर आत्मसंदेह के माहौल में तैयार की गई है। वृद्धि में मंदी होना सबसे अधिक चिंता का कारण है, क्योंकि औद्योगिक गतिविधि लगातार मंद बनी हुई है और सेवाएं प्रवृत्ति से कम हैं। लेकिन राजकोषीय स्थिति में सुधार लाने के लिए किए गए नीतिगत उपायों ने कुछ आश्वासन दिया है और भारत के लिए संभावनाओं के अपने आकलन में अंतरराष्ट्रीय निवेशकों ने इस बात को ध्यान में रखा है। आपूर्ति संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए किए गए उपायों के परिणामस्वरूप, 2013-14 के लिए वृद्धि की संभावना कुल मिलाकर आशाजनक है, जिसका प्रमाण अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक के पूर्वानुमानों और खुद रिजर्व बैंक के अनुमानों में मिलता है। पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (दिसंबर 2012) के बाद से बैंकों की आस्ति-गुणवत्ता में मामूली सा सुधार दिखलाई दिया है, लेकिन अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि क्या यह एक प्रकार से प्रवृत्ति है।

यह वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अन्य बातों के साथ-साथ बढ़ते चालू खाता घाटे के कारण स्थूल आर्थिक स्थिरता के प्रति जोखिम को उजागर करती है। विदेशों से अस्थिर पूंजी प्रवाहों ने भारत के लिए आकस्मिक रूप से प्रवाह रूक जाने और प्रवृत्ति में बदलाव का जोखिम उत्पन्न कर दिया है, जैसा कि फेडरल रिजर्व द्वारा मात्रात्मक सहजता को छोड़ देने के तनिक से इशारे के बाद हाल ही में देखने में आया है। चालू खाता घाटे को कुछ ग्राह्य स्तर तक नियंत्रित रखने के उद्देश्य से सरकार और रिजर्व बैंक दोनों ने सोने के आयात को कम करने के उपाय किए थे। अल्पावधि में, हमारे प्रयास चालू खाता घाटे के वित्तीयन पर केंद्रित रहे हैं, क्योंकि उससे अर्थव्यवस्था के सम्मुख बहुत देर से चली आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए संरचनात्मक सुधार लागू करने के लिए स्थान और समय मिल जाएगा। हालांकि दबाव परीक्षण दिखलाते हैं कि वर्तमान में वित्तीय प्रणाली आघातों को सहन करने की क्षमता रखती है, लेकिन कम होती स्थूल आर्थिक स्थिरता अंततः वित्तीय स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकती है।

यह धारणा बनी हुई है कि भारत में कारोबार करना बहुत ही कठिन है और यह निवेश में बाधा डाल रही है, विशेषकर विदेशी निवेश में। हमें इस बात पर आत्मचिंतन करना होगा कि हम आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक (111/144)<sup>1</sup> या वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक (59/144)<sup>2</sup> जैसे सूचकांकों में इतने नीचे क्यों हैं और इनमें कम क्यों रहते हैं।

यह वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जी 20 संकट के बाद भारत में वित्तीय स्थिरता में सुधार जैसे कि बाजल III, विनियामक फ्रेमवर्क, ओटीसी डेरिवेटिव, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के पर्यवेक्षण, शेडो बैंकिंग पर निगरानी, लीगल एन्टिटाइ आइडेंटिफायर (एलईआइ) तथा इन जैसे क्षेत्रों में कार्यान्वयन में हुई प्रगति का जायजा भी लेती है। समस्याओं के स्वरूप और पुनरुत्थान की गति में विभिन्न क्षेत्राधिकारों के बीच अंतर है और उनकी नीतिगत प्रतिक्रियाओं में भी। विदेशी मुद्रों और कुछ राष्ट्रीय कानूनों के विदेश से बाहर निहितार्थों के रूप में सुधारों के कार्यान्वयन की प्रगति में बाधाओं पर भी चर्चा की गई है।

संकट से पहले के सालों में, इस बढ़ते विश्वास के चलते कि मात्र वित्तीय इंजिनअरिंग से वास्तविक वृद्धि प्राप्त की जा सकती है, वित्तीय क्षेत्र को स्वयं का एक जीवन मिला। यह मिथक अब खत्म हो चुका है। अब हम जानते हैं कि वित्तीय क्षेत्र का अपना कोई महत्व नहीं है; यह केवल इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि यह वास्तविक क्षेत्र की वृद्धि में सहायता करता है। यही वह समझदारी है, जिसे वित्तीय क्षेत्र सुधारों में चल रहे वैश्विक प्रयास का मार्गदर्शन करना होगा; यही वह समझदारी है, जिससे रिजर्व बैंक की नीतियों और कार्रवाइयों को दिशा मिलेगी।

**डॉ. डी. सुब्बाराव**

27 जून, 2013

<sup>1</sup> फ्रेजर इंस्टिट्यूट - कैनडा ([www.freetheworld.com](http://www.freetheworld.com))

<sup>2</sup> वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम: द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2012-13



## विषय-वस्तु

	पृष्ठ सं.
<b>प्रस्तावना</b>	
<b>चयनित संक्षेपाक्षरों की सूची</b>	<b>i-iii</b>
<b>विहगावलोकन</b>	<b>1</b>
<b>अध्याय I : मैक्रो-वित्तीय जोखिम</b>	<b>4</b>
वैश्विक	
संवृद्धि	4
अपारंपरिक मौद्रिक नीतियों का समापन	5
राष्ट्रीय स्थिति	7
संवृद्धि	8
चालू खाता घाटा (सीएडी) और बाह्य क्षेत्रगत संवेदनशीलता	8
राजकोषीय समेकन	10
सरकारी उधार कार्यक्रम - प्रतिफल पर असर	10
इक्विटी बाजार	11
अर्थव्यवस्था में बचत	14
गृह निर्माण बाजार	14
चलनिधि : बैंकिंग तथा प्रणालीगत	15
कॉरपोरेट प्रदर्शन	16
<b>अध्याय II : वित्तीय संस्थाएं- सुदृढ़ता एवं आघात-सहने की क्षमता</b>	<b>18</b>
जोखिमों का मूल्यांकन - बैंकिंग क्षेत्र	18
विपत्तिकालीन निर्भरताएं तथा परस्पर संबद्धता	19
बैंकिंग स्थिरता उपाय (बीएसएम)- विपत्तिकालीन निर्भरता विश्लेषण	19
नेटवर्क विश्लेषण	20
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी)	23
अनुसूचित शहरी को-ऑपरेटिव बैंक	40
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)	41
बीमा	42
पेंशन निधि	44
<b>अध्याय III : वित्तीय क्षेत्र विनियमन एवं आधारभूत संरचना</b>	<b>46</b>
वैश्विक विनियामक सुधार का कार्यान्वयन	46
बासेल - III	47
ओवर द काउंटर डिस्क्रिटेन्स	51
विधिक संस्था पहचान प्रणालीप्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं	54
छाया बैंकिंग	56
बाजार संचालन तथा उपभोक्ता संरक्षण	59
बदलते हुए व्यापारिक वातावरण में तकनीकी जोखिम	61
वित्तीय बाजार बुनियादी सुविधा	63
<b>अनुलग्नक -1: प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण</b>	<b>66</b>
<b>अनुलग्नक -2: कार्य-प्रणालियां</b>	<b>69</b>

**बाक्सों की सूची**

1.1	अपारंपरिक मौद्रिक नीतियों में निहित जोखिम	6
1.2	भारत में कंपनी बॉण्ड बाजार: वर्तमान की कुछ समस्याएं	12
2.1	हानियों का प्राक्कलन	28
3.1	विनियमन, नवोन्मेष और विनियामक डायलेक्टिक्स	47
3.2	एलसीआर-दिशा-निर्देशों में घोषित प्रमुख परिवर्तन	49
3.3	सिफि रूप-रेखा की डीसिब तक पहुंच	55
3.4	आभासी मुद्रा स्कीम	62

**चार्ट की सूची**

1.1	जीडीपी वृद्धि और अनुमान	4
1.2	समष्टि और वित्तीय बाजारों की स्थिरता - आरेख	7
1.3	बीआरआईसी (ब्रिक्स) देशों के हेतु संवृद्धि पूर्वानुमान	8
1.4	भारत के चालू खाता घाटे के वित्तपोषण के स्रोत	8
1.5	भारत के सोने का आयात	10
1.6	चालू खाता शेष और विनिमय दर संचलन	10
1.7	भारत सरकार का उधार कार्यक्रम - प्रतिदान	11
1.8	जीडीपी की तुलना में कर्ज अनुपात	11
1.9	बीएसई आईपीओ सूचकांक बीएसई सेंसेक्स और एनइसई निफ्टी	11
1.10	कॉर्पोरेट बांड द्वारा स्रोतों को जुटाना	12
1.11	भारतीय अर्थव्यवस्था में बचत	14
1.12	भारत: गृह मूल्य संकेतक	14
1.13	गृह निर्माण क्षेत्र को दिए जाने वाले बैंक ऋण में वृद्धि	14
1.14	नॉन फूड क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में गृह निर्माण क्षेत्र ऋण का शेयर	15
1.15	प्रणालीगत चलनिधि सूचक	16
1.16	विदेशों में भारतीय कॉर्पोरेट द्वारा जारी बॉन्ड	17
2.1	बैंकिंग स्थिरता संकेतक तथा मैप	18
2.2	जेपीओडी तथा बीएसआई में उतार-चढ़ाव	19
2.3	विशिष्ट बैंकों के बीच विपत्ति	20
2.4	अंतरबैंक बाजार में उधार देना	20
2.5	अंतरबैंक बाजार में उधार लेना	21
2.6	अंतरबैंक मांग मुद्रा बाजार का नेटवर्क	21

	पृष्ठ सं.
2.7 अंतरबैंक जमा प्रमाणपत्र बाजार का नेटवर्क	21
2.8 वित्तीय प्रणाली का नेटवर्क	22
2.9 वित्तीय प्रणाली में चलनिधि संक्रमण	23
2.10 ऋण तथा जमा संवृद्धि : साल-दर-साल आधार पर	23
2.11 ऋण तथा जमा के मौसमी कारक	24
2.12 ऋण तथा जमा में मौसमीयापन	24
2.13 ऋण-आबंटन- चुनिंदा क्षेत्र	25
2.14 वर्ष-दर-वर्ष ऋण वृद्धि- चुनिंदा क्षेत्र	25
2.15 पूँजी पर्याप्तता	26
2.16 एससीबी का लीवरेज अनुपात	26
2.17 बैंक-वार लीवरेज और उनकी आस्तियों का जोखिम	27
2.18 आस्ति-गुणवत्ता संकेतक	29
2.19 आस्ति-गुणवत्ता - मौसमी कारक	30
2.20 कुल ऋणों की तुलना में पुनर्गठित मानक ऋणों का अनुपात	30
2.21 दबावग्रस्त ऋण- क्षेत्र-वार	31
2.22 कुल परिचालन आय: बैंक समूहवार	32
2.23 बीमा कंपनियों के कमीशन से एससीबी को होने वाले आय	33
2.24 एससीबी के ओओआइ तथा एनआइआइ में बैंक समूहों का योगदान	33
2.25 चुनिंदा देशों के एनआइएम	33
2.26 प्रणाली स्तरीय जीएनपीए का प्रक्षेपण	34
2.27 प्रणाली स्तरीय सीआरएआर का प्रक्षेपण	34
2.28 बैंक समूहवार जीएनपीए और सीआरएआर का प्रक्षेपण	35
2.29 टॉप डाउन दबाव परीक्षण- ऋण जोखिम	36
2.30 आधार तल (बॉटम अप) दबाव परीक्षण- ऋण एवं बाजार जोखिम	37
2.31 आधार तल (बॉटम अप) दबाव परीक्षण - चलनिधि जोखिम	38
2.32 कुल डेरिवेटिव के कल्पित मूलधन में रूझान	38
2.33 एससीबी के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो	38
2.34 डेरिवेटिव के लेन देन में अंतर बैंक खंड का शेयर	39
2.35 डेरिवेटिव पोर्टफोलियो की ऋण समतुल्यता	39
2.36 कुल डेरिवेटिव का बाजार सापेक्ष मूल्य	39
2.37 दबाव परीक्षण - चुनिंदा बैंकों के डेरिवेटिव पर पड़ने वाले आघात का प्रभाव	39

	<b>पृष्ठ सं.</b>
2.38 एसयूसीबी - पूंजी की स्थिति पर आघातों के प्रभाव	40
2.39 एसयूसीबी - चलनिधि आघातों के प्रभाव	40
2.40 जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात का रूझान	41
2.41 सकल एनपीए अनुपात का रूझान	41
2.42 आस्तियों पर प्रतिफल का रूझान	41
2.43 रियल एस्टेट क्षेत्र को दिए गए ऋणों का रूझान	42
2.44 पूंजी बाजार के एक्सपोजर का रूझान	42
2.45 नया कारोबार प्रिमियम	43
2.46 नया कारोबार प्रिमियम का संघटन	44
3.1 आरडब्ल्यूए घनत्व	48
3.2 एनबीएफसी का लोक जमा	56
3.3 कंपनियों की संख्या- एनबीएफसी - डी एवं एनबीएफसी - एनडी-एसआइ	57
3.4 कुल आस्तियां - एनबीएफसी-डी एवं एनबीएफसी - एनडी-एसआइ	57

### **सारणियों की सूची**

1.1 बाह्य क्षेत्र संवेदनशीलता संकेतक	9
1.2 इक्विटी बाजार में स्रोतों को जुटाना : पब्लिक और राईट्स इश्युज	12
1.3 कॉरपोरेट क्षेत्र का प्रदर्शन	16
2.1 पांच बड़े उधारकर्ता बैंकों में से एक के विपत्तिग्रस्त हो जाने के कारण संक्रमण	22
2.2 किसी एक बड़े उधारदाता/ निवेशकर्ता के विपत्तिग्रस्त हो जाने से वित्तीय प्रणाली में चलनिधि संक्रमण	22
2.3 एससीबी की अनुमानित हानियाँ	27
2.4 एससीबी की लाभप्रदता	32
2.5 एससीबी के आय घटक-चयनित अनुपात	32
2.6 मैक्रोइकोनोमिक परिदृश्य कल्पना	34
2.7 प्रक्षेपित क्षेत्रवार एनपीए	35
2.8 एसयूसीबी के चुनिंदा वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक	40
2.9 नई पेंशन प्रणाली में विकास	44
2.10 पेंशन निधि पर भारित औसत प्रतिलाभ	45
3.1 बासेल III के अधीन भारतीय बैंकों की पूंजी अपेक्षाएं	50
3.2 एनएससीसीएल और आईसीसीएल के अनुसार शीर्ष पांच बैंक का एक्सपोजर	65

## चयनित संक्षेपाक्षरों की सूची

एएलएम	आस्ति देयता प्रबंधन	डीपी	भुगतान होने पर कागजात
एएमए	उन्नत मापन दृष्टिकोण	डीटीसी	प्रत्यक्ष कर कोड
एएमएल	धन-शोधन निवारण	ईए	यूरो क्षेत्र
एटीएम	परिपक्वता का औसत समय	ईएडी	चूक होने पर एक्सपोजर
एयूएम	प्रबंधनाधीन आस्तियां	ईबीआईटी	ब्याज, कर से पहले अर्जन
बीसीबीएस	बैंक पर्यवेक्षण संबंधी बासल समिति	ईबीआईटीडीए	ब्याज, कर, मूल्यहास तथा परिशोधन से पहले अर्जन
बीईआईसीएफ	कारोबारी परिवेश और आंतरिक नियंत्रक कारक	ईसीबी	बाह्य वाणिज्यिक उधार
बीएमसी	आधारभूत न्यूनतम पूंजी	ईडीडी	उच्चतर स्तर की सावधानी
बीओपी	भुगतान संतुलन	ईईएफसी	निर्यात अर्जकों का विदेशी मुद्रा खाता
बीआर एक्ट	बैंकिंग विनियमन अधिनियम	ईएल	प्रत्याशित हानियां
बीआरआईसीएस/ ब्रिक्स	ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका	ईएमई	उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं
बीएसई	मुंबई शेयर बाजार	ईएमआईआर	यूरोपीय बाजार मूलभूत सुविधा विनियमन
बीएसआई	बैंकिंग स्थिरता सूचकांक	ईएस	प्रत्याशित कमी
बीएसएमडी	बैंकिंग प्रणाली का पोर्टफोलियो मल्टीवैरिएट घनत्व	ईएसएमए	यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण
बीएसएम	बैंकिंग स्थिरता के उपाय	ईयू	यूरोपीय संघ
सीएडी	चालू खाता घाटा	ईवीएम चिप	यूरोपे, मास्टरकार्ड तथा विजा चिप
सीबीएलओ	संपार्श्वीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता	एफ बी	विदेशी बैंक
सीसीआईएल	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड	एफ सी	वित्तीय समूह
सीसीपी	केंद्रीय प्रतिपक्ष पार्टी	एफसीएनआर (बी)	विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता
सीसीआर	केंद्रीय ऋण रजिस्टर	एफडीआई	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
सीडी	जमा प्रमाणपत्र	एफईडी	फेडरल रिजर्व
सीडी रेशियो	ऋण- जमा अनुपात	एफआईआई	विदेशी संस्थागत निवेशक
सीडीएस	ऋण चूक अदला-बदली (स्वैप)	एफएमआई	वित्तीय बाजार मूलभूत सुविधाएं
सीईए	पण्य विनियम अधिनियम	एफओएमसी	फेडरल ओपन मार्केट कमिटी
सीएफटीसी	पण्य वायदा व्यापार आयोग	एफआरए	अग्रिम दर करार
सीएमई	पूंजी बाजार एक्सपोजर	एफएसबी	वित्तीय स्थिरता बोर्ड
सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	एफएसडीसी	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
सीपीएसएस	भुगतान और निपटान प्रणालियों के संबंध में समिति	एफएसआर	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
सीआरएआर	जोखिम भरित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात	जी 20	बीस देशों का समूह
सीआरआर	आरक्षित नकदी निधि अनुपात	जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
डीबी	सुनिश्चित लाभ	जीएफडी	सकल वित्तीय घाटा
डीसीसीओ	वाणिज्यिक परिचालन के प्रारंभ होने की तारीख	जीआईसी	साधारण बीमा निगम
डीसीओ	डेरिवेटिव्स समाशोधन संगठन	जीएनपीए	सकल अनर्जक अग्रिम
डीआईआई	देशी संस्थागत निवेशक	जीओआई	भारत सरकार
		जी - सेक	सरकारी प्रतिभूतियां
		जीएसआईबी	वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक
		एचएफटी	उच्च बारंबारता वाले व्यापार

एचएलईजी	उच्च स्तरीय निर्यात समूह	एनजी-आरटीजीएस	नेक्सट् जेनरेशन - रियल टाइम ग्राँस ट्रांसफर
एचक्यूएलए	उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां	एनएचबी	राष्ट्रीय आवास बैंक
आईएएस	अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानक	एनआईआई	निवल ब्याज आय
आईसीबी	बैंकिंग के संबंध में स्वतंत्र आयोग	एनआईएम	निवल ब्याज मार्जिन
आईसीसीएल	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड	एनपीए	अनर्जक परिसंपत्ति/ अग्रिम
आईआईबी	मुद्रास्पीति सूचकांकित बाँड	एनपीबी	निजी क्षेत्र के नए बैंक
आईआईपी	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	एनपीएल	अनर्जक ऋण
आईएमएफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष	एनपीएस	नई पेंशन प्रणाली
आईएनआर	भारतीय रुपया	एनआरई	अनिवासी बाह्य
आईओएससीओ	प्रतिभूति आयोगों का अंतरराष्ट्रीय संगठन	एनएससीसीएल	राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम लिमिटेड
आईपी	इंटरनेट प्रोटोकॉल	एनएसई	राष्ट्रीय शेयर बाजार
आईपीओ	प्रारंभिक पब्लिक ऑफरिंग	एनएसएफआर	निवल स्थायी फंडिंग अनुपात
आईआरबी	आंतरिक निर्धारण पर आधारित	ओआईएस	एक दिवसीय सूचकांक स्वैप
आईआरडीए	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण	ओएमओ	खुला बाजार परिचालन
आईआरएफ	अंतर-विनियामक फोरम	ओओआई	अन्य परिचालन आय
आईआरएस	ब्याज दर स्वैप (अदला-बदली)	ओपीबी	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी	ओएसएस	स्थलेतर निगरानी
जेपीओडी	संकट का संयुक्त अनुमान	ओटीसी	काउंटर पर
केवाईसी	अपने ग्राहक को जानिए	पीएटी	कर के बाद लाभ
एलसी	साख पत्र	पीसीआर	प्रावधानन कवरेज अनुपात
एलसीआर	चलनिधि कवरेज अनुपात	पीडी	चूक की संभावना
एलईआई	विधिक इकाई पहचानकर्ता	पीएफएमआई	वित्तीय बाजार मूलभूत सुविधा के सिद्धांत
एलजीडी	चूक को देखते हुए हानि	पीएफआरडीए	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
एलआईसी	जीवन बीमा निगम	पीएमआई	क्रेता प्रबंधक सूचकांक
एलटीआरओ	दीर्घकालिक पुनर्वित्तीयन परिचालन	पीएमएस	पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा
एमसीए	कंपनी मामले का मंत्रालय	पीओडी	संकट का अनुमान
एमआईबीओआर	मुंबई अंतरबैंक प्रस्तावित दर	पीएसबी	सरकारी क्षेत्र का बैंक
एमएमएमएफ	मुद्रा बाजार म्युचुअल फंड	पीएसएस	भूगतान और निपटान प्रणाली
एमओयू	सहमति ज्ञापन	पीएसयू	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम
एमएसई	मध्यम और लघु उद्यम	क्यू ई	मात्रात्मक सहजता
एमटीएम	बाजार मूल्य को बही में अंकित करना (मार्क-टू-मार्केट)	क्यूआईएस	मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन
एनएवी	निवल आस्ति मूल्य	क्यू - ओ- क्यू	तिमाही - दर - तिमाही
एनबीएफसी	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी	आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
एनबीएफसी-डी	जमा राशियां लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	आरई	संशोधित अनुमान
एनबीएफसी-एनडी-एसआई	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- जमा स्वीकार न करनेवाली- प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण	आरओडए	आस्तियों पर प्रतिलाभ
एनडीटीएल	निवल मांग और मीयादी देयताएं	आरओसी	विनियामक पर्यवेक्षण समिति
		आरओई	ईक्विटी पर प्रतिलाभ
		आरडब्ल्यूए	जोखिम भारित आस्तियां
		एससीबी	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

एसडीडी	एकल अतिसावधानी	टीएलए	कुल तरल आस्तियां
एसईबीआई /सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड	टीओआई	कुल परिचालन आय
एसईजेड	विशेष आर्थिक क्षेत्र	टीआर	व्यापार निक्षेपागार
एसजीएफ	निपटान गारंटी निधि	यूके	यूनाइटेड किंगडम
एसआईडीडी	अलग से पहचान योग्य विभाग और प्रभाग	यूएल	अप्रत्याशित हानियां
एसआईएफआई	प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं	यूएलआईपी /यूलिप	यूनिट सहबद्ध बीमा योजनाएं
एसएलए	सेवा स्तर करार	यूएमपी	अपारंपरिक मौद्रिक नीति
एसएलसीसी	राज्य स्तरीय समन्वयन समिति	यूएस	यूनाइटेड स्टेट्स
एसएलआई	प्रणालीगत चलनिधि सूचकांक	यूएसडी	अमेरिकी डॉलर
एसएलआर	सांविधिक चलनिधि अनुपात	वीएआर	जोखिम-मूल्य
एसआरएस	प्रणाली जोखिम सर्वेक्षण	वीआई	भेद्यता सूचकांक
एसयूसीबी	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक	डब्ल्यूओ	वैश्विक आर्थिक परिदृश्य
एसडब्ल्यूएफ	सॉवरिन वेलथ फंड्स	डब्ल्यूजीएमआर	मार्जिन आवश्यकताओं पर कार्यकारी दल
टी - बिल	खजाना बिल	डब्ल्यूएमएस	धन-संपदा प्रबंधन सेवाएं
टीजीएफ	व्यापार गारंटी निधि	डब्ल्यूपीआई	थोक मूल्य सूचकांक
टीआई	टॉक्सिसिटी सूचकांक	वाय-ओ-वाय	वर्ष-दर-वर्ष



## विहगावलोकन

### परिचय

भारत के लिए वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) पिछले तीन वर्षों से छमाही आधार पर जून और दिसंबर में प्रकाशित की जाती रही है। एफएसआर में सभी वित्तीय क्षेत्र नियामकों का योगदान शामिल किया जाता है और वर्तमान में इसका अनुमोदन वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप समिति द्वारा किया जा रहा है।

### एफएसआर की रूपरेखा

एफएसआर के प्रथम अध्याय में वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्थाओं और बाजारों के मैक्रो-वित्तीय जोखिमों पर चर्चा की गई है, जो उस पृष्ठभूमि से परिचित कराती है जिसमें वित्तीय प्रणाली कार्य कर रही है। रिपोर्ट के दूसरे अध्याय में वित्तीय संस्थानों की सुदृढ़ता और आघातसहनीयता पर प्रकाश डाला गया है और अन्य बातों के साथ ही वित्तीय प्रणाली की अन्तरसम्बद्धता पर चर्चा की गई है। इसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से जुड़े विभिन्न प्रकार के जोखिमों के प्रति आघातसहनीयता के मूल्यांकन हेतु किए गए कई तनाव परीक्षणों के परिणाम प्रस्तुत किए गए हैं। इस अध्याय में बीमा और पेंशन क्षेत्रों, जो कि वित्तीय सेवा क्षेत्र के महत्वपूर्ण अंग हैं, पर भी विस्तृत जानकारी शामिल की गई है। अंतिम अध्याय में जी20/वित्तीय स्थायित्व बोर्ड द्वारा प्रस्तावित संकट के बाद के सुधारों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन, विशेष रूप से भारत की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में दर्शाया गया है और इसमें प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण विनियामक मुद्दे भी शामिल किए गए हैं। प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण के निष्कर्षों को अनुलग्नक 1 में प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट में दिए गए कुछ विश्लेषणों के लिए अंतर्निहित प्रक्रिया को अनुलग्नक 2 में दर्शाया गया है।

### मैक्रो वित्तीय जोखिम

#### वैश्विक अर्थव्यवस्था और बाजार

फेडरल रिजर्व द्वारा बांड खरीद कार्यक्रम से चरणबद्ध रूप से हट जाने की घोषणा ने प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाई गई अपरंपरागत मौद्रिक नीतियों से अंततः बाहर निकलने की अनिवार्यता के संकेत दे दिए हैं। वैश्विक प्रणाली में विगत पांच वर्षों से अतिरेक चलनिधि के

कारण बन रहे जोखिम अब कम हो रहे हैं। बाजारों, विशेष रूप से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को आगे आने वाले अत्यधिक उतार-चढ़ावों और अनिश्चितता के दौर के लिए तैयार रहने की जरूरत है। वैश्विक संवृद्धि में धीमी है और इसकी गति में भी अनिश्चितता है। संभवतः विश्व के कुछ भागों में आवास क्षेत्र में कृत्रिम आस्ति मूल्यों का निर्माण हो रहा है।

#### घरेलू अर्थव्यवस्था और बाजार

भारतीय अर्थव्यवस्था में समष्टि आर्थिक जोखिमों खासकर- घरेलू संवृद्धि के दायरे, बाह्य क्षेत्र और कॉरपोरेट क्षेत्र के प्रदर्शन में, पिछले छह महीने के दौरान वृद्धि हुई है। घरेलू आपूर्ति बाधाओं, नीतिगत अनिश्चितता, इसके परिणामस्वरूप घटी हुई निवेश रुख और सुस्त पड़ती बाहरी मांग ने गिरावट में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। हालांकि, मुद्रास्फीति की दर में गिरावट और महत्वपूर्ण राजकोषीय सुधार ने कुछ राहत प्रदान की है।

चालू खाता घाटा और इसका बाधारहित वित्तपोषण समष्टि आर्थिक स्थिरता के दृष्टिकोण से प्रमुख चुनौतियों के रूप में उभरा है। सोने की आयात मांग को कम किए जाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का प्रभाव दिख रहा है और वर्तमान में नीतिगत प्रयासों का जोर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) मार्ग के माध्यम से और अधिक स्थिर दीर्घकालिक पूंजी को आकर्षित करने पर है।

भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर का प्रदर्शन मंद बना हुआ है और उभरते परिदृश्य में, उनकी बढ़ी हुई बाहरी उधार और अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर आगे भी उनके लिए संवेदनशीलता को बढ़ा सकता है। राजकोषीय मोर्चे पर कुछ विश्वसनीय सुधार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक द्वारा भारत के भावी परिदृश्य को अपग्रेड कर 'स्थिर' दर्शाया गया है।

#### वित्तीय संस्थाएं : सुदृढ़ता और आघातसहनीयता

##### अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

दिसंबर 2012, में पिछले एफएसआर के प्रकाशन के बाद से बैंकिंग क्षेत्र के लिए जोखिमों में मुख्य रूप से आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता के मामले में वृद्धि हुई है। आस्ति गुणवत्ता लगातार अत्यधिक ध्यान दिए जाने हेतु केंद्र में बनी हुई है और पुनः संरचनाकृत खातों के लिए प्रावधानों को बढ़ाए जाने के लिए विवेकपूर्ण उपाय

किए गए हैं। एफएसआर वित्तीय वर्ष की आखिरी तिमाही में ऋण और जमा

वृद्धि के मापदंडों पर बेहतर प्रदर्शन आस्ति गुणवत्ता आदि का विश्लेषण करती है और इन मानकों पर महत्वपूर्ण 'मौसमी' प्रभाव ढूँढती है। हाल की तिमाहियों में निर्यात क्रेडिट में संकुचन नीति निर्माताओं का ध्यान आकर्षित करता रहा है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) क्षेत्र को ऋण में वृद्धि को निरंतर बनाए रखने की जरूरत है।

### **वित्तीय और बैंकिंग प्रणाली की अन्तर्सम्बद्धता**

बैंकिंग स्थिरता उपायों, जो सूचीबद्ध बैंकों के शेयरों की कीमतों में सापेक्ष-उतार चढ़ाव पर आधारित है ने बैंकों के बीच संकट के समय निर्भरता में कुछ सुधार दर्शाया है। भारतीय वित्तीय प्रणाली के नेटवर्क से पता चलता है कि आस्ति प्रबंधन कंपनियों और बीमा कंपनियों का बैंकिंग प्रणाली के प्रति एकस्योजर उच्च स्तर का है। चलनिधि-संक्रमण विश्लेषण वित्तीय प्रणाली के ढांचे में सन्निहित अन्तर्सम्बद्धता से जुड़े जोखिमों पर प्रकाश डालता है।

### **तनाव परीक्षण**

समष्टि तनाव परीक्षणों से संकेत मिलता है कि यदि वर्तमान समष्टि आर्थिक स्थिति बनी रहती है, तो वाणिज्यिक बैंकों के ऋण की गुणवत्ता में आगे और कमी आ सकती है। तथापि, बैंकों की पूंजी पर्याप्तता के मोर्चे पर आरामदायक स्थिति आघातसहनीयता को बढ़ावा देती है, विभिन्न जोखिमों के लिए किए गए टॉप-डाउन तनाव परीक्षण अभ्यासों द्वारा भी इसे दर्शाया गया है। कुछ चुनिंदा बैंकों द्वारा किए गए बाटम-अप तनाव परीक्षणों (संवेदनशीलता विश्लेषण) के परिणाम भी बैंकों की विभिन्न प्रकार के आघातों के प्रति व्यापक आघातसहनीयता की पुष्टि करते हैं। एफएसआर के इस अंक में बैंकों में प्रावधानीकरण और पूंजी पर्याप्तता के आकलन के लिए अनुमानित हानि दृष्टिकोण पर आधारित एनपीए विश्लेषण से परिचय कराया गया है। परिणाम यह दर्शाते हैं कि प्रावधानों का वर्तमान स्तर पर्याप्त है, तथापि गंभीर तनाव परिदृश्य में एक अंतराल उत्पन्न हो सकता है।

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (एसयूसीबीएस) के पूंजी और चलनिधि पहलुओं पर किए गए तनाव परीक्षणों से पता चलता है कि गंभीर तनाव परिदृश्य के दौरान एसयूसीबीएस प्रभावित हो सकते हैं। एनबीएफसी के ऋण जोखिमों पर किए गए तनाव परीक्षण दर्शाते हैं कि आस्ति गुणवत्ता में गिरावट के गंभीर तनाव परिदृश्य

में भी पूंजी पर्याप्तता अनुपात न्यूनतम अपेक्षित स्तर से ऊपर ही बना रहेगा।

### **बीमा और पेंशन क्षेत्र**

बीमा क्षेत्र में नया कारोबारी प्रीमियम पिछले दो वर्षों से लगातार संकुचित हो रहा है। जीवन बीमा कारोबार का बड़ा भाग, विशेष रूप से जीवन बीमा निगम के मामले में, एकल प्रीमियम बीमा पालिसियों का है। पेंशन क्षेत्र का विकास करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई पेंशन प्रणाली ने ग्राहक आधार और संग्रहण में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाई है।

### **वित्तीय क्षेत्र विनियमन और बुनियादी संरचना**

#### **वैश्विक स्तर पर सुधारों का कार्यान्वयन**

वैश्विक स्तर पर सहमत हुए सुधारों के कार्यान्वयन में विभिन्न क्षेत्राधिकारों में हुई असमान प्रगति से वित्तीय विनियमनों की संरचना और अपेक्षित मात्रा पर निरंतर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता को जन्म दिया है। विभिन्न वित्तीय प्रणालियों की जरूरतें विनियामक जोर के अर्थों में अलग-अलग होने की अपेक्षा है, विनियमन में घरेलू-पूर्वाग्रह होने की प्रवृत्ति का परिणाम अंतरराष्ट्रीय बाजारों की कार्यप्रणाली अलग न्यायालय पर विविध प्रभाव के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार के कामकाज पर पड सकता है जो विभिन्न क्षेत्राधिकारों में अलग-अलग हो सकता है।

#### **सुधारों के प्रति भारत में प्रगति**

विश्व स्तर पर सहमत हुए विभिन्न सुधारों के कार्यान्वयन के संबंध में भारत में हुई प्रगति पर नजर एसएसडीसी ढांचे के तहत इसकी उप समिति के माध्यम से रखी जा रही है। सुधारों के विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किए जाने के साथ अंतर एजेंसी कार्यान्वयन समूहों का गठन किया गया है।

#### **बासेल-III**

बासेल-III सुधारों के कार्यान्वयन हेतु भारत की कार्यान्वयन योजना ज्यादा कठोर है, विशेष रूप से समय-सीमा और पूंजी अपेक्षा के अर्थ में जहां पारंपरिक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखे जाने के साथ ही पूंजी अपेक्षा की गणना करते समय आलोचनात्मक त्रुटियों, यदि कोई हो, को भी ध्यान में लिया जाना है। भारतीय बैंक आंतरिक गवर्नेंस संबंधी मुद्दों, डेटा उपलब्धता और परिचालनगत डेटा क्षति माडलिंग आदि से संबद्ध परिचालन जोखिमों पर पूंजी प्रभार की गणना संबंधी एएमए दृष्टिकोण के कार्यान्वयन में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

## ओटीसी डेरिवेटिव

भारत में ओटीसी डेरिवेटिव बाजार के अधिकांश भागों में केंद्रीकृत समाशोधन सुविधा की शुरुआत होने और उत्पादों के मानकीकरण के साथ ही इस बाजार में सुधार की प्रक्रिया को चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। ओटीसी डेरिवेटिव सुधार से जुड़े अमेरिकी और युरोपिय कानूनों ने अपरदेशीय विनियामी क्षेत्राधिकार की संभावनाओं से संबंधित कुछ चिंताओं को जन्म दिया है जिससे विनियामी गतिरोध उत्पन्न हो सकता है और बाजार गतिविधियां बाधित हो सकती हैं।

## वित्तीय संगुट का पर्यवेक्षण

भारत में हाल की अवधि में बड़े वित्तीय समूहों के पर्यवेक्षण को मजबूत करने के लिए काफी कदम उठाए गए हैं। वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों ने वित्तीय संगुट के पर्यवेक्षण में तालमेल बिठाने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की है और एफएसडीसी की उप समिति के अंतर्गत एक आंतरिक विनियामी फोरम (आईआरएफ) की स्थापना की गई है। उन्नत सीमापार बैंकिंग पर्यवेक्षण और सहयोग सुनिश्चित करने के प्रयोजन से विदेश के पर्यवेक्षी निकायों के साथ द्विपक्षीय सहमित ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दो बड़े भारतीय बैंकों के लिए पर्यवेक्षी कॉलेज स्थापित किए गए हैं।

## आभासी बैंकिंग का विनियमन

मुद्रा बाजार और लिक्विड म्यूच्युअल फंड से उत्पन्न होने वाले चलनिधि जोखिम की संभावना का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण विनियामी उपाय किए गए हैं। ऐसी स्थिति जब चलनिधि में दबाव में हो, उस समय बैंकों और म्यूच्युअल फंड के बीच निधि के प्रवाह के पचिलानल से प्रणालीगत जोखिम हो सकता है। 'सामूहिक निवेश योजना' में और कुछ अन्य तरीकों में जिनके जरिए विभिन्न संस्थाएं

जनता से निधि जुटाने का प्रयास करती हैं, विनियामी अंतराल को समन्वित तरीके से दूर किया जा रहा है और साथ ही राज्य सरकारों एवं कानून लागू करने वाली एजेंसियों से और सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा की जा रही है।

## उपभोक्ता संरक्षण

कुछ बैंकों में बीमा पॉलिसी, धन प्रबंधन उत्पादों एवं सेवाओं के दुर्विक्रय की घटनाओं और कुछ अन्य अस्वस्थ प्रथाओं के चलते यह आवश्यकता प्रबल हुई है कि उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली को मजबूत किया जाए, केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देशों का पालन हो और प्रोत्साहन ढांचे में पाई गई कुछ विकृतियों को दूर किया जाए।

विभिन्न उद्देश्यों के लिए इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग के समय प्रौद्योगिकी जोखिम से नई चुनौतियां सामने आई हैं। पुरानी और वर्तमान प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म से होने वाले जोखिम और बैंकों द्वारा व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग के बारे में अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

## वित्तीय बाजार का बुनियादी ढांचा

देश के वित्तीय बाजार का बुनियादी ढांचा जिसमें भुगतान एवं निपटान प्रणाली शामिल है, वह ठीक से काम कर रहा है। दो मुख्य इक्विटी बाजार समाशोधन गृह और कुछ बैंकों के बीच एक्सपोजर से होनेवाले संकेंद्रण जोखिम को नियंत्रित करने की जरूरत है।

## प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण

अप्रैल-मई 2013 के दौरान किए गए रिजर्व बैंक के नवीनतम प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक जोखिम और घरेलू समष्टि आर्थिक जोखिम को दो सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में पाया गया है जो भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को प्रभावित कर रहे हैं। तथापि, सर्वेक्षण में शामिल प्रतिभागियों ने भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता में विश्वास व्यक्त किया है।

## अध्याय 1 मैक्रो-वित्तीय जोखिम

वैश्विक अर्थव्यवस्था में नीतिगत कार्रवाइयों के कारण सामान्यतर जोखिम के कम होने के साथ ही वित्तीय परिस्थितियों में धीरे-धीरे जो सुधार शुरू हुआ था, वह वित्तीय बाजार में हाल ही में हुए अशांति से बाधित हुआ है। जोखिम रहित सुरक्षित माहौल को इस आशंका से धक्का लगा कि फेड रिजर्व द्वारा 2013 के उत्तरार्ध से अपने बांड खरीद कार्यक्रम को एक चरण बद्ध तरीके से वापस लेने के संकेतों के चलते वैश्विक चलनिधि की उपलब्धता में कमी हो सकती है और इसके कारण उभरते बाजारों में बड़े पैमाने पर वित्तीय आस्तियों में बिकवाली हो सकती है जिसके कारण उनके इक्विटी, बांड तथा मुद्रा बाजार में तेज गिरावटी गतिविधि देखने को मिल सकती है। इन गतिविधियों की वजह से उन्नत अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंकों की गैर-परंपरागत मौद्रिक नीतियों के चलते स्पिलओवर जोखिम की संभावना प्रबल हो जाती है।

घरेलू मोर्चे पर, वृद्धि रुझान से नीची रही है और बाह्य मोर्चे पर खतरे बढ़े हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में उच्च चालू खाता घाटा और उसका वित्तीयन ऐसे मोर्चे हैं जहां दबाव बना हुआ है जैसाकि हाल ही में वैश्विक संकेतों से रुपए में हुए अवमूल्यन से परिलक्षित होता है। दूसरी ओर, ऐसे संकेत हैं कि मुद्रास्फीति थोड़ी नरम हो रही है, वृद्धि में गिरावट अपने निम्नतर स्तर पर प्रतीत हो रही है और सोने की आयात मांग कम करने के लिए उठाए गए कदम फलीभूत हो रहे हैं। राजकोषीय मोर्चे पर भरोसेमंद प्रगति हुई है और यह प्रगति क्रेडिट रेटिंग एंजेंसी द्वारा उनके आउटलुक में अपग्रेडिंग में परिलक्षित हुई है। इसके साथ ही, मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता और ऊंची वृद्धि बनाए रखने के लिए वित्तीय सुदृढीकरण की गुणवत्ता में सुधार करना महत्त्वपूर्ण है।

विदेशी संस्थागत निवेशक हाल तक इक्विटी और ऋण बाजार में निवल खरीदार थे और जून 2013 में वे निवल विक्रेता बन गए। इक्विटी बाजार से जुटाए गए संसाधनों में कमी बनी हुई है और ऋण बाजार में निजी आबंटन गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है। घरेलू बचत जिसे सकल देशीय उत्पाद के प्रतिशत के रूप में आंका जाता है, यद्यपि ऊंची थी, तब भी इसमें कमी हुई है और इसके चलते निवेश योग्य संसाधनों की उपलब्धता में आगे और कमी हो सकती है। कंपनियों में दबाव की स्थिति बनी रही जैसा कि उनकी बिक्री और मुनाफे में हुई कम वृद्धि से परिलक्षित होता है। हाल के दिनों में रुपए की कमजोरी को देखते हुए गैर-सुरक्षित एक्सपोजर के चलते कंपनी क्षेत्र में आगे और अधिक कमजोरी हो सकती है।


### वैश्विक

#### संवृद्धि

0.1 दबावग्रस्त उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में की गई नीतिगत कार्रवाइयों के चलते वैश्विक सामान्यतर जोखिम कम हुआ है, यद्यपि अमेरिका में राजकोषीय कर्षण, यूरो क्षेत्र में मितव्ययिता और अपूर्ण वित्तीय सुधार, जापान में प्रस्तावित संरचनागत सुधारों की कम विश्वस्यनीयता और अधिकांश उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सुस्त विकास के कारण आघात सहने की क्षमता और मजबूत रिकवरी में डाउनसाइड जोखिम बना हुआ है। वैश्विक वृद्धि सुस्त, मल्टीपेस और गिरावटी रुख की ओर बनी हुई है (चार्ट 1.1)। राजकोषीय गुंजाइश के अभाव के मद्देनजर और संरचनागत सुधारों से जुड़े धीमे कर्षण के कारण अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के बड़े काम में मौद्रिक नीतियां सुरक्षा की अग्रिम पंक्ति में बनी हुई हैं।

1.2 फेड द्वारा 19 जून 2013 की नीति में 2013 के अंत से आस्तियों की खरीद को धीरे-धीरे वापस लेने की घोषणा से यह परिलक्षित होता है कि अमेरिका में रिकवरी के संकेत मूर्त रूप ले रहे हैं। वर्ष 2013 की पहली तिमाही में यूएस की संवृद्धि में सुधार आया

चार्ट 1.1: जीडीपी वृद्धि और अनुमान



स्रोत: डब्ल्यूईओ, आईएमएफ

और फेड ने 2013 के दौरान 2.3 प्रतिशत से 2.6 प्रतिशत तक की संवृद्धि हासिल किए जाने का अनुमान लगाया है। हालांकि बेरोजगारी की दर घटकर 7.6 प्रतिशत के आसपास रही, फिर भी वह फेड द्वारा निर्धारित सुखद स्तर के ऊपर ही बरकरार है। समग्रतः बजट में लगाए गए प्रतिबंधों के प्रतिकूल प्रभाव से यूएस में संवृद्धि बाधित रहने की संभावना है और यह प्रभाव आने वाले महीनों में धीरे-धीरे बढ़ सकता है। यूएस की संवृद्धि का भविष्य और वैश्विक वित्तीय स्थिरता यूएस कर्ज की उच्चतम सीमा पर होने वाले विवाद<sup>1</sup> से निकलने वाले हल पर निर्भर करती हैं।

1.3 यूरो क्षेत्र की जीडीपी संवृद्धि गति पकड़ने में नाकाम रही। 2013 की पहली तिमाही में जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली और नीदरलैंड्स जैसी यूरो क्षेत्र की बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में वर्ष-दर-वर्ष जीडीपी संवृद्धि ऋणात्मक दर्ज हुई। निजी क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा में लगातार कमी आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार, बैंक दीर्घावधि पुनर्वित्त परिचालन (एलटीआरओ) के अंतर्गत उधार ली गई निधियों की चुकौती कर रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है और अब उसकी दर 12.2 प्रतिशत के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। युवा बेरोजगारी दर लगभग 24 प्रतिशत पर है और इसने सामाजिक-आर्थिक स्थिरता के समक्ष काफी जोखिम पैदा किया है।

1.4 यूके की संवृद्धि मंद गति से बढ़ती रही, किंतु पिछली तीन तिमाहियों के दौरान उसमें सकारात्मक प्रवृत्ति देखी गई। निकट भविष्य में यूके की संवृद्धि में मामूली गिरावट दर्ज होने की संभावना है। अभूतपूर्व नीतिगत कार्रवाई के कारण सकारात्मक धन-संपदा प्रभाव पड़ा, जिसका लाभ उठाते हुए उपभोक्ताओं द्वारा किए गए अत्यधिक खर्च से 2013 की पहली तिमाही में जापान की संवृद्धि में वार्षिकीकृत रूप से 3.5 प्रतिशत बढ़ोतरी हासिल हुई। तथापि, संरचनात्मक मुद्दे की चिंता बरकरार है। 2013 की पहली तिमाही में चीन की संवृद्धि प्रत्याशित स्तर से कम रही, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि उसके आर्थिक कार्यक्रमों की गति और धीमी हो जाएगी। इसके अलावा, चीन में राष्ट्रीय ऋण की मात्रा में आई तेजी से उसकी वित्तीय स्थिरता पर प्रश्न-चिह्न उठ खड़ा हुआ है। अन्य ब्रिक देश भी संवृद्धि की धीमी गति की समस्या से जूझ रहे हैं।

### अपारंपरिक मौद्रिक नीतियों का समापन

1.5 वित्तीय बाजारों के संचालन में सामान्य स्थिति बहाल करने और वैश्विक वित्तीय संकट से पैदा हुए दूरगामी प्रभावों को कम करने

की दृष्टि से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने अपारंपरिक मौद्रिक नीतियां अपनाईं। वित्तीय प्रणाली में सॉल्वेन्सी के मुद्दे से निपटने की दृष्टि से चलनिधि में सुधार लाने हेतु शुरू की गई मौद्रिक नीति को मंदी का सामना करने और आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जारी रखा गया। इससे सामान्यतर जोखिमों (टेल रिस्क) को कम किया जा सका, किंतु इस प्रकार की मौद्रिक नीति के बरकरार रहने से कई जोखिम पैदा होने की संभावना है (बॉक्स 1.1 देखें)।

1.6 हाल में फेड द्वारा की गई घोषणाओं पर बाजारों की प्रतिक्रिया मध्यम अवधि में बाजारों के लिए जोखिमों के संकेत हैं, क्योंकि विभिन्न केंद्रीय बैंक उदार नीतियां बंद कर रहे हैं। इस प्रकार मजबूरी के चलते उदार नीतियां बंद किए जाने से बाजारों में अफरा-तफरी मच गई जो वित्तीय प्रणाली में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध चलनिधि की सुखद स्थिति का लाभ उठा रहे थे। चूंकि आगामी वर्षों में क्रमिक रूप से नियंत्रण को हटाया जाएगा, अतः अस्थिरता के ऐसे दौर बार-बार पैदा हो सकते हैं। बाजारों की चंचल चिन्ता उनकी प्रतिक्रिया के आलोक में भी स्पष्ट होती है। उभरती अर्थव्यवस्थाएं सबसे अधिक प्रभावित हुईं, क्योंकि वहां पूंजी के बहिर्वाह के कारण उनकी मुद्रा के साथ-साथ इक्विटी व बॉण्ड बाजार बुरी तरह प्रभावित हुए। आम तौर पर अपारंपरिक मौद्रिक नीतियों को बंद करने पर पैदा होने वाले जोखिम अन्य बातों के साथ-साथ उन नीतियों के समापन के समय, अनुक्रमण और गति आदि पर निर्भर करते हैं। विभिन्न आर्थिक परिस्थितियों और भू-भागों के संबंध में की जाने वाली प्रत्याशाओं का सामना करना इस दिशा में एक और चुनौतीपूर्ण कार्य है।

1.7 फेड द्वारा 19 जून 2013 को की गई घोषणा के बाद उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और यूरो क्षेत्र के अंतर्गत वाली अर्थव्यवस्थाओं में बॉण्ड प्रतिफल में काफी तेजी आई। यह प्रवृत्ति बने रहने से दबावग्रस्त यूरो क्षेत्र के देशों द्वारा हासिल की गई प्रगति घट सकती है और चलनिधि में कमी होने से निजी क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा में गिरावट आ सकती है।


1.8 यूएस में भी अपारंपरिक मौद्रिक नीतियां बंद करने से जोखिम बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रतिफल की बढ़ोतरी से निधियों की लागत बढ़ सकती है और इससे सामान्य स्थिति का बहाल होना मुश्किल हो सकता है। यद्यपि फेड द्वारा दी गई सूचना में यह स्पष्ट किया गया था कि बॉण्ड खरीद पूर्व-निर्धारित तरीके से नहीं होगा

<sup>1</sup> वर्ष 2011 में कर्ज की उच्चतम सीमा पर किए गए विवाद से पैदा हुई सीमांतवर्तिता (ब्रिक्समैनशिप) के बाद यूएस की क्रेडिट रेटिंग में गिरावट आई।

**बॉक्स 1.1 : अपारंपरिक मौद्रिक नीतियों में निहित जोखिम**

आस्ति मूल्यों में उछाल : कम ब्याज दर होने के चलते निवेशक अधिक प्रतिफल वाली आस्तियों के मूल्यों की तलाश में जोखिमपूर्ण गतिविधियों में शामिल होने हेतु मजबूर हुए और कॉरपोरेटों को अत्यंत लीवरेज बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन मिला। पिछले कुछ वर्ष में कतिपय देशों में आवास मूल्यों में तेजी आ चुकी है और आवास मूल्य का बुलबुला पुनः पैदा हो गया। आस्ति मूल्यजन्य मुद्रास्फीति में हुई उछाल, विशेष रूप से आवास बाजार में आई तेजी की वजह से वित्तीय स्थिरता को उस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जो यूएस में सब-प्राइम संकट के दौरान पैदा हुई थीं। संकट के बाद यूएस में आवास मूल्यों में गिरावट आई है और मौजूदा मूल्य का स्तर संकट-पूर्व अवधि में विद्यमान स्तर से कम है। तथापि, अन्य देशों (चार्ट 1) में प्रतिफल की तलाश और क्रेडिट में हुई वृद्धि आदि के कारण आवास मूल्यों में तेजी आई है।

**चार्ट 1 : आवास मूल्य सूचकांक (2009 की पहली तिमाही = 100)**




स्रोत : ब्लूमबर्ग, टेरानेट और नैशनल बैंक ऑफ कैनडा, हांगकांग सरकार विशेष प्रशासनिक क्षेत्र

सिंगापुर, कैनडा और हांगकांग ने आवास मूल्यों की मुद्रास्फीति को कम करने के उपाय किए हैं। इन उपायों के अंतर्गत 'मूल्य की तुलना में ऋण अनुपात' में कटौती, सकल कर्ज चुकौती अनुपात की उच्चतम सीमा निर्धारित करना, मार्गेज पुनर्वित्तीयन के 'मूल्य की तुलना में ऋण अनुपात' में कटौती, परिशोधन अवधि में कमी करना, मार्गेज हामीदारी नियमों को सख्त बनाना, इंटरस्ट अब्सॉर्प्शन योजनाओं को हटाना और एकाधिक आवासों की खरीद पर लेनदेन कर लगाना आदि शामिल हैं।

**प्रतिकूल चयन :** यूएस में हाल की अवधि में गैर-निवेश श्रेणी के कॉरपोरेट बॉण्डों के निर्गम में काफी उछाल आई है (चार्ट 2)। कम ब्याज दरों के चलते क्रेडिट मानक और क्रेडिट मूल्यांकन की गुणवत्ता जैसे गैर मूल्य कारक प्रभावित हुए। गैर-निवेश श्रेणी के कॉरपोरेट बॉण्डों की मांग का पता उनके अधोगामी प्रवृत्ति वाले प्रतिफलों से चलता है (चार्ट 2)।

**तुलन-पत्रों में सुधार के कम अवसर :** लंबे समय से कम ब्याज दर के बने रहने से तुलन-पत्र में आवश्यक सुधार करने हेतु कॉरपोरेटों और सरकारों को मिलने वाले अवसर कम हो सकते हैं। वर्तमान में समष्टि-आर्थिक नीति

**चार्ट 2 : यूएस के गैर-निवेश श्रेणी के कॉरपोरेट बॉण्ड - निर्गम व प्रतिफल**




स्रोत : ब्लूमबर्ग

के समक्ष दीर्घावधि धारणीयता के साथ समझौता किए बिना अल्पावधि अस्तित्व बनाए रखने की चुनौती खड़ी है।

**बाजारों की दुर्दशा और गलत मूल्य-निर्धारण का जोखिम :** सरकारी बॉण्ड के प्रतिफलों को कृत्रिम रूप से कम रखा गया, तथा चूंकि सरकारी बॉण्ड कई वित्तीय उत्पादों के मूल्य-निर्धारण में बेंचमार्क होते हैं, अतः उन बाजारों में जोखिमों का सही ढंग से मूल्य-निर्धारण नहीं हो पाता है। अपारंपरिक नीतियां हटाए जाने की स्थिति में मूल्य जोखिमों को संभालने की बाजारों की क्षमता कम हो सकती है और बाजारों का कार्य-संचालन मुश्किल हो जाता है।

**जोखिमों में बढ़ोतरी :** ऐसा माना जाता है कि डॉट कॉम बुलबुले के बाद की अवधि में व्याप्त कम ब्याज दर की वजह से वित्तीय बाजारों में प्रचुर मात्रा में चलनिधि आई जिसने वैश्विक वित्तीय संकट को जन्म दिया (चार्ट 3)। संभव है मौजूदा समय में भी लंबी अवधि के लिए कम ब्याज दर प्रचलित रहने से पुनः इसी प्रकार के कई जोखिम पैदा हो जाएंगे।

**चार्ट 3 : यूएस की सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल**



स्रोत : फेडरल रिजर्व

तथा यह कार्य, प्राप्त आंकड़ों और आगे के घटनाक्रम के अनुरूप पूरा किया जाएगा, तथापि, बाजारों ने ऐसा अर्थ लगाया है कि बॉण्ड खरीद का कार्यक्रम निकट भविष्य में ही पूरा कर लिया जाएगा। नीति-निर्माताओं द्वारा कही गई बातें और बाजारों द्वारा उनका अर्थ निकालने में रह गई संप्रेषण बाधा की वजह से वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई।


1.9 इस समापन के स्वरूप और समय-सीमा की अनिश्चितता के कारण वित्तीय बाजारों में अस्थिरता पैदा हो गई। केंद्रीय बैंकों के तुलन-पत्रों के बढ़े हुए आकार को कम करने से पहले ब्याज दरें बढ़ाए जाने पर केंद्रीय बैंकों और नियत आय वाली आस्तियां रखने वालों को पूंजीगत हानि उठानी पड़ेगी। तुलन-पत्र के आकार में कमी आने से केंद्रीय बैंकों द्वारा बेची जाने वाली आस्तियों का बाजार बुरी तरह प्रभावित होगा। संभावित समापन की वजह से कथित परिणामों के संबंध में बनाई गई अलग-अलग नीतियों, जैसे- संवृद्धि में सुधार, के प्रभाव का पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। इससे निश्चित रूप से यह बताना संभव नहीं होगा कि कौन-कौन नीतियां प्रभावी रहीं और कौन-कौन बेअसर रहीं या विभिन्न नीतियों के बीच की सहक्रियता कारगर रही या नहीं। ऐसी स्थिति में गलत नीति का प्रयोग करने से संवृद्धि और स्थिरता बाधित हो सकती हैं।

1.10 विभिन्न केंद्रीय बैंकों के बीच अपारंपरिक मौद्रिक नीतियां बंद करने के कार्य में समन्वय न रहने से परिणामी प्रभाव बढ़ सकते हैं, क्योंकि पूंजी प्रवाह अस्थिरकारी हो सकते हैं। हालांकि नीतिगत कार्रवाइयों में सामंजस्य स्थापित करना अभीष्ट है, फिर भी वैश्विक संवृद्धि के बहु-गतिक स्वरूप में ऐसी स्थिति असंभव है।

### राष्ट्रीय स्थिति

1.11 दिसंबर 2012 में प्रकाशित पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष रहने वाले समग्र समष्टि-आर्थिक जोखिम कथित रूप से बढ़ गए हैं (चार्ट 1.2i)। एक ओर राष्ट्रीय संवृद्धि संबंधी जोखिम, बाहरी जोखिम, और कॉरपोरेट असुरक्षितता बढ़ गई तो दूसरी ओर वैश्विक संवृद्धि, राष्ट्रीय मुद्रास्फीति, राजकोषीय रुख और हाउसहोल्ड से संबंधित जोखिम कम हुए हैं। वित्तीय बाजार स्थिरता आरेख<sup>2</sup> से यह पता चलता है कि भारत के विदेशी विनिमय बाजार, इक्विटी बाजारों और बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम बढ़ गया है, वहीं, कर्ज बाजार में जोखिम कम हुआ है (चार्ट 1.2ii)।

चार्ट 1.2 : समष्टि और वित्तीय बाजारों की स्थिरता - आरेख



**टिप्पणी :** बाहरी, कॉरपोरेट और हाउसहोल्ड आयामों के आंकड़े दिसंबर 2012 से संबंधित हैं। वित्तीय बाजार स्थिरता आरेख के आंकड़े 20 जून 2013 की स्थिति दर्शाते हैं। केंद्र से हटकर बाहर जाना जोखिम में बढ़ोतरी का संकेत है।

**स्रोत :** रिजर्व बैंक स्टाफ द्वारा किया गया परिकलन

<sup>2</sup> कार्य-प्रणाली की जानकारी के लिए अनुबंध-2 देखें।


## संवृद्धि

1.12 वैश्विक संवृद्धि में दबे हुए रुझानों की पृष्ठभूमि और अनिश्चित वैश्विक वातावरण में भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की कई चुनौतियां हैं। 2012-13 की तीसरी तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में संवृद्धि पिछली पंद्रह तिमाहियों के निचले स्तर पर 4.7 प्रतिशत रही। यद्यपि 2012-13 की चौथी तिमाही के दौरान संवृद्धि मामूली सुधार के साथ 4.8 प्रतिशत रही, फिर भी वर्ष 2012-13 में यह 5 प्रतिशत के साथ दस वर्षों के न्यूनतम स्तर पर रही। देशी आपूर्ति अवरोधों, नीति अनिश्चितताओं, परिणामी अवसाद पूर्ण निवेश संभावनाओं और घटती हुई बाह्य मांग ने मंदी में काफी इजाफा किया तथापि, मुद्रास्फीति में आई कमी ने कुछ राहत प्रदान की। भावी परिदृश्य में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2013-14 के दौरान संवृद्धि दर संगत रूप से कुछ अधिक रहते हुए 5.7 प्रतिशत होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तथापि, बीआरआईसीएस देशों की तुलना में, चीन के अलावा, भारत की संवृद्धि में अधिक तेजी रहने की संभावना व्यक्त की गई है (चार्ट 1.3)। यह बात भी उम्मीद जाहिर करती है कि निवेश संभावनाओं और संवृद्धि में सुधार को ध्यान में रखते हुए हाल ही में उठाए गए नीतिगत प्रयासों को देखते हुए कुछेक रेटिंग एजेंसियों ने हाल में भारत के रेटिंग परिदृश्य में सुधार करते हुए इसे स्थिर की संज्ञा प्रदान की है।<sup>3</sup>

## चालू खाता घाटा (सीएडी) और बाह्य क्षेत्रगत संवेदनशीलता


1.13 अत्यधिक चालू खाता घाटे (सीएडी) का बाधारहित रूप से वित्तपोषण करना और व्यवहार्य स्तरों तक इसके आकार को सीमित करना और विशेष रूप से वैश्विक आघातों के प्रति इसकी संवेदनशीलता को कम करना बाह्य क्षेत्र के प्रबंधन की एक प्रमुख चुनौती बन गया है। चालू खाता घाटे का वित्तपोषण करने के लिए आवश्यक वृहदाकार प्रवाहों के अलावा, प्रवाहों का स्वरूप विशेषरूप से, पोर्टफोलियो और अल्पावधि ऋण प्रवाहों पर निर्भरता चिंता का एक और कारण है (चार्ट- 1.4)। यद्यपि जिन्स मूल्यों में कमी और स्वर्ण आयात में आई कमी का चालू खाता संतुलन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है तथापि, धीमी अर्थव्यवस्था में अत्यधिक चालू खाता घाटा कठिन मैक्रोइकोनॉमिक नीतिगत चुनौतियां पेश करता है।

चार्ट 1.3: बीआरआईसीएस देशों के हेतु संवृद्धि पूर्वानुमान



स्रोत: डब्ल्यूईओ, आईएमएफ

चार्ट 1.4: भारत के चालू खाता घाटे के वित्तपोषण के स्रोत



स्रोत: आरबीआई

<sup>3</sup> लगभग 7 ट्रिलियन रुपये की लागत वाली 215 लंबित परियोजनाओं के परिचालन हेतु उपाय किए गए हैं और निवेशों पर मंत्रिमंडलीय समिति के जरिए परियोजनाओं को द्रुत गति से क्रियान्वित करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

1.14 भारत के समग्र बाह्य ऋण में हुई वृद्धि चिंता का एक और विषय है। अल्पावधि देयताओं में भी वृद्धि हो रही है। 2012-13 की पहली तिमाही की तुलना में दूसरी और तीसरी तिमाही में कुल ऋण (अवशिष्ट और मूल ऋण दोनों) की तुलना में अल्पावधि ऋण अनुपात में वृद्धि हुई है जो बढ़ते हुए चालू खाता घाटे को दर्शाता है। निवल आईआईपी-जीडीपी अनुपात दिसंबर 2012 के अंत में बढ़कर 15.4 प्रतिशत हो गया जबकि सितंबर 2012 के अंत में यह 15.1 प्रतिशत था। सामान्य रूप में बाह्य क्षेत्र संवेदनशीलता संकेतकों ने बिगड़ता हुआ रुझान दर्शाया है (टेबल 1.1)।

1.15 निवेश संभावनाओं और पूंजी अंतर्वाह बढ़ाने के लिए हाल में कई नीतिगत उपाय किए गए हैं। इनमें से कुछ उपायों में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति को और अधिक उदार बनाना<sup>4</sup>, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की ऋण सीमा आबंटन मानदंड को युक्तिसंगत बनाना, भारतीय ऋण प्रतिभूतियों में एफआईआई निवेशों का एकीकरण और सरलीकरण करना, स्वायत्त संपत्ति निधियों (सावरेन वेल्थ फंड), बहुपक्षीय एजेंसियों, बंदोबस्ती (एनडाउमेंट) निधियों, बीमा निधियों और विदेशी केंद्रीय बैंकों को समग्र सीमा के भीतर दीर्घावधि निवेशकों के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति देना, सरकारी प्रतिभूतियों और कार्पोरेट बांडों में एफआईआई निवेश हेतु सीमा बढ़ाना, एनआरई जमाराशियों पर ब्याज दरों को विनियंत्रित करना, एफसीएनआर(बी) जमाराशियों की सीमा बढ़ाना और बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईसीबी) के लिए समस्त-लागत सीमा में वृद्धि करना शामिल हैं। इन उपायों के अतिरिक्त, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु मौजूद अपार

संभावनाओं का दोहन करने के लिए सरकार मौजूदा एफडीआई नीति की समीक्षा करने का भी आकलन कर रही है। निर्यातों को बढ़ावा देने और विशिष्ट इकोनॉमिक जोनों (एसईजेड) में निवेशकों के हितों को पनरुज्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा अप्रैल 2013 में जारी की गई 2009-14 की विदेश व्यापार नीति के वार्षिक परिशिष्ट में कई घोषणाएं की गई हैं।

1.16 बढ़ता हुआ स्वर्ण आयात लगातार चिंता का विषय बना हुआ है (चार्ट 1.5)। 2007-08 से कुल आयात में स्वर्ण की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है और 2012-13<sup>5</sup> में यह जीडीपी के 3 प्रतिशत के करीब थी।

1.17 स्वर्ण आयात से होने वाली संवेदनशीलताओं को कम करने के लिए कई नीतिगत उपाय किए गए हैं। स्वर्ण पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है। बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह सलाह दी गई है कि वे किसी भी रूप में सोने की खरीदारी के लिए ऋण न दें। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे 50 ग्राम से अधिक वजन के सोने के सिक्कों के प्रति ऋण न दें। स्वर्ण के देशी उपयोग हेतु कन्साइनमेंट आधार पर स्वर्ण-आयात को सीमित कर दिया गया है। इसके अलावा, सभी श्रेणियों के तहत स्वर्ण-आयात हेतु नामित बैंकों/एजेंसियों द्वारा खोले जाने वाले सभी साख-पत्रों (एल.सी.) को केवल 100 प्रतिशत नकद मार्जिन के आधार पर ही खोला जाएगा। इसके अतिरिक्त, सभी प्रकार के स्वर्ण-आयात का अब से अनवर्य रूप से भुगतान के आधार पर दस्तावेजीकरण किया जाएगा।

टेबल 1.1: बाह्य क्षेत्र संवेदनशीलता संकेतक

(प्रतिशत)

संकेतक	मार्च 2001 अंत	मार्च 2012 अंत	जून 2012 अंत	सितंबर 2012 अंत	दिसंबर 2012 अंत
1. जीडीपी की तुलना में कुल ऋण का अनुपात*	17.5	19.7	19.7	19.3	20.6
2. कुल ऋण की तुलना में अल्पावधि का अनुपात (मूल परिपक्वता)	21.2	22.6	23	23.2	24.4
3. कुल ऋण की तुलना में (अवशिष्ट परिपक्वता)#	42.2	42.6	42.9	43.7	44.1
4. आरक्षियों की तुलना में अल्पावधि का अनुपात +	21.3	26.6	27.8	28.7	31.1
5. आयातों हेतु आरक्षी कवर (माह में)	9.6	7.1	7	7.2	7.1
6. बाह्य ऋण (बिलियन यूएस)	305.9	345.5	349.1	365.6	376.3
7. निवल अंतर-राष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी)	-209.8	-248.5	-224.1	-271.5	-282
8. आईआईपी/जीडीपी अनुपात	-12.3	-13.3	-12.2	-15.1	-15.4

\*: वर्तमान बाजार मूल्यों पर वार्षिक जीडीपी; #: आरबीआई अनुमान; +: मूल परिपक्वता

<sup>4</sup> एफडीआई को और अधिक उदार बनाया गया है और एकल-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई, बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत एफडीआई और पंजीकृत उड्डयन कंपनी एवं ऊर्जा एक्सचेंजों में 49 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई है।

<sup>5</sup> 2012-13 के लिए अंतिम आंकड़े।

1.18 जनवरी - अप्रैल 2013 के दौरान एक दायरे के भीतर रहा रुपया मई 2013 से कमजोर होने लगा। अन्य कारकों के साथ-साथ अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना और अप्रैल-मई 2013 के दौरान अपेक्षाकृत उच्च व्यापार घाटा ने भारतीय रुपए पर दबाव डाला है।

1.19 एक अलग परिप्रेक्ष्य से देखें तो, मंद वैश्विक विकास की पृष्ठभूमि पर अन्य उभरते हुए अर्थव्यवस्थाओं को भी सीएडी का विस्तार तथा विनिमय दरों (चार्ट 1.6) पर बदाव के मामले में सामान बाह्य क्षेत्र चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।


### राजकोषीय समेकन

1.20 उच्च राजकोषीय घाटा भारत के लिए चिंता का विषय रहा है। संकटेत्तर अवधि के दौरान उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को भी संवृद्धि के समर्थन हेतु अपनी राजकोषीय नीतियों को शिथिल करना पड़ा है। 2013-14 के लिए वार्षिक बजट में भारत सरकार ने राजकोषीय समेकन के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और तदनुसार, 2013-14 के लिए सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) को सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 4.8 प्रतिशत पर अधिकीलित किया गया है, और वर्ष 2016-17 के लिए यह 3.0 प्रतिशत तक कम होने का पूर्वानुमान किया गया है। यह अनुमान लगाया है कि 2012-13 के दौरान का राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमानित 5.2 प्रतिशत से 4.9 प्रतिशत तक घटा है।

### सरकारी उधार कार्यक्रम - प्रतिफल पर असर


1.21 प्रतिफल और एधार की लागत पर संभावित प्रभाव कुल उधार आवश्यकताओं के आकार पर निर्भर करता है, जिसमें अन्य बातें जैसे गैर सरकारी क्षेत्र से ऋण मांग और ब्याज दर चक्र के साथ-साथ परिपक्व ऋण का पुनर्वित्तपोषण भी शामिल है। 2013-14 के लिए सरकार की निवल बाजार उधार रु.5.04 ट्रिलियन पर अधिकीलित किया गया है जो 2012-13 (आरई) के रु.5.13 ट्रिलियन से कम है। साथ ही, अनुमानित सकल राजकोषीय घाटे(जीडीएफ) की गति, के संबंध में वित्त मंत्री द्वारा अक्टूबर 2012 में बनाए गए 'राजकोषीय रोडमैप और समेकन' के अनुसार, निवल बाजार उधार आने वाले कुछ वर्षों में घट सकता है। हालांकि, अगले कुछ वर्षों में प्रतिदान दबाव में तेज वृद्धि को देखते

चार्ट 1.5: भारत के सोने का आयात



स्रोत: आरबीआई

चार्ट 1.6 : चालू खाता शेष और विनिमय दर संचलन



नोट : 2013 के लिए चालू खाता शेष डाटा आईएमएफ द्वारा आकलित है। चार्ट 1.6 ii में पोसिटिव परिवर्तन मूल्यवृद्धि को तथा निगेटिव परिवर्तन मूल्यहास को दर्शाता है।

स्रोत: आईएमएफ और ब्लूबर्ग

हुए कम निवल उधारराशियों का लाभ उच्च पुनर्वित्त की जरूरत से नकार होने की संभावना है (चार्ट 1.7)। सरकारी प्रतिभूतियां (जी-सेक) के बाय बैक/स्विचेस का प्रयोग रिडेम्पशन का दबाव कम करने और ह्रस्व से मध्यम अवधि में रोलओवर जोखिम को कम करने के लिए किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2013-14 में पहले से ही चालू वित्त वर्ष के दौरान रु.500 बिलियन के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम की घोषणा की है।


1.22 ऋण/जीडीपी अनुपात, के मामले में भारत की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है, लेकिन सरकारी कर्ज के धरणीय स्तर एक देश-विशेष का मुद्दा है, तथा अन्य बातों के साथ-साथ, यह जीडीपी की तुलना में कर अनुपात पर निर्भर भी हैं। (चार्ट 1.8)

### इक्विटी बाजार

1.23 हालांकि कुछ आंतरिक सुधार के साथ, एफआईआई के समर्थन के सहारे भारत के इक्विटी बाजार में 2012 के मध्य तक वृद्धि प्रवृत्ति पाई गई है। अमरिका में बॉड के खरीद की कमी/प्रत्याहार की घोषणा, भारत के इक्विटी बाजार सहित वैश्वक इक्विटी बाजार में अस्थिरता का कारण बना है। एफआईआई जो निवल खरीदारा थे वे जून (20 जून 2013 तक) में निवल विक्रेता बन गए और बाजार द्वारा अपरंपरागत मौद्रिक नीति के संभावित परिवर्तन से संबंधित खबरों के लिए स्वाभाविक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन किया गया है।


1.24 हालांकि अनुषंगी बाजार में हाल की तक मजबूत प्रदर्शन देश गया है, परंतु प्राथमिक इक्विटी बाजारों में सहवर्ती सुधार नहीं हुआ है। बीएसई सेंसेक्स की तुलना में बीएसई आईपीओ सूचकांक के प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजारे रहा है (चार्ट 1.9)।

चार्ट 1.7: भारत सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम : प्रतिदान




स्रोत: आरबीआई

चार्ट 1.8: जीडीपी की तुलना में कर्ज अनुपात



स्रोत: डब्ल्यूईओ, आईएमएफ

चार्ट 1.9 बीएसई आईपीओ सूचकांक बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी (दिसंबर 2009=100)



स्रोत: बीएसई और ब्लूमबर्ग


सारणी 1.2: इक्विटी बाजार में स्रोतों को जुटाना : पब्लिक और राइट्स इश्युज								
इश्यु के प्रकार	2009-10		2010 - 11		2011 -12		2012- 13	
	इश्यु की संख्या	राशि (बिलियन में)						
पब्लिक	44	467.4	58	486.5	35	104.8	33	65.3
राइट्स	29	83.2	23	95.0	16	23.8	16	89.4
कुल	73	550.6	81	581.6	51	128.6	49	154.7

स्रोत: सेबी

1.25 अत्यंत कमजोर मैक्रोआर्थिक प्रदर्शन और कमजोर निवेश वातावरण ने कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए इक्विटी बाजार के माध्यम से संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहन को कम कर दिया है। (सारणी 1.2)

1.26 परिणामतः निजी प्लेसमेंट बाजार में कंपनियों के बॉण्ड (चार्ट 1.10) के लिए स्रोत जुटाने की गतिविधियों में वृद्धि आई है, जबकि अविकसित कंपनी कर्ज बाजार पर बहस जारी है (बॉक्स 1.2)

चार्ट 1.10: कॉर्पोरेट बांड द्वारा स्रोतों को जुटाना



स्रोत: सेबी

### बॉक्स 1.2 : भारत में कंपनी बॉण्ड बाजार: वर्तमान की कुछ समस्याएं

पिछले दो दशकों से इस बात पर बहस चल रही थी जो कि हाल ही में काफी तेज हो गई कि क्या भारत में जीवंत कंपनी बॉण्ड बाजार विकसित करने की जरूरत है। यद्यपि भारत में कंपनी बॉण्ड बाजार विकसित करने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसमें कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। यहां अब मूल प्रश्न यह है कि क्या किसी उत्पाद विशेष के लिए बाजार स्वयं विकसित हो जाते हैं अथवा इन्हें विकसित किए जाने चाहिए। इस प्रकार की दुविधा को दूर करने का सबसे सरल तरीका यह है कि सामान्य रूप से बाजार को तब तक स्वयं विकसित होने देना चाहिए, जब तक कि आर्थिक व्यय ऐसे उत्पादों के लिए बाजार से प्राप्त सामाजिक-आर्थिक लाभ से अधिक न हो जाए।

जब तत्कालीन दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने वाली संस्थानों को या तो पूर्ण रूप से वाणिज्यिक बैंकों के रूप में विकसित होने की अनुमति मिल गई थी या फिर वे लंबी अवधि के वित्त पोषण की आपूर्ति के संबंध में अप्रासंगिक हो गए थे, तब यह माना जाता था कि कड़े आस्ति देयता मानदंडों के बावजूद भी कंपनियों और परियोजनाओं के लिए इस प्रकार की लंबी अवधि वाले ऋण मुहैया कराने में बैंक सामने आयेंगे। बाद में जब सरकार ने वित्तीय सुधारों की शुरुआत और जब भारत के नए संवृद्धि पथ को अग्रसर रखने के लिए बुनियादी ढांचे (पावर क्षेत्र

सहित) में भारी निवेश की आवश्यकता हुई, तब लंबी अवधि के ऋण प्रदाताओं की जरूरत एक बार फिर से महसूस की गई। यहाँ रोचक बात यह है कि अन्य देशों में लोक कार्य-निर्माण के लिए सरकारों द्वारा निर्बाध वित्तीय पोषण प्रदान किया गया (उदाहरण स्वरूप जापान और चीन) और वह भी बॉण्ड बाजार से नहीं।

भारत में वित्त संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति मुख्य रूप से बैंकों द्वारा की जाती है और ऋण बाजार सरकार की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। बैंक सरकारी बांड को अपनी वैधानिक आवश्यकताओं और बांड की संप्रभु स्थिति के कारण अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। जबकि वर्तमान में बैंक बुनियादी ढांचे (पावर क्षेत्र सहित) की वित्तीय जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन बासेल III बैंक चलनिधि मानदंड जैसे चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) और निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) के लागू होने के पश्चात इस तरह की लंबी अवधि के निधीयन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि किसी वैकल्पिक व्यवस्था न होने की स्थिति में (जैसे प्रतिभूतीकरण, अंतरण वित्तपोषण इत्यादि) बैंक लंबी अवधि के लिए प्रोजेक्ट वित्तपोषण नहीं कर सकेंगे।

(जारी...)

(...समाप्त)

बैंकों द्वारा निजी बॉण्ड जारी करने के लिए ऋण संवर्धन/गारंटी प्रदान किए जाने के प्रावधान, जिसे भारत में बॉण्ड बाजार के विकास के लिए एक उपाय के रूप में अपनाया गया है, को लेकर कुछ चिंताएं हैं। ऋण संवर्धन कंपनियों की स्वयं की वित्तीय ताकत पर कंपनियों के बॉण्ड बाजार के विकास के लिए बाधक होगी और इससे कीमत निर्धारण प्रक्रिया को बिगाड़ सकता है। इसके अतिरिक्त बैंकों द्वारा ऋण संवर्धन पर निर्भरता से अधिकतम जोखिम बैंकिंग प्रणाली पर आ जाएगी। चीन, कोरिया और मिक्स जैसे देशों ने बैंकों को बैंक गारंटी देकर कंपनी बॉण्ड बाजार विकसित करने का प्रयास किया, लेकिन वे उसमें अधिक सफल नहीं रहे।

हाल ही में रिजर्व बैंक की एक समिति ने यह सिफारिश दी थी कि बैंकों को बॉण्ड बाजार को कवर करने और नियत दर पर लंबी अवधि के लिए ऋण प्रदान करने के लिए अधिकार दिया जाए।<sup>6</sup> वर्तमान में बैंकों को न्यूनतम 5 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले दीर्घावधि के बॉण्ड निर्गत करने की अनुमति है जो कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र में कम होती हुई परिपक्वता के लिए 5 वर्ष से अधिक अवधि के उनके जोखिम की सीमा तक हो सकता है। समिति का यह मत था कि जिन बैंकों ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए उनके उक्त जोखिम की हद तक के लिए लंबी अवधि वाले बॉण्ड जारी नहीं किए हैं, वे लंबी अवधि के बॉण्ड जारी करने के लिए उपलब्ध स्रोत का उपयोग लंबी अवधि के नियत दर ऋण उत्पाद के लिए कर सकते हैं।

इस संदर्भ में यह देखना रोचक है कि बैंक वित्तपोषण और बॉण्ड वित्तपोषण के दृष्टिकोण से यूएस और यूरो क्षेत्र (ईए) में वित्तीय बाजार किस तरह बदले हैं/स्थापित रख पाए हैं और क्यों प्रक्रियाओं/चलन में काफी अंतर रहा है। यह तर्क दिया गया कि कार्पोरेट वित्तीय प्रक्रियाएं मुख्यतः प्रचलित/वर्तमान विधिक एवं सांस्थानिक व्यवस्था (La Porta et al. 1997) के अनुसार की जाती हैं और यूएस तथा यूके जैसे देशों में जहां सामान्य कानून अपनाया जाता है, जिसमें शेयरधारकों और ऋणदाताओं को अधिक सुरक्षा प्रदान किया जाता है, पूंजी बाजार में सिविल कानून वाले देश जैसे फ्रांस और जर्मनी की तुलना में बेहतर और तीव्र वृद्धि हुई है।

दूसरे शब्दों में, अन्य बातों के समान होते हुए, ऋणदाताओं के लिए कानूनी संरक्षण का स्तर मध्यवर्ती बाजारों पर *अमध्यस्थ/स्वतंत्र* बाजारों का प्रभुत्व एक प्रमुख कारक है। इस तरह हम अमेरिका में एक मजबूत प्रतिभूति बाजार देखते हैं, जहाँ 80 प्रतिशत से भी अधिक निधि बैंकिंग क्षेत्र के बाहर से आता है, जबकि यूरो क्षेत्र में हम एक

मजबूत बैंक ऋण बाजार देख सकते हैं। लोगों ने यह भी तर्क दिया है कि केवल कानूनी संरक्षण से ही यूएस और यूरो क्षेत्र (ईए) के विभिन्न प्रक्रियाओं की *व्यख्या नहीं की जा सकती है/को नहीं समझा जा सकता है और यह कि यूरो क्षेत्र की स्थिति को संस्थाओं की ऋणप्रदान क्षमता के संबंध में अपेक्षाकृत कम उपलब्ध जन सूचनाएं और बैंकों द्वारा प्रदत्त सुगमता एवं सूचना प्रदान करने की उनकी भूमिका की अधिक आवश्यकता द्वारा समझा जा सकता है। व्याख्या की जा सकती है* (फियोरेला डी फियोरे, एफ. एण्ड एच. उलिंग, 2011)।

विभिन्न संस्थाओं द्वारा जारी इक्विटी और कर्ज में भी काफी अंतर है। एक तरफ इक्विटी सामान्यतः इस प्रकार पुनः जारी किया जाता है कि पुनः जारी किया गया इक्विटी मूल इक्विटी के प्रतिलोच्य हो, जबकि बॉण्ड की स्थिति में, चूंकि बॉण्ड जारी करना जारीकर्ता की आवश्यकता, जारी ब्याज दरों इत्यादि पर निर्भर करता है; इसलिए यह अत्यंत कठिन है कि कोई समरूप प्रकार का बॉण्ड जारी किया जाए जो कि पुनः जारी किए जा रहे बॉण्ड के समान व्यापारिक *चलनिधि/तरलतायुक्त* वाला हो। इस संदर्भ में यूरोप में कॉरपोरेट बॉण्ड के प्रति लोगों के बढ़ते रुझान को देखना रोचक है, जो कि इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कर्जदार स्पष्ट रूप से बैंक ऋणों को बॉण्ड द्वारा स्थानांतरित कर रहे हैं। अब नये बासेल चलनिधि मानदंडों के आने के बाद क्या हम वित्तीय प्रणाली में *पारस्परिक/आनुशांगिक* लाभ देख पाएंगे अर्थात् - अधिक सुनहरे बॉण्ड बाजारों का उद्भव? अथवा इन नये मानदंडों के लागू होने के कुछ समय पश्चात लंबी अवधि वाले वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के लिए पहले से चली आ रही विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं के समरूप बड़े पैमाने पर एक ढांचा तैयार करने की आवश्यकता है।

### संदर्भ

डी फियोरे, एफ. एण्ड एच. उलिंग (2011), “बैंक फाइनेंस वर्सेस बॉण्ड फाइनेंस”, जर्नी ऑफ मनी, क्रेडिट एण्ड बैंकिंग, 43, (7), pp. 1395-1418

ला पोर्टा, राफेल, एफ. एल. डी. सिलैन्स, ए शिलफर एण्ड आर. डब्ल्यू विशनी (1997), “लीगल डीटरमिनेंट्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस, नैशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, डब्ल्यूपी - 5879

<sup>6</sup> बैंकों द्वारा लंबी अवधि के लिए नियत दर पर अधिक ऋण उत्पाद की संभाव्यता के लिए बनी समिति की रिपोर्ट 2013


### अर्थव्यवस्था में बचत

1.27 वर्ष 2011-12 में सकल घरेलू बचत सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में, जो वर्ष 2007-08 में 36.8 प्रतिशत थी, से गिरकर 30.8 प्रतिशत हो गयी। अधिकांशतः यह गिरावट लोगों के वित्तीय बचत में हुई गिरावट के कारण हुआ है जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 11.6 प्रतिशत था परंतु उक्त अवधि के दौरान यह गिरकर सकल घरेलू उत्पाद का 8 प्रतिशत हो गया है। हाल में, वित्तीय आस्तियों का अचल संपत्ति में बदलना, सोना के भाव में तेजी आना, मंहगाई, देश भर में बैंकिंग सेवाओं का धीमी गति से पहुँचना, उत्पादों के गलत ढंग से बिक्री तथा वित्तीय धोखा-धड़ी के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय संस्थानों की विश्वसनीयता, बैंक जमा पर लो पोस्ट टैक्स रिटर्न, नकारात्मक/कम वास्तविक ब्याज दर ईत्यादि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हल करने की सख्त आवश्यकता है ताकि गैर वित्तीय बचतों को वित्तीय बचत की ओर रूख किया जा सके। सरकार वित्तीय बचत को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठा रही है। इन्फ्लेशन इंडेक्स बांड का जारी करना, इस प्रकार के उठाए जाने वाले कदमों में से एक है।

### गृह निर्माण बाजार


1.28 एक उभरते बाजार की अर्थव्यवस्था में अधिकांश लोगों के लिए गृह निर्माण एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण निर्णय होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कहा जाता है कि गृह निर्माण क्षेत्र का संबंध लगभग 250 उप-क्षेत्रों से है। भारतीय अर्थव्यवस्था में गृह निर्माण क्षेत्र को महत्व देते हुए इस क्षेत्र की निगरानी आवश्यक है। हाल के बीते समय में यह देखा गया है कि भारत के कुछ महानगरों में घरों की कीमत में काफी वृद्धि हुई है (चार्ट 1.14)। हालांकि इस क्षेत्र को दिए जाने वाले बैंक ऋणों की वृद्धि में कमी आई है (चार्ट 1.13)। आगे, गृह निर्माण क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण का हिस्सा मार्च 2013 के अंत में गिरकर 9.5 प्रतिशत तक पहुँच गया जो अप्रैल 2007 में 13.3 प्रतिशत था (चार्ट 1.14)। पिछले तीन सालों में गृह ऋण श्रेणी में अनर्जक आस्तियों में भी गिरावट हुई है। हालांकि, कुछ मामलों में कुछ चिंताएं हैं जो कि पूर्ण रूप से डेवलपरो को घर खरीदनेवालों द्वारा दी जाने वाली निर्माण वित्त से जुड़ी हुई है तथा डेवलपरो के लिए निर्माण वित्त की उपलब्धता की समस्या बराबर के स्तर पर उन लोगों के साथ घर खरीददारों के लिए भी है।

चार्ट 1.11: भारतीय अर्थव्यवस्था में बचत




स्रोत: आरबीआई

चार्ट 1.11: भारत: गृह मूल्य संकेतक (2009 ति1 = 100)



स्रोत: एनएचबी

चार्ट 1.13: गृह निर्माण क्षेत्र को दिए जाने वाले बैंक ऋण में वृद्धि



स्रोत: आरबीआई

<sup>7</sup> डेटा अनंतिम है तथा चयनित 47 बैंकों से संबंधित है जो सभी वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा प्रदत्त कुल नॉन फूड क्रेडिट के 95 प्रतिशत के बराबर है।


1.29 इस क्षेत्र पर अत्यंत ही सूक्ष्म तरीके से निगरानी किए जाने की आवश्यकता है चूँकि मुंबई जैसे महानगरों के कुछ भागों में मूल्य - वार्षिक किराया अनुपात का 50 के उच्च स्तर तक बने रहने के संकेत हैं। इसके साथ इस क्षेत्र की संपूर्ण स्थिति और प्रवृत्ति को आंकने के लिए मूल्य तथा परिमाण सूचकों के अलावा अन्य संकेतकों तथा गृह निर्माण क्षेत्र ऋण को भी विकसित करने की आवश्यकता है। संकेतक जैसे कि गृह मूल्य से प्रयोज्य घरेलु आय का अनुपात, घरेलु वित्तीय जिम्मेदारियों से घरेलु प्रयोज्य आय का अनुपात, भूमि मूल्य सूचक, निर्माण लागत सूचक, और मूल्य - किराया अनुपात, घरों के स्वामित्व संबंधी सूचनाएं आदि उन संकेतकों में से हैं जिन्हें विकसित किए जाने की आवश्यकता है। विभिन्न मूल्य वर्गों में मांग आपूर्ति असंतुलन भी उपयोगी नीतिगत इनपुट प्रदान कर सकता है।

1.30 रीअल इस्टेट के लेन-देन में अधिक पारदर्शिता उपभोक्ता संरक्षण तथा धन शोधन निवारण दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो रही है। सूचनाओं के आदान प्रदान, पारदर्शिता, घर मालिकों की सुरक्षा में सुधार लाने तथा एक स्वस्थ व व्यवस्थित वृद्धि को सहायता प्रदान करने के क्रम में रीअल इस्टेट को विनियमित करने के लिए एक कानून बनने वाला है। प्रस्तावित राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) बिल, 2012 भारतीय रिजर्व बैंक को गृह निर्माण वित्तीय कंपनियों को रजिस्टर करने तथा विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है।

### चलनिधि: बैंकिंग तथा प्रणालीगत

1.31 बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि संबंधी शर्तों ने 2013 में, बारी-बारी से कभी सुविधाजनक चलनिधि तो कभी कठोर परिस्थितियों वाले चरणों से जुड़ी मिली जुली प्रवृत्ति दर्शायी। वित्तीय वर्ष 2012-13 के आरंभ में चलनिधि संबंधी स्थितियां सुविधाजनक हुईं, लेकिन कुल मिलाकर 2012-13 की पहली तिमाही में बैंकिंग व्यवस्था में चलनिधि की कमी / घाटा रिजर्व बैंक के सांकेतिक / सुविधाजनक स्तर से ऊपर रहा (अर्थात् बैंकिंग व्यवस्था के एनटीडीएल से +/- 1 प्रतिशत तक)। हालांकि 2012-13 की दूसरी तिमाही में स्थिति काफी सुधरी, लेकिन तीसरी तिमाही में खासतौर से 2012 के मध्य- अक्टूबर में भारतीय रिजर्व बैंक के पास निरंतर ऊँची बनी रही सरकारी शेष राशि और मुद्रा प्रचलन में बढ़ोत्तरी के कारण स्थिति काफी दबाव में आई। कठोर चलनिधि संबंधी स्थितियों के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 महीने बाद खुले

चार्ट 1.14: नॉन फूड क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में गृह निर्माण क्षेत्र ऋण का शेयर




स्रोत: आरबीआई

बाजार के परिचालन पुनः आरंभ किए। वर्ष की चौथी तिमाही में भी चलनिधि संबंधी स्थितियां कठोर बनी रहीं। कुल मिलाकर, बैंकिंग व्यवस्था में चलनिधि संबंधी स्थितियां वर्ष के पूर्वार्ध की अपेक्षा उत्तरार्ध में काफी अधिक कठोर थीं। कठोर चलनिधि संबंधी स्थितियों के बावजूद सरकारी बॉन्डों के प्रतिफल में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में बैंकिंग प्रणाली की चलनिधि सामान्यतः जून 2013 के आरंभ से बढ़ी है।

1.32 तथापि, प्रणालीगत चलनिधि सूचकांक(एसएलआई), जो बहु संकेतक दृष्टिकोण पर आधारित है और पूरी वित्तीय व्यवस्था-यानि कि बैंकिंग, गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र, कॉरपोरेट क्षेत्र तथा विदेशी मुद्रा बाजार में चलनिधि की अर्थसुलभता- के समग्र निधीयन परिदृश्य को आंकने का प्रयास करता है, दर्शाता है कि 2012-13 की चौथी तिमाही के दौरान चलनिधि परिस्थितियां सुधरीं।(चार्ट-1.15)

चार्ट 1.15: प्रणालीगत चलनिधि सूचक



नोट: शून्य से नीचे एस एल आई सुविधाजनक चलनिधि स्थितियों का द्योतक है, जबकि शून्य से ऊपर स्तर कठिन चलनिधि स्थितियां दर्शाता है।

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ गणना

### कॉरपोरेट प्रदर्शन

1.33 पिछले कुछ समय में भारत में कॉरपोरेट क्षेत्र दवाब में आया है। कुछ प्रमुख चर राशियों जैसे- बिक्री, लाभ मार्जिन बिक्री पर ईबीआईटीडीए (ब्याज, कर, मूल्यहास एवं परिशोधन पूर्व आय), ईबीआईटी (ब्याज एवं कर पूर्व अर्जन), ब्याज व्यय, शुद्ध लाभ आदि के आधार पर विश्लेषित करने से कॉरपोरेट क्षेत्र पर दवाब बढ़ता हुआ दिख रहा है। सामान्यतः, 2012-13 की तीसरी तिमाही में विक्रय और लाभ की वृद्धि दर घटी है। (सारणी- 1.3)


सारणी 1.3 : कॉरपोरेट क्षेत्र का प्रदर्शन					
	वित्तीय वर्ष12, तिमाही3	वित्तीय वर्ष12, तिमाही4	वित्तीय वर्ष13, तिमाही1	वित्तीय वर्ष13, तिमाही2	वित्तीय वर्ष13, तिमाही3
<b>संवृद्धि दर (वर्षानुवर्ष) प्रतिशत*</b>					
बिक्री	19.2	15.5	13.9	11.6	9.3
परिचालनगत लाभ (ईबीआईटीडीए)	-4.8	-0.5	-3.5	11.3	7.8
सकल लाभ (ईबीआईटी)	0.8	4.1	-2.6	18.9	5.5
ब्याज **	58.8	39.9	38.6	11.5	17.4
निवल लाभ	-28.8	-7	-11.1	23.8	23.6
<b>प्रतिशत में अनुपात</b>					
ब्याज भार	30.2	27	33	27.6	33.6
बिक्री से ईबीआईटीडीए	12.8	13.3	12.9	13.2	12.6
बिक्री से ईबीआईटी	11.7	12.6	11.6	12.8	11.3
<b>संवृद्धि दर (वर्षानुवर्ष) प्रतिशत#</b>					
बिक्री	6.1	9.6	-4.7	0.7	3.9
परिचालनगत लाभ (ईबीआईटीडीए)	2.4	13.7	-7.5	3.5	-0.9
सकल लाभ (ईबीआईटी)	2.9	18.5	-12.3	11.1	-8.7
ब्याज**	5.6	5.9	7.3	-7	11.2
निवल लाभ	-15.1	51.2	-17.9	17.4	-15.3

नोट\* 2437 कंपनियों से संदर्भित \*\* कुछ कंपनियों ब्याज निवल आधार पर रिपोर्ट करती हैं # सामान्य कंपनियों

स्रोत: आरबीआई

1.34 भारतीय कॉरपोरेट संसाधन जुटाने के लिए अधिकाधिक अंतरराष्ट्रीय ऋण बाजार की ओर रुख कर रहे हैं।(चार्ट- 1.16) संभवतः यह अंतरराष्ट्रीय वित्तीयन व्यवस्था की सुधरी अवस्था के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार की घटी ब्याज दरों का फायदा उठाने के लिए है, लेकिन अरक्षित एक्सपोजर और ब्याज दरों में संभावी वृद्धि भारतीय कॉरपोरेटों पर दबाव बढ़ा सकती है। बैंकों को अपने कॉरपोरेट ग्राहकों के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर से पैदा होने वाले जोखिम का कठोरता से मूल्यांकन करने और उन्हें निधि आधारित या गैर- निधि आधारित ऋण सुविधाएं देते समय ऋण जोखिम प्रीमियम में आंकने को कहा गया है, क्योंकि इनका प्रभाव बैंकों की आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता पर पड़ता है। बैंकों को उनके बोर्ड की अनुमोदित नीति के आधार पर कॉरपोरेटों की अरक्षित स्थिति की सीमा निर्धारित करने पर विचार करने को भी कहा गया है।

चार्ट 1.16 विदेशों में भारतीय कॉरपोरेट द्वारा जारी बॉन्ड



स्रोत : ब्लूमबर्ग

## अध्याय II

### वित्तीय संस्थाएं- सुदृढ़ता एवं आघात-सहने की क्षमता

दिसंबर 2012 में पिछले एफएसआर के प्रकाशन के बाद बैंकिंग क्षेत्र को जोखिम में वृद्धि हुई है। आस्ति की गुणवत्ता पर तनाव जारी है लेकिन मार्च 2013 को समाप्त तिमाही के दौरान उसमें कुछ सुधार पाया गया है। ऋण तथा जमाराशियों में हुई वृद्धि तथा आस्ति की गुणवत्ता में हुए पारिवर्तनों में उल्लेखनीय 'मोसमीयापन' दिखाई दिया है।

बैंकों की ईक्विटी कीमतों में सह-उतार-चढ़ाव पर आधारित विभिन्न स्थिरता उपायों से यह प्रतीत होता है कि बैंकिंग प्रणाली के भीतर पिछले वर्ष के दौरान जो विपत्तिकालीन निर्भरताएं बढ़ रहीं थीं, वे अब कम होती जा रही हैं। जैसे कि नेटवर्क विश्लेषण में पाया गया है, अंतर-बैंक बाजार का अत्यधिक रूप से परस्पर संबद्ध होना जारी है। चलनिधि तथा ऋण-शोधन क्षमता संक्रमण के अनुरूपण से यह पाया गया है कि किसी बड़े बैंक के विफल होने से बैंकिंग प्रणाली पर गहरा असर पड़ता है। स्थूल दबाव परीक्षण यह दर्शाते हैं कि यदि वर्तमान समष्टि आर्थिक स्थितियां बनी रहती हैं तो वाणिज्यिक बैंकों की ऋण गुणवत्ता और खराब हो सकती है। तथापि विभिन्न जोखिमों पर किए गए ऊर्ध्वाधर (टॉप - डाउन) दबाव परीक्षण प्रयोगों से यह पाया गया है कि पूंजी पर्याप्तता के संबंध में बैंकों की सहज स्थिति ने उन्हें आघात सहने की क्षमता प्रदान की है।

चुनिंदा बैंकों द्वारा चलाए गए अधरोर्ध्व (बॉटम अप) दबाव परीक्षणों (संवेदनशीलता विश्लेषणों) के निष्कर्षों से भी सामान्यतः विभिन्न प्रकार के आघातों को सहने की बैंकों की क्षमता को सिद्ध किया है।


बीमा क्षेत्र के नया कारोबार प्रिमियम का पिछले दो वर्ष घटना जारी है। एकल प्रिमियम बीमा पॉलिसीज बीमा व्यवसाय विशेष रूप से जीवन बीमा निगम, का एक मुख्य हिस्सा है। जीवन बीमा के व्यवसाय में सातत्य के अनुपात भी चिंता का कारण बने रहे हैं। पेंशन क्षेत्र को विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई नई पेंशन प्रणाली के ग्राहकों की संख्या तथा कोष में तेजी से वृद्धि हुई है।

#### जोखिमों का मूल्यांकन - बैंकिंग क्षेत्र

2.1 पिछले एफएसआर<sup>1</sup> के प्रकाशन के बाद मार्च 2013 के अंत तक बैंकिंग क्षेत्र के प्रति जोखिम में सीमांत रूप से वृद्धि हुई है। जोखिम के सभी मुख्य आयामों पर होने वाले प्रभाव को जोड़ने वाला

बैंकिंग स्थिरता संकेतक, सितंबर 2010 (चार्ट-2.1) से बैंकिंग क्षेत्र में संवेदनशीलता में वृद्धि दर्शाता है। बैंकिंग स्थिरता को योगदान देनेवाले घटकों का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि महंगी चलनिधि, बिगड़ती हुई आस्ति गुणवत्ता तथा घटती हुई सुदृढ़ता का बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता को कम करने में मुख्य योगदान रहा

चार्ट 2.1: बैंकिंग स्थिरता संकेतक तथा घटक



टिप्पणी: संकेतक के मूल्य में वृद्धि निम्नतर स्थिरता दर्शाती है  
 स्रोत: भारिबैं पर्यवेक्षी विवरण तथा स्टाफ अभिकलन

टिप्पणी: केन्द्र से दूर होना जोखिम में वृद्धि दर्शाता है।

<sup>1</sup> दिसंबर 2012- सितंबर 2012 के अंत में आंकड़ों के संदर्भ में।

है। यह तुलनात्मक स्थिति बैंकिंग स्थिरता मैप (चार्ट 2.1) में भी दर्शाई गई है।

### विपत्तिकालीन निर्भरताएं तथा परस्पर संबद्धता

#### बैंकिंग स्थिरता उपाय (बीएसएम)- विपत्तिकालीन निर्भरता विश्लेषण

2.2 विपत्तिकालीन निर्भरताओं के प्रतिरूपण के प्रयोजन के लिए इस धारणा के आधार पर कि विपत्ति के समय बैंकों की वित्तीय स्थिति में प्रत्यक्ष तथा / अथवा अप्रत्यक्ष संबंधों के माध्यम से एक साथ गिरावट होती है, वित्तीय प्रणाली की बैंकों के विशिष्ट समूह<sup>2</sup> के संविभाग के रूप में संकल्पना की गई है। इन संबंधों में मुख्यतः बाजार दर पर अंकित आस्तियों के मूल्य, अंतरबैंक उधार, तथा सूचना की विषमताएं शामिल हैं।

2.3 बैंकों में विपत्तिकालीन निर्भरता के ढांचे पर आधारित बैंकिंग स्थिरता उपाय (बीएसएम), बैंकिंग सिस्टमस्ज मल्टिवेरियेट डेन्सिटी (बीएसएमडी)<sup>3</sup>(सेगोवियानो तथा गूडहार्ट, 2009) की तकनीक का प्रयोग करते हैं। बीएसएमडी तकनीक में विपत्ति के परस्पर-निर्भर ढांचे, जिसमें प्रणाली में बैंकों के बीच रैखिक तथा गैर रैखिक विपत्तिकालीन निर्भरताओं, दोनों को अभिगृहित किया जाता है, को ध्यान में लिया जाता है और निम्नलिखित को मापने के लिए साधन प्रदान किए जाते हैं: (i) किसी प्रणाली में बैंकों की सामान विपत्ति तथा (ii) किन्हीं विशिष्ट बैंकों के बीच विपत्ति। बीएसएमडी तकनीक में बैंकों के संविभाग में व्यक्तिगत तथा संयुक्त आस्ति, दोनों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव का प्रयोग किया जाता है और यह बीएसएमडी को बैंकों की दैनिक इक्विटी कीमत प्रतिफल के 99 प्रतिशत जोखिम पर मूल्य (वीएआर) पर आधारित प्रायोगिक तौर पर पाई गई बैंकों की विपत्ति की संभावनाएं ज़्रोबैबलिटिज औफ डिस्ट्रेस (पीओडी)<sup>4</sup> से व्युत्पन्न किया जाता है।


2.4 इस खंड में प्रस्तुत बीएसएम में बैंकिंग स्थिरता सूचकांक, विषाक्तता (टॉक्सिसिटी) सूचकांक तथा संवेदनशीलता सूचकांक शामिल हैं। जहां बैंकिंग स्थिरता सूचकांक प्रणाली में बैंकों की समान

विपत्ति को निर्दिष्ट करता है, वहां विषाक्तता तथा संवेदनशीलता सूचकांक विशिष्ट बैंकों के बीच की विपत्ति दर्शाते हैं।

#### प्रणाली में समान विपत्ति

2.5 विपत्ति की संयुक्त संभावनाओं (जेपीओडी) द्वारा मापित संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली की विपत्ति की संभावना में पिछले छः महीने के दौरान सीमांत रूप से गिरावट आई है। एक बैंक के विपत्तिग्रस्त होते हुए जितने बैंक विपत्तिग्रस्त हो सकते हैं, उनकी अपेक्षित संख्या को मापने वाले बैंकिंग स्थिरता सूचकांक (बीएसआई) की प्रवृत्तियों में दिसंबर 2010 से सितंबर 2012 तक की अवधि के दौरान उर्ध्वमुखी प्रवृत्ति (खराब परिस्थिति) दर्शाई है। सितंबर 2012 के बाद बीएसआई में पाई गई सीमांत गिरावट जो बैंकों के बीच की अंतर-निर्भरताओं का कुछ कम होने का संकेत देती है, फरवरी 2013 में पलट गई है (चार्ट 2.2)। यह पाया गया है कि वैश्विक वित्तीय संकट के चरम स्तर के दौरान पाई गई विपत्ति की तुलना में जेपीओडी तथा बीएसआई द्वारा परिमाणित की गई प्रणाली में समान विपत्ति वर्तमान में उल्लेखनीय रूप से कम है। जेपीओडी तथा बीएसआई न केवल अलग-अलग बैंकों की विपत्ति की संभावनाओं को ध्यान में लेते हैं बल्कि ये उपाय बैंक के विपत्ति निर्भरता को भी अंतःस्थापित करते हैं। अतः इन उपायों को अलग-अलग बैंकों

चार्ट 2.2: जेपीओडी तथा बीएसआई में उतार-चढ़ाव



स्रोत: ब्लूमबर्ग डेटा तथा भारिबै स्टाफ अभिकलन

<sup>2</sup> यह अध्ययन चुने हुए 15 मुख्य बैंक जिनके इक्विटी कीमत संबंधी आंकड़े उपलब्ध हैं पर आधारित है। ये भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल आस्तियों के 60 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

<sup>3</sup> कृपया ब्यौरों के लिए अनुबंध 2 देखें।

<sup>4</sup> बैंकों के पीओडी उनके इक्विटी कीमत प्रतिफलों से अनुमानित किए गए हैं। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत पहले बैंक के इक्विटी प्रतिफलों के ऐतिहासिक वितरणों का अनुमान लगाया जाता है। उसके बाद ऐतिहासिक रूप से सबसे बदतर 1 प्रतिशत मामलों (99 वीएआर) के अंतर्गत आनेवाली प्रतिफल संभावनाओं को परिमाणित किया जाता है। अतः किसी विशिष्ट बैंक का पीओडी इस संभावना का प्रतिनिधित्व करता है कि बैंक का इक्विटी प्रतिफल अंतिम हिस्से (ऐतिहासिक एक पर्सेंटाइल) में होगा।

के पीओडी द्वारा अनुभव की गई वृद्धियों से बड़ी तथा गैर रैखिक वृद्धियों का अनुभव हो सकता है।

### बैंकों के बीच विपत्ति संबंध

2.6 विषाक्तता सूचकांक (टीआई) यह औसत संभावना है कि कोई विपत्तिग्रस्त बैंक प्रणाली में अन्य किसी बैंक को विपत्ति में डाल सकता है जबकि संवेदनशीलता सूचकांक (वीआई) प्रणाली में अन्य बैंकों में विपत्ति आने से किसी बैंक के विपत्तिग्रस्त होने की औसत संभावना है। दोनों सूचकांकों ने बीएसआई के साथ परस्पर उतार-चढ़ाव दर्शाया है जो कि चयनित बैंकों की विषाक्तता तथा संवेदनशीलता के कम होने के संकेत देता है (चार्ट 2.3)।


### नेटवर्क विश्लेषण<sup>5</sup>

#### अंतर बैंक बाजार

2.7 भारतीय वित्तीय प्रणाली पर बैंक हावी हैं। मार्च 2013 के अंत में अंतर बैंक एक्सपोजर (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बीच एक्सपोजर) 9.8 ट्रिलियन रुपये थे। बाजार में 62 प्रतिशत हिस्सा होने के कारण सरकारी क्षेत्र के बैंकों का भाग सबसे अधिक रहा, जिसके बाद लगभग 28 प्रतिशत हिस्से के कारण विदेशी बैंकों का भाग रहा।

2.8 कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में औसत अंतर बैंक उधार देना लगभग 11 प्रतिशत रहा जबकि कुल बाहरी देयताओं के प्रतिशत के रूप में अंतर बैंक उधार लेना लगभग 13 प्रतिशत रहा। तथापि कुछ बैंकों के लिए एक्सपोजर उल्लेखनीय रूप से अधिक था, जिसके कारण वे समग्र बैंकिंग प्रणाली में किसी भी प्रकार की अस्थिरता से होने वाले ऋण-शोधन क्षमता तथा चलनिधि से संबंधित आघातों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं (चार्ट 2.4 तथा 2.5)।


चार्ट 2.3: विशिष्ट बैंकों के बीच विपत्ति



स्रोत: ब्लूमबर्ग डाटा तथा भारिबैं स्टाफ अभिकलन

चार्ट 2.4: अंतरबैंक बाजार में उधार

(कुल आस्तियों का प्रतिशत)



स्रोत: भारिबैं स्टाफ का अभिकलन

<sup>5</sup> वित्तीय प्रणाली का विश्लेषण 165 संस्थाओं के नमूने पर आधारित है। इसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा चुनिंदा बीमा कंपनियां, आस्ति प्रबंधन कंपनियां, शहरी सहकारी बैंक, एनबीएफसी तथा विशेषीकृत वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं। इस विश्लेषण में प्रयुक्त नेटवर्क मॉडल को वित्तीय स्थिरता यूनिट, भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से प्रोफेसर शेरी मार्कोज(यूनिवर्सिटी आफ एसेक्स) तथा डॉ. सिमोन जियासांत (बाथ यूनिवर्सिटी) ने विकसित किया गया है।

2.9 अंतर बैंक मांग मुद्रा बाजार के नेटवर्क का विश्लेषण करने पर अंतर बैंक एक्सपोजरों के नेटवर्क की तुलना में श्रेणीबद्धता<sup>6</sup> का कम स्तर निर्दिष्ट होता है। मार्च 2013 के अंत में बाजार का आकार 213 बिलियन रुपये तथा उसका नेटवर्क ढांचा प्रभावी रूप से केवल दो स्तर दर्शाता है। प्रणाली में मुख्य उधारदाता होने के नाते बैंक इसके केंद्र में है। मांग मुद्रा बाजार में नेटवर्क का ढांचा यह दर्शाता है कि आंतरिक केंद्र के किसी भी उधारदाता के असफल होने पर बाजार की तरलता पर उल्लेखनीय असर पड़ेगा।

2.10 अंतरबैंक जमा प्रमाण-पत्र (सीडी) एक्सपोजरों का नेटवर्क मांग मुद्रा बाजार की तुलना में परस्पर संबद्धता की अधिक मात्रा दर्शाता है हालांकि इस बाजार में भी श्रेणीबद्धता का स्तर कम ही है। अंतरबैंक सीडी बाजार का संबद्धता अनुपात (कनेक्टिविटी रेशियो)<sup>7</sup> 9 प्रतिशत था, जब कि अंतर बैंक मांग बाजार के लिए वही अनुपात 1 प्रतिशत से कुछ ही अधिक था (चार्ट 2.6 तथा 2.7)। ये अनुपात कुल अंतरबैंक संबद्धता अनुपात जो कि 25 प्रतिशत के आस-पास है, से काफी कम हैं।


### गैर-बैंकिंग वित्तीय बाजार

2.11 आस्ति प्रबंधन कंपनियों तथा बीमा कंपनियों व्यापक वित्तीय प्रणाली की मुख्य गैर-बैंकिंग संस्थाएं हैं। इन दो क्षेत्रों द्वारा संयुक्त निवेश/उधार, जिसका ज्यादातर हिस्सा बैंकों में/को दिया गया है, 6.5 ट्रिलियन रुपये से अधिक है। बैंकिंग प्रणाली के प्रति इन संस्थाओं का एक्सपोजर इन संस्थाओं को बैंकिंग प्रणाली में किसी प्रकार की अस्थिरता के कारण होनेवाले ऋण-शोधन क्षमता संबंधी आघातों के प्रति संभाव्य रूप से संवेदनशील बनाता है।

2.12 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)<sup>8</sup> के कारोबार मॉडल उनकी चलनिधि संबंधी आवश्यकताओं के लिए उन्हें ज्यादातर बैंकों पर निर्भर बनाते हैं। वित्तीय प्रणाली में बैंकिंग क्षेत्र के बाद सबसे अधिक उधार लेनेवाले क्षेत्र में उनका दूसरा स्थान है। इस क्षेत्र का कुल उधार लगभग 3 ट्रिलियन रुपये है और एनबीएफसी द्वारा निवेश/ उधार दी गई राशि 1.2 ट्रिलियन रुपये है। इनमें से ज्यादातर एक्सपोजर निधि-आधारित हैं। एनबीएफसी की बैंकों


चार्ट 2.5: अंतरबैंक बाजार में उधार

(कुल बाहरी देयताओं का प्रतिशत)




स्रोत: भारिबैं स्टाफ का अभिकलन

चार्ट 2.6: अंतरबैंक मांग मुद्रा बाजार का नेटवर्क



स्रोत: भारिबैं स्टाफ का अभिकलन

चार्ट 2.7: अंतरबैंक जमा प्रमाणपत्र बाजार का नेटवर्क



स्रोत: भारिबैं स्टाफ का अभिकलन

<sup>6</sup> श्रेणीबद्धता तथा नेटवर्क ढांचों के व्यौरों के लिए कृपया अनुबंध -2 देखें।

<sup>7</sup> संबद्धता अनुपात की गणना किसी नेटवर्क में कुल सभी संभाव्य संबंधों की तुलना में संबंधों की वास्तविक संख्या के रूप में की जाती है।

<sup>8</sup> लिए गए नमूने में देश की 35 शीर्ष (जमा राशि लेने वाली तथा जमाराशि न लेने वाली, दोनों) एनबीएफसी शामिल हैं।

पर निर्भरता उन्हें बैंकिंग प्रणाली में किसी भी प्रकार की अस्थिरता से निर्माण होनेवाले चलनिधि संबंधी आघातों के प्रति संवेदनशील बनाती है (चार्ट 2.8)।

### संक्रामक विश्लेषण


2.13 नेटवर्क साधनों के साथ किए गए संक्रामक विश्लेषण का उपयोग निवल उधारकर्ताओं के दिवालियापन के कारण बैंकिंग प्रणाली में आई विपत्ति के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। यह प्रयोग एक ऐसा दबाव परीक्षण है जो बैंक की विफलता की संभाव्यता को ध्यान में लिए बिना प्रणाली में निवल उधारकर्ता की विफलता के प्रभाव को ध्यान में लेता है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि संक्रमण का कारण किसी मुख्य बैंक की विफलता है, ऐसी विफलता की संभावना समष्टि आर्थिक कारक तथा बैंक की अपनी वित्तीय स्थिति के अधीन होती है। सुशासित भारतीय बैंकिंग प्रणाली में ऐसी विफलता की संभावना बहुत कम है विशेषतः इसलिए क्योंकि विवेकपूर्ण विनियामक के पास सर्वांगी जोखिम की भी जिम्मेदारी है।

2.14 किसी बैंक में विपत्ति द्वारा हुए संक्रमण का विस्तार, बैंक को किस स्थिति के अंतर्गत “विपत्तिग्रस्त” समझा जाएगा उसे निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त मानदंडों के अधार पर परिवर्तित होगा और विपत्ति संबंधी मानदंड जितने कठोर होंगे उतने ही गंभीर संक्रमण संबंधी निष्कर्ष होंगे। इसे नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है। इस सारणी में विभिन्न विपत्ति स्थितियों का प्रयोग करते हुए संक्रमण प्रभाव को दर्शाया गया है (सारणी 2.1)।

### वित्तीय प्रणाली<sup>9</sup> में चलनिधि संक्रमक

2.15 वित्तीय प्रणाली के तीन मुख्य क्षेत्रों अर्थात् बैंकिंग क्षेत्र, बीमा क्षेत्र तथा म्यूच्यूल फंड क्षेत्र का विश्लेषण करने पर यह प्रकट होता है कि जिसने बड़े पैमाने पर उधार दिया हुआ है ऐसी किसी भी संस्था की विफलता का भविष्य में भी उल्लेखनीय प्रभाव होगा। जैसा कि उपर्युक्त पैरा 2.11 में कहा गया है, बीमा कंपनियां तथा आस्ति प्रबंधन कंपनियां वित्तीय प्रणाली में निधि प्रदाता का कार्य करती हैं तथा किसी भी विफलता से प्रणाली पर चलनिधि संबंधी गंभीर

चार्ट 2.8: वित्तीय प्रणाली का नेटवर्क



स्रोत: भारिबैं स्टाफ का अभिकलन

सारणी 2.1: पांच बड़े उधारकर्ता बैंकों में से एक के विपत्तिग्रस्त हो जाने के कारण संक्रमण

विपत्ति के मानदंड	लिवरेज अनुपात 3 प्रतिशत से कम हो जाने की स्थिति में बैंक विपत्तिग्रस्त है		यदि बैंक अपनी पूंजी में से 25 प्रतिशत से अधिक पूंजी गवाता है तो बैंक विपत्तिग्रस्त है		बैंक का स्थाई पूंजी अनुपात 6 प्रतिशत से कम होता है तो बैंक विपत्तिग्रस्त है	
	विपत्तिग्रस्त हो जाने वाले बैंकों की संख्या	बैंकिंग प्रणाली को हुई पूंजीगत हानि का प्रतिशत	विपत्तिग्रस्त हो जाने वाले बैंकों की संख्या	बैंकिंग प्रणाली को हुई पूंजीगत हानि का प्रतिशत	विपत्तिग्रस्त हो जाने वाले बैंकों की संख्या	बैंकिंग प्रणाली को हुई पूंजीगत हानि का प्रतिशत
A	3	7.5	24	20.2	13	20.2
B	3	11.9	14	18.0	11	18.0
C	1	5.6	7	7.6	3	7.6
D	2	8.0	7	10.0	3	10.0
E	1	6.0	2	6.6	2	6.6

स्रोत: भारिबैं स्टाफ का अभिकलन

सारणी 2.2: किसी एक बड़े उधारदाता/ निवेशकर्ता के विपत्तिग्रस्त हो जाने से वित्तीय प्रणाली में चलनिधि संक्रमण

प्रारंभ करने वाली संस्था	वित्तीय प्रणाली को पूंजीगत हानि का प्रतिशत	वित्तीय प्रणाली को चलनिधि आरक्षित निधि हानि का प्रतिशत	विपत्तिग्रस्त होनेवाली संस्थाओं की संख्या
A	18.2	103.6	49
B	12.4	70.4	30
C	9.4	53.4	30
D	7.3	41.8	18
E	7.0	40.2	19

स्रोत: भारिबैं स्टाफ का अभिकलन

<sup>9</sup> कृपया अनुबंध-2 देखें।

दबाव आ सकता है (सारणी 2.2)। चलनिधि संक्रमण कैसे समाप्त (प्ले आउट) होगा उसका स्टाइलाइज्ड प्रतिरूप चार्ट 2.9 में दर्शाया गया है।

### अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी)


2.16 एससीबी ने क्रमशः मार्च 2012 (16.9 प्रतिशत) तथा सितंबर 2012 (15.8 प्रतिशत) की तुलना में मार्च 2013 में 15.1 प्रतिशत पर साल-दर-साल(सा-द-सा) आधार पर निम्नतर ऋण वृद्धि रिकार्ड की। तथापि सभी एससीबी की सा-द-सा जमाराशि संवृद्धि जो कि सितंबर 2012 में 14.3 प्रतिशत थी, मार्च 2013 में सीमांत रूप से बढ़कर 14.4 प्रतिशत हो गई(चार्ट 2.10)। मार्च 2013 के दौरान निम्नतर ऋण संवृद्धि के बावजूद एससीबी के ऋण ँच्छु अनुपात में तिमाही के दौरान सुधार हुआ। यह अनुपात सितंबर 2012 में 74.3 प्रतिशत से बढ़कर तिमाही में 76.5 प्रतिशत हुआ जिससे एससीबी की वृद्धिशील आस्तियों में ऋण का अधिक हिस्सा प्रकट होता है।

2.17 बैंक-समूह के स्तर पर विदेशी बैंकों को छोड़कर सभी अन्य बैंक-समूहों ने सितंबर 2012 की तुलना में मार्च 2013 में निम्नतर ऋण संवृद्धि तथा उच्चतर जमा संवृद्धि रिकार्ड की। विदेशी बैंकों की ऋण संवृद्धि में सितंबर 2012 में 6.5 प्रतिशत से मार्च 2013 में 14.6 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई जब कि इस बैंक-समूह की जमा संवृद्धि में सितंबर 2012 के 8.2 प्रतिशत से मार्च 2013 में 4.0 तक की गिरावट आई। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने मार्च 2013 में क्रमशः 14.2 प्रतिशत तथा 14.0 प्रतिशत की ऋण तथा जमा संवृद्धि दर्ज की(चार्ट 2.10)।

### भारतीय बैंकों की ऋण तथा जमा गतिविधियों में मौसमीपन


2.18 यह देख सकते हैं कि ऋण की सुपुर्दगी तथा जमाराशि संग्रहण के संबंध में बैंकों के कार्य निष्पादन में वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान सुधार आ जाता है। आस्ति गुणवत्ता संकेतक भी वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान सुधार दर्शाते हैं। जहां ऐसी घटना के लिए कुछ व्यावसायिक कारण हो सकते हैं, वहीं व्यापक तौर पर यह देखा गया है कि बैंक वर्ष समाप्ति के तुलन-पत्रों के

चार्ट 2.9: वित्तीय प्रणाली<sup>10</sup> में चलनिधि संक्रमण



स्रोत: भारिबैं स्टाफ का अभिकलन

चार्ट 2.10: ऋण तथा जमा संवृद्धि : साल-दर-साल आधार पर



टिप्पणी: सरकारी क्षेत्र के बैंक(पीएसबी), निजी क्षेत्र के नए बैंक(एनपीबी), पुराने निजी बैंक(ओपीबी), तथा विदेशी बैंक(एफबी)

स्रोत: भारिबैं पर्यवेक्षी विवरणियां


<sup>10</sup> चार्ट के मध्य में जो काला बॉल है वह उस संस्था का प्रतिनिधित्व करता है जिससे विपत्ति का प्रारंभ(ट्रिगर) हुआ है। ट्रिगर संस्था के दबाव में आने के परिणाम स्वरूप प्रणाली में चलनिधि तनाव निर्माण हुआ है। लाल त्रिकोण उन संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि अपने चलनिधि बफर तथा प्रतिदेय आस्तियों का प्रयोग करने के बाद भी तनाव से उभर नहीं सकती हैं। हरे रंग के बॉल जिनसे और संक्रमण निर्माण (वाण चिन्ह से दर्शाया गया) हो रहा है वे संस्थाएं हैं जो अपने बफर तथा प्रतिदेय आस्तियों, दोनों का प्रयोग करते हुए तनाव से उभर आई हैं। जिन हरे बॉल से कोई संक्रमण निर्माण नहीं होता है वे ऐसी संस्थाएं हैं जो कि केवल अपने चलनिधि बफर का प्रयोग करते हुए तनाव से उभरती हैं।

लिए अपने कार्यनिष्पादन को सुधारने के लिए विभिन्न कार्यनीतियां अपनाते हैं। प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में मिलने वाले प्रोत्साहनों के प्रलोभनों के कारण बैंक ऐसा दिखावा करने के लिए मजबूर होते होंगे।

2.19 व्यवहारजन्य पहलू को समझने के लिए ऋण, जमा, गिरावट अनुपात, वसूली तथा बट्टे खाते डालने<sup>11</sup> के मौसमी कारकों का प्रायोगिक विश्लेषण किया गया है। इस विश्लेषण का निष्कर्ष यह दर्शाता है कि ऋण तथा जमा, दोनों में उल्लेखनीय मौसमीयापन है जो कि उन्हें वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान बढ़ाती है (चार्ट 2.11)।

2.20 एससीबी के ऋण तथा जमा में तिमाही-दर-तिमाही संवृद्धि पिछली तिमाही के क्रमशः 4.6 प्रतिशत तथा 2.1 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2013 में क्रमशः 7.3 प्रतिशत तथा 6.9 प्रतिशत हो गई। तथापि मौसमी रूप से समायोजित ऋण तथा जमा में तिमाही-दर-तिमाही संवृद्धि पिछली तिमाही के क्रमशः 3.7 प्रतिशत तथा 3.2 प्रतिशत से कम होकर मार्च 2013 में क्रमशः 3.4 प्रतिशत तथा 2.9 प्रतिशत हो गई। इससे यही निर्दिष्ट होता है कि मार्च 2013 के दौरान सुधारित ऋण तथा जमा संवृद्धि मुख्यतः मौसमी कारक की वजह से थी (चार्ट 2.12)।


चार्ट 2.11: ऋण तथा जमा के मौसमी कारक<sup>12</sup>



**टिप्पणी:** किसी परिवर्तनीय वस्तु में मौसमीयापन न होने की स्थिति में सभी चार तिमाहियों के मौसमी कारक 100 (औसत) होने चाहिए। किसी तिमाही का मौसमी कारक 100 से अधिक होने पर यह प्रकट होता है कि मौसमीयापन के कारण उस तिमाही में चर वस्तु का मूल्य अधिक है जबकि उसके 100 से कम होने पर यह प्रकट होता है कि मौसमी कारक उक्त चर वस्तु को नीचे ला रहा है।

**स्रोत:** भारिबै पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टाफ के अभिकलन

चार्ट 2.12: ऋण तथा जमा में मौसमीयापन



स्रोत: भारिबै पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टाफ के अभिकलन

<sup>11</sup> आस्ति गुणवत्ता में मौसमीपन से संबंधित निष्कर्षों पर पैरा सं.2.35 में चर्चा की गई है।  
<sup>12</sup> X12-ARIMA पद्धति का प्रयोग करते हुए मौसमी कारकों का अनुमान लगाया गया है।

### ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन

2.21 पिछले दो वर्षों में क्षेत्रवार ऋण आबंटन के समग्र वितरण में कोई बड़े परिवर्तन नहीं हुए। इस खंड में कृषि, निर्यात, मध्यम एवं लघु उद्यमों (एमएसई) और एनबीएफसी जैसे चुनिंदा क्षेत्रों में ऋण-प्रवाह के रुझानों का अध्ययन किया गया है। मार्च, 2013 के अंत तक कुल बैंक ऋण का लगभग 40 प्रतिशत इन क्षेत्रों को गया है (चार्ट 2.13)। 'अन्य' के अंतर्गत केंद्रीय और राज्य सरकारों को प्रदत्त अग्रिम, खाद्य ऋण, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को प्रदत्त अग्रिम आदि शामिल हैं।


2.22 कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण की वृद्धि सितंबर, 2012 के 29.8 प्रतिशत के मुकाबले मार्च, 2013 में भारी गिरावट दर्ज करते हुए 12.5 प्रतिशत पहुँच गई।

2.23 निर्यात ऋण में लगातार संकुचन जारी है, जोकि बढ़ते व्यापार घाटे के मद्देनजर नीति-निर्माताओं के लिए ध्यान आकृष्ट करने वाला मुद्दा बना हुआ है। इस क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण मुहैया कराने के लिए रिजर्व बैंक समय-समय पर उपाय करता रहा है। रिजर्व बैंक द्वारा गठित एक तकनीकी समिति<sup>13</sup> की हालिया रिपोर्ट में निर्यात क्षेत्र में ऋण-प्रवाह बढ़ाने, लेनदेन लागत घटाने और निर्यात एवं निर्यात-वित्तपोषण को प्रोत्साहन देने हेतु कई सिफारिशों की गई हैं।

2.24 रोजगार-सृजन की बड़ी क्षमता वाले एमएसई क्षेत्र में ऋण-वृद्धि मार्च, 2013 में तेजी से बढ़कर 25.6 प्रतिशत हो गई, जो मार्च, 2012 और सितंबर, 2012 में क्रमशः 7.6 प्रतिशत और 15.5 प्रतिशत थी। इस तिमाही में एमएसई क्षेत्र में दर्ज की गई ऋण-वृद्धि को बनाये रखने की जरूरत है ताकि इस क्षेत्र में समग्र ऋण-अभिनियोजन को बेहतर बनाया जा सके। खुदरा आवासन में भी ऋण-वृद्धि सितंबर, 2012 में 13.0 प्रतिशत से बढ़कर 16.4 प्रतिशत हो गई (चार्ट 2.14)।


2.25 एनबीएफसी क्षेत्र में बैंक-ऋण में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर गिरावट दर्ज की गई और यह सितंबर, 2012 के 32.5 प्रतिशत और मार्च, 2012 के 42.8 प्रतिशत के मुकाबले मार्च, 2013 में घटकर 13.6 प्रतिशत हो गई। ऑटो और उपभोक्ता ऋणों की माँग में कमी, सोने के बदले ऋण देने संबंधी सख्त नियम, एससीबी

चार्ट 2.13: ऋण-आबंटन- चुनिंदा क्षेत्र



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण

चार्ट 2.14: वर्ष-दर-वर्ष ऋण वृद्धि- चुनिंदा क्षेत्र



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण

<sup>13</sup> निर्यातकों को प्रदेय सेवाओं/सुविधाओं पर गठित तकनीकी समिति की रिपोर्ट

द्वारा एनबीएफसी को विशिष्ट उद्देश्यों हेतु दिए जाने वाले ऋणों को प्राथमिकता क्षेत्र की सूची से हटाना आदि इस गिरावट के पीछे कारण रहे हैं।

## सुदृढ़ता

### पूँजी पर्याप्तता

2.26 सिस्टम लेवल बासेल II जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात (सीआरएआर) सितंबर, 2012 के अंत में दर्ज 13.6 प्रतिशत के मुकाबले थोड़ा सुधरकर मार्च, 2013 के अंत में 13.8 प्रतिशत हो गया (चार्ट 2.15)। एससीबी की जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि सितंबर, 2012 के 14.5 प्रतिशत के मुकाबले मार्च, 2013 में 17.1 प्रतिशत थी। पूँजी में वृद्धि मुख्यतः टियर I पूँजी में बढ़ोतरी के कारण रही।


2.27 बैंक-समूह स्तर पर, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने न्यूनतम सीआरएआर दर्ज करना जारी रखा, जो मार्च, 2013 में 12.4 प्रतिशत था। इनके बाद पुराने निजी बैंकों का स्थान रहा (चार्ट 2.15)।

### लीवरेज

2.28 सभी एससीबी का टियर I लीवरेज अनुपात<sup>14</sup> सितंबर, 2012 के 6.1 प्रतिशत और मार्च, 2012 के 6.2 प्रतिशत के मुकाबले मार्च, 2013 में बढ़कर 6.4 प्रतिशत हो गया। यह कुल आस्तियों में वृद्धि की तुलना में टियर I पूँजी में उच्चतर वृद्धि के कारण हुआ (चार्ट 2.16)।


2.29 बैंकों की आस्तियों में जोखिम के रुझानों के साथ, बैंक-वार लीवरेज<sup>15</sup> का विश्लेषण किया गया। लीवरेज को पूँजी पर कुल आस्तियों के रूप में आँका गया (टियर I तथा टियर I एवं II दोनों का उपयोग करते हुए)। वहीं कुल आस्तियों की तुलना में आरडब्ल्यूए के अनुपात को आस्तियों के पोर्टफोलियो के जोखिम की डिग्री के संकेतक के रूप में लिया गया। यह देखा गया कि जिन बैंकों के कुल आस्तियों की तुलना में आरडब्ल्यूए के अनुपात कम हैं, उनका लीवरेज अधिक है (चार्ट 2.17)।

चार्ट 2.15: पूँजी पर्याप्तता



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण

चार्ट 2.16: एससीबी का लीवरेज अनुपात




स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण

<sup>14</sup> बासेल III के अंतर्गत, टियर I लीवरेज अनुपात को कुल आस्तियों की तुलना में टियर I पूँजी के अनुपात के रूप में पारिभाषित किया गया है। जितना अधिक अनुपात होगा, भेद्यता उतनी कम होगी।

<sup>15</sup> यहाँ लीवरेज का प्रयोग लीवरेज अनुपात से अलग है (बासेल III के अंतर्गत यथापारिभाषित)। लीवरेज को कुल आस्तियों की तुलना में पूँजी के अनुपात के रूप में लिया गया है।

चार्ट 2.17: बैंक-वार लीवरेज और उनकी आस्तियों का जोखिम- मार्च, 2013



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण और स्टाफ परिकलन

### हानि, प्रावधानीकरण और पूँजी पर्याप्तता का प्राक्कलन

2.30 भारत में बैंक वर्तमान समय में बैंकों की ऋण-हानि की पहचान के लिए, "उपगत हानि (इन्कर्ड लॉस) मॉडल" का अनुसरण करते हैं। इस दृष्टिकोण के तहत, पहचान-योग्य ऋण घटना के घटित होने पर ही, ऋणों के लिए प्रावधान किया जाता है। अतः हानियों का समय और आकलन, रिपोर्टिंग तारीख को हुई हानियों के आकलन पर आधारित होता है। यह मॉडल भविष्य में होने वाली हानियों की संभावना की पहचान करने की अनुमति नहीं देता। इसलिए यह भविष्य को देखने वाला दृष्टिकोण नहीं है। जैसा कि बीसीबीएस द्वारा सुझाया गया है, अब एक नए लेखा मानक (अकाउंटिंग स्टैंडर्ड) की ओर बढ़ने की जरूरत है, जो किसी ऋण-पोर्टफोलियो में संभावित

हानि के आकलन हेतु प्रत्याशित हानियों (ईएल) और अप्रत्याशित हानियों (यूएल) की अवधारणा पर आधारित हो (बॉक्स 2.1)। बैंकों से यूएल की भरपाई पूँजी से और ईएल की भरपाई प्रावधानों से की जानी अपेक्षित है। ईएल को सामान्यतः ऋण हानि वितरण के औसत के रूप में निकाला जाता है और इसमें अग्र-लक्षी तत्व (फॉरवर्ड-लुकिंग एलिमेंट) निहित है<sup>16</sup>।

2.31 प्रणाली स्तर पर एससीबी का आकलित ईएल मार्च, 2013 के अंत में कुल अग्रिम का लगभग 2.0 प्रतिशत था और आधारसीमा (बेसलाइन) परिदृश्य के अंतर्गत सितंबर, 2013 तक इसके 2.3 प्रतिशत तक बढ़ने की अपेक्षा है (सारणी 2.3)। कुल प्रावधानों<sup>17</sup> का मौजूदा स्तर मार्च, 2013 के अंत तक के कुल अग्रिमों का 2.6

सारणी 2.3: एससीबी की अनुमानित हानियाँ

(कुल अग्रिमों का प्रतिशत)

अंतिम तिमाही	प्रत्याशित हानि			अप्रत्याशित हानि			प्रत्याशित कमी(शॉर्टफॉल)		
	आधारभूत	मध्यम दबाव	गंभीर दबाव	आधारभूत	मध्यम दबाव	गंभीर दबाव	आधारभूत	मध्यम दबाव	गंभीर दबाव
मार्च-13*	2.0	-	-	6.9	-	-	7.0	-	-
सित-13	2.3	2.5	2.8	7.2	7.8	8.5	7.3	8.0	8.7
मार्च-14	2.1	2.6	3.1	7.0	7.9	8.8	7.1	8.0	9.0

\* मार्च, 2013 को समाप्त तिमाही के लिए हानियों का अनुमान पाए गए आँकड़ों पर आधारित है।

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण और स्टाफ परिकलन

<sup>16</sup> अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, यह सुझाया गया है कि अनुमानित हानियों (ईएल और यूएल) वाला दृष्टिकोण अगले एक वर्ष के लिए प्रावधान करने और पूँजी बनाने के उद्देश्य से प्रयोग किया जाए। पीडी वार्षिक गिरावट के आधार पर निकाला जाता है। चूंकि इस अध्ययन का उद्देश्य एससीबी द्वारा किए जा रहे प्रावधानों की पर्याप्तता और पूँजी के स्तरों का आकलन करना है, न कि अगले एक वर्ष के लिए प्रावधान और पूँजी के वांछित स्तर का अनुमान करना, इसलिए यहाँ प्रयुक्त पीडी जीएनपीए पर आधारित है।

<sup>17</sup> कुल प्रावधान में ऋण-हानियों के लिए प्रावधान, मानक अग्रिमों के लिए जोखिम प्रावधान और पुनर्गठित मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान शामिल हैं।)


### बॉक्स 2.1 हानियों का प्राक्कलन

#### अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रत्याशित हानि, अप्रत्याशित हानि और प्रत्याशित कमी

सामान्यतः ईएल को ऋण हानि वितरण के औसत के रूप में निकाला जाता है और इसमें अग्र-लक्षी तत्व (फॉरवर्ड-लुकिंग एलिमेंट) निहित होता है, क्योंकि यह चूक की संभावना का चक्र-पारगामी दृष्टिकोण (थू-दी-सायक्ल व्यू) समाविष्ट करने में सक्षम है।

प्रत्याशित हानि, अप्रत्याशित हानि और प्रत्याशित कमी को दर्शाने वाला हानि-वितरण का एक चित्र इस चार्ट में दिखाया गया है:

चार्ट: ऋण पोर्टफोलियो का हानि-वितरण



इन हानियों के प्राक्कलन के लिए निम्नलिखित परिभाषाएँ प्रयुक्त हुई हैं:

प्रत्याशित हानि (EL/ईएल): ईएल वह औसत ऋण हानि है, बैंकिंग प्रणाली अपने ऋण जोखिम में जिसकी प्रत्याशा करती है।

अप्रत्याशित हानि (UL/यूएल): महत्ता के  $100(1-\alpha)$  प्रतिशत-स्तर पर यूएल वह हानि है जो हानि वितरण के  $\alpha$ -क्वांटाइल पर हो सकती है।

प्रत्याशित कमी (ES/ईएस): जब हानि का वितरण (Z) लगातार है,  $100(1-\alpha)$  प्रतिशत आत्मविश्वास स्तर ( $ES_\alpha(Z)$ ) पर, प्रत्याशित कमी को  $ES_\alpha(Z) = E[Z | Z \geq VaR_\alpha(Z)]$  के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए प्रत्याशित कमी, हानि की शर्तबद्ध प्रत्याशा है, बशर्ते हानि VaR स्तर के पार है।

इन हानियों को इस प्रकार प्राक्कलित किया गया था: हानि = PD X LGD X EAD

जहाँ, EAD = चूक पर जोखिम (एक्सपोजर ऐट डिफॉल्ट), बैंकिंग प्रणाली का कुल अग्रिम है। इसमें सिर्फ ऑन-बैलेंसशीट मद ही शामिल होते हैं, क्योंकि सिर्फ ऑन-बैलेंसशीट मदों के लिए ही PD की गणना की गई थी।

LGD = चूक पर हानि (लॉस गिवेन डिफॉल्ट)। बेसलाईन परिदृश्य के अंतर्गत, 'पूँजी पर्याप्तता- ऋण जोखिम हेतु पूँजी आवश्यकता की गणना के लिए आईआरबी दृष्टिकोण' पर आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, औसत LGD 60 प्रतिशत रखा गया था। मध्यम और गंभीर समष्टि-आर्थिक परिस्थितियों के लिए क्रमशः 65 और 70 प्रतिशत LGD रखे गए थे।

PD = चूक की संभाव्यता (प्रोबैबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट)। PD को कुल अग्रिम की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया था। चूककर्ता लेखाओं की संख्या के आँकड़ों की अनुपलब्धता के कारण, PD की गणना हेतु चूककर्ता लेखाओं की मात्रा (एनपीए राशि) का प्रयोग किया गया है।

उपर्युक्त हानियों, नामतः EL, UL और US का प्राक्कलन अनुरूपित (सिमुलेटेड) पीडी वितरण का प्रयोग करते हुए किया गया है। पहले चरण में, केर्नल डेंसिटी एस्टीमेट का प्रयोग करते हुए, पीडी का प्रायोगिक वितरण का प्राक्कलन किया गया। दूसरे चरण में, प्रायोगिक रूप से प्राक्कलित संभाव्यता घनत्व क्रिया का प्रयोग करते हुए, मोटे कालों सिमुलेशन के आधार पर 2000 यादृच्छिक संख्या निकाली गई। अंत में, प्रत्याशित हानि, अप्रत्याशित हानि और प्रत्याशित कमी की गणना के लिए पीडी के रूप में क्रमशः औसत पीडी, पीडी का 99.9 प्रतिशत VaR और 99.9 प्रतिशत हानि-क्षेत्र के पार औसत पीडी लिए गए थे।

प्रतिशत है, जो आधारसीमा (बेसलाइन) परिदृश्य के अंतर्गत पर्याप्त है। ईएल गंभीर दबाव वाली परिस्थितियों में मार्च, 2014 तक और बढ़कर 3.1 प्रतिशत तक पहुँच सकती है, जिससे उच्चतर प्रतिकूल समष्टि-आर्थिक परिस्थितियों<sup>18</sup> में मौजूदा प्रावधानीकरण

स्तर और ईएल के बीच अंतर पैदा हो जाएगा। अतः एससीबी के लिए प्रावधानीकरण के मौजूदा स्तर को बढ़ाना विवेकसम्मत होगा। दूसरी ओर, मार्च, 2013 को समाप्त तिमाही के लिए एससीबी की यूएल और प्रत्याशित कमी (एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल) क्रमशः

<sup>18</sup> मैक्रो - दबाव परीक्षण के अधीन दबाव परिस्थितियों को सारणी 2.6 में दर्शाया गया है। (पैरा सं 2.46)

कुल अग्रिम का 7.0 प्रतिशत और 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। गंभीर दबाव वाली परिस्थितियों में मार्च, 2014 तक ये हानियाँ 8.8 प्रतिशत और 9.0 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं। यूएल और प्रत्याशित कमी एससीबी द्वारा मार्च, 2013 के अंत तक बनाए रखे गए कुल अग्रिम और टियर I पूँजी के अनुपात 12.1 प्रतिशत से कम है।


### आस्तियों की गुणवत्ता

2.32 एससीबी की आस्ति-गुणवत्ता, जो लगातार गिरती जा रही थी, मार्च, 2013 तिमाही में बेहतर हुई। एससीबी का सकल अनर्जक अग्रिम (जीएनपीए) अनुपात अंतिम सितंबर, 2012 के

3.6 प्रतिशत के मुकाबले अंतिम मार्च, 2013 में सुधरकर 3.4 प्रतिशत हो गया। निवल एनपीए अनुपात अंतिम सितंबर, 2012 के 1.6 प्रतिशत के मुकाबले मार्च, 2013 के अंत में गिरकर 1.4 प्रतिशत हो गया। इस तिमाही में कम गिरावट (स्लीपेज), बेहतर वसूली और उच्चतर बट्टे-खाते डालने (राइट-ऑफ) के कारण एनपीए में यह कमी आई (चार्ट 2.18)। यदि बैंकों द्वारा इस मामले में बचाव के उपाय नहीं किए तो 1 अप्रैल, 2015 से पुनर्गठित अग्रिमों हेतु वर्गीकरण में बदलाव का एनपीए पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

2.33 बैंक-समूह स्तर पर, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का जीएनपीए सर्वाधिक था और मार्च, 2013 के अंत में यह 3.8 प्रतिशत रहा।

चार्ट 2.18: आस्ति-गुणवत्ता संकेतक



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण

<sup>19</sup> तिमाही के प्रारंभ में एनपीए का तिमाही के दौरान किए गए एनपीए के रिकवरी के प्रतिशत को तिमाही वसूली (रिकवरी) अनुपात कहा जाता है।

<sup>20</sup> तिमाही के प्रारंभ में एनपीए का तिमाही के दौरान बट्टे खाते में डाले गए एनपीए के प्रतिशत को तिमाही बट्टा - खाता अनुपात कहा जाता है।

इसके बाद विदेशी बैंकों का स्थान रहा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का तिमाही गिरावट अनुपात (स्लीपेज रेशियो) सितंबर, 2012 में दर्ज 0.8 प्रतिशत से घटकर मार्च, 2013 को समाप्त तिमाही में 0.5 प्रतिशत हो गया। इन्हीं अवधियों में विदेशी बैंकों का गिरावट अनुपात 0.1 प्रतिशत से बढ़कर 0.3 प्रतिशत हो गया। पुराने निजी बैंकों ने मार्च, 2013 को समाप्त तिमाही में 21.2 प्रतिशत की उच्चतम तिमाही वसूली दर्ज की। इनके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 9.1 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रहे। नए निजी बैंकों को छोड़कर, सभी बैंक-समूहों ने सितंबर, 2012 को समाप्त तिमाही के मुकाबले मार्च, 2013 को समाप्त तिमाही में उच्चतर बट्टे-खाते दर्ज किया (चार्ट 2.18)।

### आस्ति-गुणवत्ता में मौसमियता (सीजनलिटी)


2.34 प्रायोगिक विश्लेषण दर्शाता है कि मार्च तिमाही में मानक अग्रिमों की गिरावट (स्लीपेज) चारों तिमाहियों की औसत गिरावट की तुलना में अधिक है। लेकिन इसी तिमाही में जीएनपीए अनुपात में कमी आई है। ऐसा मुख्यतः उच्चतर वसूली और वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही (मार्च) के दौरान पाए गए अशोध्य ऋणों को बट्टे-खाते डालने के कारण हुआ (चार्ट 2.19)।

### ऋणों का पुनर्गठन

2.35 एससीबी के पुनर्गठित मानक ऋण उनके कुल ऋणों के अनुपात के रूप में सितंबर, 2012 के अंत के 5.9 प्रतिशत के मुकाबले मार्च, 2013 के अंत में घटकर 5.7 प्रतिशत हो गए। बैंक-समूहों में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 7.1 प्रतिशत पर यह अनुपात उच्चतम था। इसके बाद पुराने निजी बैंकों का स्थान रहा (चार्ट 2.20)।


2.36 बैंकिंग क्षेत्र के पुनर्गठित ऋणों में उद्योग और सेवा क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा होता है। चूंकि बैंकों के कुल ऋण में इन क्षेत्रों का अपेक्षाकृत ज्यादा हिस्सा होता है, इन क्षेत्रों के ऋणों के पुनर्गठन के रुझान बैंकिंग क्षेत्र की सेहत पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। उद्योग क्षेत्र में, कुछ उप-क्षेत्र, नामतः, लौह एवं इस्पात, वस्त्र, अवसंरचना, ऊर्जा-उत्पादन और दूरसंचार हालिया समय में चिंता के कारण बन गए हैं। विमानन जैसे क्षेत्रों के मामले में हालांकि पुनर्गठन के

चार्ट 2.19: आस्ति-गुणवत्ता - मौसमी कारक<sup>21</sup>



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण और स्टाफ परिकल्पना


चार्ट 2.20: कुल ऋणों की तुलना में पुनर्गठित मानक ऋणों का अनुपात



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण

<sup>21</sup> मौसमी कारकों का आकलन एक्स-12-एआरआईएमए पद्धति का प्रयोग करते हुए किया जाता है।

चार्ट 2.21: दबावग्रस्त ऋण- क्षेत्र-वार - मार्च, 2013



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण

मामले ज्यादा हैं, लेकिन बैंक-ऋण में इनका हिस्सा अपेक्षाकृत कम है (चार्ट 2.21)।

2.37 वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की पृष्ठभूमि में, खासकर यूरोप में बैंकिंग प्रणाली में परहेजीकरण (फोरबियरेंस) हाल के समय में एक चिंता का विषय बनकर उभरा है। परहेजीकरण (फोरबियरेंस) से तात्पर्य है उधारकर्ता द्वारा सामना की जा रही अस्थायी वित्तीय कठिनाइयों से संबंधित कतिपय आर्थिक या विधिक कारणों को देखते हुए उधारदाता (बैंक) द्वारा उसे कोई रियायत स्वीकृत करना। जहाँ व्यवहार्य उद्यमों के मामले में परहेजीकरण (फोरबियरेंस) आवश्यक और अच्छा है, वहीं सिर्फ एनपीएल के रूप में वर्गीकरण से बचने या मृतप्राय कंपनियों को मात्र जीवित रखने के लिए परहेजीकरण (फोरबियरेंस) से संसाधनों का अक्षम आबंटन होता है और इससे उधारदाता के लिए आकस्मिक समस्याएँ पैदा होती हैं।

2.38 पिछले एफएसआर में भारत में बैंकों, खासकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अग्रिमों को पुनर्गठित करने के अस्वस्थ रुझानों पर चर्चा की गई थी। इस संदर्भ में, पुनर्गठित ऋणों की समीक्षा हेतु गठित रिजर्व बैंक कार्य-दल<sup>22</sup> की सिफारिशें मंजूर कर ली गई हैं और पुनर्गठन पर उपलब्ध मौजूदा आस्ति-वर्गीकरण लाभों को 1 अप्रैल, 2015 से वापस ले लिया जाएगा। अपवादस्वरूप,

अवसंरचना और गैर-अवसंरचना परियोजना ऋणों के संबंध में वाणिज्यिक परिचालन आरंभ होने की तारीख (डीसीसीओ) में परिवर्तनों से संबंधित प्रावधानों को छूट दी जाएगी।

2.39 कार्य-दल ने यह भी सिफारिश की थी कि जब तक आस्ति-वर्गीकरण पर विनियामक परहेजीकरण (रेगुलेटरी फोरबियरेंस) खत्म हो, तब तक ऐसी लेखाओं की प्रावधान-अवश्यकताओं को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाए, ताकि इस अंतराल में पुनर्गठित मानक आस्तियों में निहित जोखिमों को विवेकपूर्वक पहचाना जा सके। अतः रिजर्व बैंक ने पुनर्गठित मानक लेखाओं पर किए जाने वाले प्रावधान को 2.00 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.75 प्रतिशत कर दिया है<sup>23</sup>। नई पुनर्गठित मानक लेखाओं (प्रवाह) के लिए प्रावधान 1 जून, 2013 से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। 31 मार्च, 2013 तक की पुनर्गठित मानक लेखाओं के स्टॉक के लिए इसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा।

### लाभप्रदता

2.40 सभी एससीबी की आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) द्वारा आँकी जाने वाली लाभप्रदता मार्च, 2012 के 1.1 प्रतिशत और 13.4 प्रतिशत के मुकाबले

<sup>22</sup> बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों के पुनर्गठन पर मौजूदा विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों की समीक्षा हेतु गठित कार्य-दल की रिपोर्ट

<sup>23</sup> <http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/CDRS30052013E.pdf>

मार्च, 2013 में घटकर क्रमशः 1.0 प्रतिशत और 12.8 प्रतिशत हो गई। निवल ब्याज आय ( एनआईआई ) में कमतर वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के कारण, जो पिछले वर्ष के 15.8 प्रतिशत के मुकाबले, मार्च, 2013 में 11.0 प्रतिशत रही, करोपरान्त लाभ ( पीएटी ) में कमतर वृद्धि हुई। ( सारणी 2.4 )

2.41 कुल परिचालन आय ( टीओआइ ) में एनआईआई का योगदान पिछले वर्ष के 72.6 प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर 2012-13 में 72.1 प्रतिशत रहा, जबकि कुल परिचालन आय ( टीओआइ ) में अन्य परिचालन आय ( ओओआइ ) का योगदान पिछले वर्ष में रहे 27.4 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 27.9 प्रतिशत हो गया। कुल आय में अन्य परिचालन आय की हिस्सेदारी में हुई यह वृद्धि सिक्युरिटी ट्रेडिंग में दर्ज उच्च योगदान ( पिछले वर्ष के 3.6 प्रतिशत की तुलना में 2012-13 में 10.5 प्रतिशत ) और विविध आय के कारण है ( सारणी 2.5 )।


2.42 बड़े बैंक समूहों में देखें तो कुल परिचालन आय ( टीओआइ ) में एनआईआई का योगदान, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में, सर्वाधिक था तथा इसके बाद पुराने निजी बैंकों का स्थान आता है; जबकि अन्य परिचालन आय ( ओओआइ ) का योगदान कुल परिचालन आय ( टीओआइ ) में, नए निजी बैंकों के मामले में सर्वाधिक है जिसके बाद विदेशी बैंकों का स्थान है ( चार्ट 2.22 )।

2.43 दूसरा उदीयमान क्षेत्र, जो बैंकों के ओओआइ में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, बीमा कारोबार के कारण मिलनेवाला कमीशन है। वर्ष 2011-12 के लिए बैंकों की हिस्सेदारी 19.9 बिलियन रुपए की थी जो बीमाकर्ताओं द्वारा अदा किए गए कुल कमीशन का 9.7

	आस्तियों पर लाभ	इक्विटी पर लाभ	करोपरान्त वृद्धि	निवल ब्याज आय वृद्धि	अन्य परिचालित आय वृद्धि	एनआईआई <sup>24</sup>	अंतर <sup>25</sup>
मार्च-09	1.1	14.5	23.3	24.4	24.0	2.7	3.5
मार्च-10	1.0	12.9	4.3	14.8	3.1	2.7	3.5
मार्च-11	1.1	13.6	23.6	34.6	0.5	3.1	3.8
मार्च-12	1.1	13.4	14.6	15.8	7.4	3.1	3.8
मार्च-13	1.0	12.8	12.8	11.0	13.8	3.0	3.3

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण

चार्ट 2.22: कुल परिचालन आय: बैंक समूहवार



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण

	टीओआइ की तुलना में निवल ब्याज आय	टीओआइ की तुलना अन्य परिचालित आय	टीओआइ की तुलना जोखिम प्रावधान	ओओआइ की तुलना में शुल्क आय	ओओआइ की तुलना में विदेशी मुद्रा विनिमय पर लाभ / (हानि)	ओओआइ की तुलना में सिक्युरिटी ट्रेडिंग पर लाभ / (हानि)	ओओआइ की तुलना में लाभांश आय	ओओआइ की तुलना में विविध आय
मार्च-09	62.2	37.8	12.3	47.3	16.9	21.1	2.4	12.3
मार्च-10	64.7	35.3	12.6	51.1	12.8	18.0	2.7	15.5
मार्च-11	71.1	28.9	14.3	57.7	18.3	4.0	3.2	16.7
मार्च-12	72.6	27.4	17.0	59.5	18.7	3.6	3.1	15.1
मार्च-13	72.1	27.9	16.8	55.1	15.4	10.5	2.5	16.4


नोट: टीओआइ: कुल परिचालित आय, ओओआइ: अन्य परिचालित आय

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण

<sup>24</sup> निवल ब्याज मार्जिन ( एनआईएम ) : एससीबी का एनआईएम बैंकवार, उनके आस्तियां भारत एनआईएम के औसत भार से व्युत्पन्न होता है।

<sup>25</sup> ग्राहक जमा की कीमत तथा अग्रिम एवं डिस्काउंटेड बिल्स पर प्रतिफल के बीच का अंतर है।

चार्ट 2.23: बीमा कंपनियों के कमीशन से एससीबी को होने वाले आय




स्रोत: IRDA and आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण

प्रतिशत होता है (जीवन बीमा और गैर जीवन बीमा) और समस्त एससीबी के ओओआइ का 2.4 प्रतिशत होता है (चार्ट 2.3)।

2.44 बैंक समूह के रूप में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का योगदान समस्त एससीबी के एनआइआइ और ओओआइ के प्रति पिछले वर्ष में रहे क्रमशः 69.3 प्रतिशत तथा 58.1 प्रतिशत से घटकर मार्च 2013 में 66.3 प्रतिशत और 57.5 प्रतिशत हो गया। निजी क्षेत्र के बैंकों का योगदान समस्त एससीबी के एनआइआइ और ओओआइ के प्रति पिछले वर्ष में रहे क्रमशः 16.3 प्रतिशत तथा 24.6 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2013 में 18.7 प्रतिशत और 26.5 प्रतिशत हो गया (चार्ट 2.24)।


2.45 भारत में समग्र रूप से एनआइएम का विद्यमान स्तर और एससीबी की व्याप्ति इस बात का द्योतक हो सकता है कि बैंकों को अपनी क्षमताएं बढ़ाने की आवश्यकता अभी भी है। कुछ चुनिंदा देशों के एनआइएम की तुलना, तीन वर्षों के लिए 2011 से होकर, दर्शाती है कि भारत के बैंकों के एनआइएम की तुलना ब्रिक्स देशों के साथ की जा सकती है (चार्ट 2.25)।

चार्ट 2.24: एससीबी के ओओआइ तथा एनआइआइ में बैंक समूहों का योगदान



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण

चार्ट 2.25: चुनिंदा देशों के एनआइएम



नोट: चुनिंदा देशों (भारत को छोड़कर) के एनआइएम पर डेटा मात्र 2011 तक ही उपलब्ध है।

स्रोत: फाइनेंसियल डेवलपमेंट एण्ड स्ट्रक्चर डेटासेट (अप्रैल 2013 तक अद्यतन), विश्व बैंक

### आघात सहनीयता-दबाव परीक्षण

2.46 प्रणाली, बैंक समूह और सेक्टरल स्तरों पर ऋण जोखिम के लिए मैक्रो दबाव परीक्षणों की शृंखला के माध्यम से मैक्रोइकोनोमिक आघातों के प्रति भारतीय बैंकिंग प्रणाली की आघात सहनीयता का परीक्षण किया गया। ये परीक्षण बेस लाइन परिदृश्यों और दो विपरीत (मध्यम और उच्च) जोखिम परिदृश्यों पर आधारित हैं (सारणी 2.6)। विपरीत परिदृश्यों को मध्यम जोखिम के लिए 1 मानक विचलन तक तथा उच्च जोखिम के लिए 1.25 से 2.0 मानक विचलन तक पर आधारित माना गया है (10 वर्ष के लिए ऐतिहासिक आंकड़ा)।

#### ऋण जोखिम-प्रणाली स्तर

2.47 ऋण जोखिम के लिए मैक्रो परीक्षणों से ज्ञात होता है कि बेसलाइन परिदृश्य के अंतर्गत सभी एससीबी का जीएनपीए मार्च 2013 में रहे 3.4 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2013 में 3.8 प्रतिशत हो जाने की संभावना है जबकि वित्त वर्ष 2013-14 (2012-13 के मुकाबले) के लिए कल्पित उन्नत मैक्रोइकोनोमिक परिस्थिति के अंतर्गत जीएनपीए अनुपात के मार्च 2014 तक और भी घटकर 3.5 प्रतिशत तक हो जाने की संभावना है। तथापि अत्यधिक दबाव की स्थितियों में जीएनपीए अनुपात मार्च 2014 तक 4.4 प्रतिशत तक बढ़ सकता है (चार्ट 2.26)। ऐसे अत्यधिक दबाव के परिदृश्य में एससीबी का प्रणाली स्तरीय सीआरएआर मार्च 2014 तक घटकर 12.2 प्रतिशत तक जा सकता है लेकिन फिर भी नियामन द्वारा अपेक्षित 9 प्रतिशत से ऊपर ही रहेगा (चार्ट 2.27)। जीएनपीए के लिए किए गए इस प्रक्षेपण में पुनर्गठित ऋणों के प्रति सहिष्णुता के न रहने के चलते होनेवाले प्रभावों को नहीं रखा गया है।


#### ऋण जोखिम-बैंक समूह स्तर

2.48 बैंक समूहों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उच्चतम जीएनपीए अनुपात दर्ज करने वाला दर्शाया जाता है। आधार रेखा परिदृश्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों का जीएनपीए मार्च 2014 में बढ़कर क्रमशः 4.1 प्रतिशत और 3.2 प्रतिशत हो गया जबकि मार्च 2013 में यह अनुपात क्रमशः 3.8 प्रतिशत और 3.0 प्रतिशत था। इसके उलट पुराने निजी बैंकों और नए निजी बैंकों में यह अनुपात मार्च 2013 में रहे 1.9 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2014 में 2.9 प्रतिशत तक हो सकता है (चार्ट 2.28)।

**सारणी 2.6: मैक्रोइकोनोमिक परिदृश्य कल्पना (वित्तीय वर्ष: 2013-14)<sup>26</sup>**  
(प्रतिशत)

	आधारभूत	मध्यम दबाव	गंभीर दबाव
सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि	5.7	4.0	2.4
थोक मूल्य सूचकांक स्फीति	5.5	7.7	9.8
अल्प अवधि ब्याज-दर	6.8	8.4	10.0
निर्यात/सकल घरेलू उत्पाद अनुपात	16.8	15.1	13.4
सकल वित्तीय घाटा	4.8	5.9	7.0


**चार्ट 2.26: प्रणाली स्तरीय जीएनपीए का प्रक्षेपण**



**टिप्पणी:** प्रणाली स्तरीय जीएनपीए का प्रक्षेपण तीन अलग-अलग परंतु पूरक आर्थिक प्रदर्शों अर्थात्- मल्टी प्लेयट रीग्रेशन, वेक्टर ऑटोरीग्रसिव (जिसमें ऋण की गुणवत्ता से लेकर मैक्रो परिवर्तों तथा अंतरक्रिया प्रभावों को सम्मिलित किया गया है) और क्वानटाइल रीग्रेशन (जो अंतिम जोखिम को संभालता है तथा जिसमें मैक्रोइकोनोमिक) को उपयोग में लाते हुए पूरा किया जा चुका है।

**स्रोत:** आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण और स्टाफ परिकल्पना

**चार्ट 2.27: प्रणाली स्तरीय सीआरएआर का प्रक्षेपण**




**स्रोत:** भारिबै पर्यवेक्षी प्रतिफल और स्टाफ गणना

<sup>26</sup> कल्पित-अति विपरीत आर्थिक स्थितियों में ये दबाव परिदृश्य कड़े तथा परंपरागत मूल्यांकन हैं और इन्हें पूर्वानुमान अथवा संभावित परिणाम नहीं माना जान चाहिए।

2.49 सरकारी क्षेत्र के बैंकों का सीआरएआर, जो लगभग 12 प्रतिशत के न्यूनतम पर है, अत्यधिक दबाव परिस्थितियों में घटकर 10.8 प्रतिशत हो सकता है। इस प्रकार के अत्यधिक दबाववाले परिदृश्य में नए निजी बैंकों, पुराने निजी बैंकों और विदेशी बैंकों का सीआरएआर मार्च 2013 की तिमाही में रहे क्रमशः 17.5 प्रतिशत, 13.8 प्रतिशत और 17.0 प्रतिशत से घटकर 15.5 प्रतिशत, 12.4 प्रतिशत और 14.6 प्रतिशत हो सकता है। तथापि यह अच्छी बात दिखी कि अत्यधिक दबाव के परिदृश्य में भी सभी बैंक समूहों का सीआरएआर 9 प्रतिशत की नियामकीय अपेक्षा से ऊपर पाया गया (चार्ट 2.28)।

2.50 क्षेत्रवार ऋण जोखिम के मैक्रो दबाव परीक्षणों से पता चलता है कि चयनित सात क्षेत्रों में से निर्माण और कृषि संभवतः मार्च 2014 तक लगभग 4.7- 4.8 प्रतिशत का उच्चतम एनपीए अनुपात दर्ज कर सकते हैं, जिसके बाद लोहा और इस्पात का स्थान आता है। मैक्रो आर्थिक आघातों का सर्वाधिक असर लोहा और इस्पात तथा निर्माण क्षेत्र पर दिखता है जिसके बाद अभियांत्रिकी क्षेत्र का स्थान है (सारणी 2.7)।

चार्ट 2.28: बैंक समूहवार जीएनपीए और सीआरएआर का प्रक्षेपण



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण और स्टाफ परिकलन

सारणी 2.7 प्रक्षेपित क्षेत्रवार एनपीए							
(सकल अग्रिमों पर प्रतिशत)							
क्षेत्र	मार्च-13 (वास्तविक)	सित्त-13			मार्च-14		
		आधारभूत	मध्यम दबाव	गंभीर दबाव	आधारभूत	मध्यम दबाव	गंभीर दबाव
कृषि	4.7	4.9	5.1	5.2	4.6	4.9	5.1
निर्माण	4.0	4.5	4.6	4.7	4.8	5.1	5.5
सीमेंट	2.7	3.4	3.4	3.5	3.9	4.2	4.4
आधारभूत संरचना	1.5	1.9	2.0	2.1	2.2	2.5	2.7
लोहा और इस्पात	4.0	4.2	4.4	4.6	4.0	4.8	5.5
अभियांत्रिकी	3.7	4.1	4.2	4.5	3.9	4.5	5.1
ऑटोमोबाइल	1.8	2.1	2.2	2.2	2.1	2.3	2.4

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण और स्टाफ परिकलन

### टॉप डाउन दबाव परीक्षण-बैंक स्तर


2.51 विभिन्न परिदृश्यों में सुभेद्यता और सुदृढ़ता का मूल्यांकन करने के लिए एससीबी(60 बैंक जिनमें कुल बैंकिंग क्षेत्र की आस्तियों का 99 प्रतिशत सम्मिलित है) पर बड़ी संख्या में एकल कारक संवेदनीयता दबाव परीक्षणों(टॉप-डाउन)का संचालन किया गया। टॉप-डाउन संवेदनीयता विश्लेषण के जरिए ऋण, ब्याज दर और चलनिधि जोखिमों के संदर्भ में वाणिज्य बैंकों की सुदृढ़ता का अध्ययन तीव्र लेकिन सहनीय आघात देकर किया गया। ये परिणाम मार्च 2013 के आंकड़ों पर आधारित हैं।<sup>27</sup> आघातों का यही सेट 25 चयनित एससीबी (जिनमें कुल आस्ति का लगभग 75 प्रतिशत सम्मिलित है) द्वारा उपयोग में लाया गया ताकि वे *बॉटम अप* दबाव परीक्षण कर सकें। *बॉटम अप* दबाव परीक्षणों ने मोटे तौर पर टॉप डाउन दबाव परीक्षणों को ही प्रतिबिंबित किया और आघातों के बृहत रेंज के प्रति बैंकिंग प्रणाली की सुदृढ़ता की पुनः पुष्टि की।

### ऋण जोखिम

2.52 मार्च 2013 को बैंकों के लिए अलग-अलग स्थिर आघातों के प्रभाव दर्शाते हैं कि प्रणाली स्तर पर सीआरएआर अपेक्षित न्यूनतम 9 प्रतिशत से ऊपर रहा। अत्यधिक स्थितियों में प्रणाली स्तर पर पंजीगत हानि लगभग 29 प्रतिशत हो सकती थी(आघात-1)। दबाव परीक्षण परिणामों से आगे यह भी विदित हुआ कि दबाव के परिदृश्य में कुछ बैंक सीआरएआर बनाए रखने में नाकाम भी हो सकते थे।(चार्ट 2.29)।

2.53 बैंकों ऋण संकेंद्रण जोखिम संबंधी दबाव परीक्षणों से पता चलता है कि विभिन्न दबाव परिदृश्यों के अंतर्गत पड़नेवाला प्रभाव कुछ खास नहीं दिखा। शीर्ष तीन उधारकर्ताओं के चूक और शीर्ष समूह उधारकर्ताओं के चूक होने के कल्पित परिदृश्य में सीआरएआर का प्रभाव क्रमशः 240 और 185 आधार अंक होगा और प्रणाली को यह आघात सहने में सक्षम होना होगा। तथापि वैयक्तिक स्तर पर उच्च संकेंद्रणवाले कुछ बैंक दबावयुक्त परिदृश्यों में गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

चार्ट 2.29: टॉप डाउन दबाव परीक्षण-ऋण जोखिम



**टिप्पणी:** आघात 1 : एनपीए में 100 प्रतिशत की वृद्धि होती है।  
 आघात 2 : पुनर्संचित अग्रिमों का 30 प्रतिशत एनपीए में परिवर्तित (घटिया)  
 आघात 3 : पुनर्संचित अग्रिमों का 30 प्रतिशत बट्टे खाते में जाता है(हानि)

**स्रोत:** आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण और स्टाफ परिकल्पना

<sup>27</sup> दबाव परीक्षण के संपूर्ण विवरण के लिए कृपया अनुलग्नक 2 का संदर्भ लें।

## ब्याज दर जोखिम

2.54 विभिन्न दबाव परिस्थितियों के अंतर्गत व्यापार बही के लिए ब्याज दर जोखिम (प्रत्यक्ष प्रभाव) को प्रणाली स्तर पर सीआरएआर में 01 प्रतिशत पाइंट कम कर काबू में रखा जा सकता है। हालांकि कुछ छोटे बैंकों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आय वक्र के ऊपर उठने (2.5 प्रतिशत पाइंट) के कारण इसका प्रभाव अधिक पड़ता है, विशेषकर कम अवधि में परिपक्व (maturity) होनेवाले बकेट का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होने के कारण इसका प्रभाव अधिक होता है। समान दबाव परिस्थिति में बैंकिंग सिस्टम की पूंजी स्थिति बैंकिंग बही के लिए 2.6 प्रतिशत पाइंट तक प्रभावित होता है।


## चलनिधि जोखिम

2.55 चलनिधि जोखिम पर इसका प्रभाव जानने के लिए चलनिधि आस्तियों<sup>28</sup> को पांच परिभाषाओं के साथ विश्लेषण किया गया। इन परिभाषाओं के अनुसार चलनिधि आस्तियों में नकदी, सीआरएआर, अंतर-बैंक-जमाराशियां और निवेश शामिल हैं। आधार-रेखा परिस्थिति के अंतर्गत विभिन्न परिभाषाओं का उपयोग करते हुए विभिन्न चलनिधि आस्ति अनुपात निकाला जाता है। सिर्फ चलनिधि आस्तियों का उपयोग करते हुए अपनी जमाराशियों के बलबूते बैंकों की परिचालन क्षमता का परीक्षण करने के लिए इसप्रकार की दबाव परिस्थितियां बनाई जाती हैं। यह माना जाता है कि (1) 10 दिनों में कुल जमाराशियों का 10 प्रतिशत आहरित की जाएगी (2) 05 दिनों तक प्रत्येक दिन 03 प्रतिशत जमाराशियां आहरित की जाएगी। बैंकों को एसएलआर निवेशों और सीआरएआर द्वारा चलनिधि दबाव को कम करने में सहायता मिलने के बावजूद इस दबाव परिस्थिति के अंतर्गत बैंकों की चलनिधि स्थिति घटने का संकेत मिलता है।

### आधार तल (Bottom up) दबाव परीक्षण

2.56 कुछ बैंकों द्वारा किए गए आधार तल दबाव परीक्षण का परिणाम सामान्य रूप से विभिन्न प्रकार के आघातों को सहने की क्षमता का परीक्षण करता है। टॉप डाउन दबाव परीक्षण के मामले में दबाव परीक्षण का प्रभाव उन बैंकों पर अधिक पड़ता है जिन बैंकों की सीआरएआर स्थिति न्यूनतम विनियामक से कम है। (चार्ट 2.30)

चार्ट 2.30: आधार तल (बॉटम अप) दबाव परीक्षण- ऋण एवं बाजार जोखिम



उधार जोखिम: सकल ऋण	आघात1 आघात2 आघात3	एनपीए 100 प्रतिशत बढ़ा पुनर्चित आस्तियों का 30 प्रतिशत एनपीए हो गया प्रत्येक शीर्ष 5 क्षेत्र /उद्योग के एनपीए में 5 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई।
उधार जोखिम: संकेद्रण	आघात1 आघात2 आघात3	सर्वोच्च तीन वैयक्तिक उधारकर्ताओं की चूक शीर्षस्थ सबसे बड़े समूह की चूक शीर्षस्थ 5 उद्योगों/क्षेत्रों की चूक: शीर्षतम 5 उद्योगों /क्षेत्रों के उधारकर्ताओं की चूक
ब्याज दर जोखिम - बैंक बही	आघात	भारतीय रूपया प्रतिफल वक्र में 2.5 प्रतिशत अंकों के साथ समानांतर अपवार्ड शिफ्ट
ब्याज दर जोखिम - व्यापार बही	आघात	भारतीय रूपया प्रतिफल वक्र में 2.5 प्रतिशत अंकों के साथ समानांतर अपवार्ड शिफ्ट

स्रोत: चुनिन्दा बैंक


<sup>28</sup> कृपया चार्ट 2.31 की पादटिप्पणी में दी गई 1 से 5 परिभाषाएं देखें।

2.57 चलनिधि जोखिम के लिए आधार तल दबाव परीक्षण का परिणाम बताता है कि कुछ बैंकों पर चलनिधि आघातों का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। परिणाम यह भी दर्शाता है कि जमाकर्ताओं द्वारा जमा राशियों के अचानक और अप्रत्याशित आहरण से उत्पन्न दबाव को झेलने में बैंक के एसएलआर निवेशों और सीआरआर जमा राशियां कुछ हद तक सहायक होते हैं। (चार्ट 2.31)

### बैंकों के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो

2.58 भारत में बैंकों के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो वैश्विक वित्तीय संकट के कारण इन वर्षों में तेजी से बढ़ा है। हालांकि 2008 से पोर्टफोलियो का आकार घटा है, फिर भी 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार बैंकों के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो का बकाया कल्पित मूलधन, जो बैंकों की कुल आस्तियों का 120 प्रतिशत से अधिक है, अभी भी अधिक बना हुआ है। हालांकि, डेरिवेटिव पोर्टफोलियो का ऋण समतुल्य बेलेस-शीट आस्तियों का 8 प्रतिशत है। डेरिवेटिव बाजार में विदेशी बैंकों का समूह लेखा का बकाया कल्पित मूलधन में लगभग 80 प्रतिशत का हिस्सा है जबकि बैंकिंग प्रणाली की बेलेस-शीट आस्तियों में इनका हिस्सा 7 प्रतिशत है। विदेशी बैंकों के बकाया कल्पित मूलधन और उनके ऋण समतुल्य का आकार कुल आस्तियों का क्रमशः लगभग 1200 और 80 प्रतिशत है। (चार्ट 2.32 और 2.33)

चार्ट 2.31: आधार तल (बॉटम अप) दबाव परीक्षण - चलनिधि जोखिम



#### तरल आस्तियों की परिभाषा


1	नकदी + अतिरिक्त सीआरआर + अंतर बैंक जमाएं + एसएलआर निवेश
2	नकदी + अतिरिक्त सीआरआर + 1 माह के भीतर परिपक्व होनेवाली अंतर बैंक जमाएं + 1 माह के भीतर परिपक्व होनेवाले निवेश
3	नकदी + अतिरिक्त सीआरआर + 1 माह के भीतर परिपक्व होनेवाली अंतर बैंक जमाएं + अतिरिक्त एसएलआर निवेश
4	नकदी + सीआरआर + 1 माह के भीतर परिपक्व होनेवाली अंतर बैंक जमाएं + 1 माह के भीतर परिपक्व होनेवाले निवेश
5	नकदी + अतिरिक्त सीआरआर + 1 माह के भीतर परिपक्व होनेवाली अंतर बैंक जमाएं + अतिरिक्त एसएलआर निवेश
6	नकदी + अतिरिक्त सीआरआर + अंतर बैंक जमाएं + एसएलआर निवेश + अतिरिक्त एसएलआर निवेश + अन्य निवेश, जिसे बैंक चलनिधि मानता है।

#### चलनिधि आघात

आघात 1	30 दिनों की अवधि के दौरान 10 प्रतिशत जमा राशि का आहरण (संचयी)
आघात 2	5 दिन तक (प्रत्येक दिन) 3 प्रतिशत जमा राशि का आहरण


स्रोत: चुनिन्दा बैंक

चार्ट 2.32 : कुल डेरिवेटिव के कल्पित मूलधन में रूझान




स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण

चार्ट 2.33 : एससीबी के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो - मार्च 2013



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण

चार्ट 2.34 : डेरिवेटिव के लेन देन में अंतर बैंक खंड का शेयर - मार्च 2013



पीएसबी: सरकारी क्षेत्र के बैंक, पीबी: निजी क्षेत्र के बैंक, एफबी: विदेशी बैंक  
 स्रोत: नमूने बैंक (डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर बॉटम अप दबाव परीक्षण)

2.59 नमूने बैंकों<sup>29</sup> के बीच, बकाया डेरिवेटिव लेनदेनों में अधिकतर अंतर-बैंक लेनदेन हैं। मार्च 2013 तक की स्थिति के अनुसार कुल बकाया डेरिवेटिव में डेरिवेटिव पोर्टफोलियो का अंतर-बैंक हिस्सा लगभग 85 प्रतिशत है। (चार्ट 2.34)


2.60 सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो का ऋण समतुल्य बहुत अधिक नहीं था। हालांकि, विदेशी बैंकों के लिए ऋण समतुल्य अधिक है। (चार्ट 2.35)

2.61 अलग-अलग नमूने में बैंकों के लिए डेरिवेटिव पोर्टफोलियो का बाजार सापेक्ष मूल्य (Mark to market) - कुछ बड़े नकारात्मक निवल बाजार सापेक्ष को छोड़कर अधिकतर बैंकों ने सकारात्मक निवल बाजार सापेक्ष प्राप्त किया है। (चार्ट 2.36)

2.62 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर कई दबाव परीक्षण (संवेदनशीलता विश्लेषण) किए गए। बैंकों के ब्याज दर और विदेशी विनिमय दर पर चार अलग-अलग आघातों का परिणाम नमूने में दिए गए हैं। ब्याज दर पर आघात की सीमा 1.0 प्रतिशत पाइंट से 2.5 प्रतिशत पाइंट तक रखा गया है, जबकि विदेशी विनिमय दर के लिए यह 20 प्रतिशत रखा गया है। अलग-अलग आघातों के लिए एकल आधार पर दबाव परीक्षण किया गया। परिणाम यह दर्शाता है कि नमूने बैंकों पर आघातों का औसतन निवल प्रभाव बहुत अधिक नहीं होता है। (चार्ट 2.37)

चार्ट 2.35 : डेरिवेटिव पोर्टफोलियो की ऋण समतुल्यता - मार्च 2013


(कुल तुलन-पत्रक आस्तियों का प्रतिशत)



पीएसबी: सरकारी क्षेत्र के बैंक, पीबी: निजी क्षेत्र के बैंक, एफबी: विदेशी बैंक  
 स्रोत: नमूने बैंक (डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर बॉटम अप दबाव परीक्षण)

चार्ट 2.36 : कुल डेरिवेटिव का बाजार सापेक्ष मूल्य


(कुल आस्तियों का प्रतिशत)



पीएसबी: सरकारी क्षेत्र के बैंक, पीबी: निजी क्षेत्र के बैंक, एफबी: विदेशी बैंक  
 स्रोत: नमूने बैंक (डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर बॉटम अप दबाव परीक्षण)

चार्ट 2.37 : दबाव परीक्षण - चुनिंदा बैंकों के डेरिवेटिव पर पड़ने वाले आघात का प्रभाव (एक आघात के अनुप्रयोग पर निवल एमटीएम में होने वाले परिवर्तन)

(पूजी निधि का प्रतिशत)



स्रोत: नमूने बैंक (डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर बॉटम अप दबाव परीक्षण)

<sup>29</sup> चयनित 22 नमूने बैंकों के लिए डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर दबाव परीक्षण किया गया। अनुलग्नक-2 में विवरण दिया गया है।

### अनुसूचित शहरी को-ऑपरेटिव बैंक

2.63 मार्च 2013 को समाप्त अवधि के लिए एसयूसीबी का सीआरएआर 12.7 प्रतिशत रहा, जबकि जीएनपीए अनुपात सितम्बर 2012 के 6.1 प्रतिशत की तुलना में घटकर मार्च 2013 को समाप्त अवधि के लिए 5.3 प्रतिशत हो गया। आस्तियों पर वार्षिकी प्रतिफल सितम्बर 2012 को समाप्त तिमाही के 1.1 प्रतिशत की तुलना में घटकर मार्च 2013 को समाप्त तिमाही के लिए 0.9 प्रतिशत रहा। एसयूसीबी के लिए चलनिधि अनुपात सितम्बर 2012 को समाप्त अवधि के 34.1 प्रतिशत की तुलना में कुछ घटकर मार्च 2013 को समाप्त अवधि के लिए 34.0 प्रतिशत रहा। हालांकि एसयूसीबी के लिए प्रोविजन कवरेज अनुपात सितम्बर 2012 को समाप्त अवधि के 66.3 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर मार्च 2013 को समाप्त अवधि के लिए 73.7 प्रतिशत रहा। (सारणी 2.8)

2.64 डेटा का प्रयोग करते हुए 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार एसयूसीबी के लिए ऋण जोखिम का आकलन करने के लिए दबाव परीक्षण किया गया। एसयूसीबी के सीआरएआर पर ऋण जोखिम आघातों का प्रभाव जानने के लिए दो भिन्न परिस्थितियों की कल्पना करते हुए, सकल एनपीए अनुपात में क्रमशः 50 और 100 प्रतिशत बढ़ाकर, की गई। परिणाम यह बताता है कि पहली परिस्थिति में एसयूसीबी आसानी से आघातों को सहने की क्षमता रखता है जबकि दूसरी स्थिति में उनपर कुछ दबाव पड़ता है (चार्ट 2.38)।


2.65 चलनिधि जोखिम पर दबाव परीक्षण दो भिन्न परिस्थितियों की कल्पना करते हुए, नकदी बहिर्गमन में 1 से 28 दिनों के समय बकेट में क्रमशः 50 और 100 प्रतिशत बढ़ाकर, की गई। आगे यह भी माना गया कि इन दोनों परिस्थितियों में नकदी अंतर्वाह में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। यदि 1 से 28 दिनों के समय बकेट में 20 प्रतिशत से अधिक बहिर्गमन होने के कारण असंतुलन या नकारात्मक अंतर (यथा नकदी अंतर्वाह नकदी बहिर्गमन से कम होता है) पाया जाता है तो दबाव के परिणामस्वरूप एसयूसीबी प्रभावित होता है। दबाव परीक्षण का परिणाम यह दर्शाता है कि अपेक्षाकृत कम दबाव की स्थिति में भी एसयूसीबी अधिक प्रभावित होते हैं (चार्ट 2.39)।

वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक	सितं -12	मार्च-13
1. सीआरएआर	12.7	12.7
2. सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए	6.1	5.3
3. आस्तियों पर विवरण (वार्षिक)	1.1	0.9
4. चलनिधि अनुपात	34.1	34.0
5. प्रोविजन कवरेज अनुपात	66.3	73.7

नोट: 1. डेटा अर्न्तित है तथा ओएसएस विवरण पर आधारित है।  
2. चलनिधि अनुपात =  $100 * (\text{नकद} + \text{बैंकों से बकाया} + \text{एसएलआर निवेश}) / \text{कुल आस्तियां}$   
3. पीसीआर = एनपीए प्रावधान जो सकल एनपीए के प्रतिशत के रूप में संकलित किया गया।

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण और स्टाफ परिकलन


चार्ट 2.38 : एसयूसीबी - पूंजी की स्थिति पर आघातों के प्रभाव - मार्च 2013



नोट: यदि किसी एसयूसीबी का सीआरएआर 9 प्रतिशत से कम होता है तो उसे प्रभावित समझा जाता है।

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण और स्टाफ परिकलन

चार्ट 2.39: एसयूसीबी - चलनिधि आघातों के प्रभाव - मार्च 2013



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण और स्टाफ परिकलन

### गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)

2.66 रिजर्व बैंक के विनियमन के अधीन एनबीएफसी क्षेत्र पर जमाराशि स्वीकार न करने वाली और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) का दबदबा रहता है जिनकी इस क्षेत्र में हिस्सेदारी आस्ति आकार के मामले में लगभग 90% है।

### पूंजी पर्याप्तता

2.67 अप्रैल 2007<sup>30</sup> से एनबीएफसी-एनडी-एसआई के लिए सीआरएआर मानक लागू किया गया जिसके अनुसार जमाराशि स्वीकार न करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को न्यूनतम पूंजी बनाए रखनी पड़ती है, जिसमें कुल जोखिम भारित आस्ति की कम से कम 15% पूंजी टियर-1 और टियर-2 होनी चाहिए। दिसंबर 2012 को समाप्त तिमाही के लिए एनबीएफसी-एनडी-एसआई क्षेत्र का कुल सीआरएआर 26.8% रहा (सितंबर 2012 को समाप्त पिछली तिमाही में यह 27.4% था।) (चार्ट 2.40)

### आस्ति गुणवत्ता

2.68 एनबीएफसी-एनडी-एसआई क्षेत्र का जीएनपीए अनुपात दिसंबर 2011 को समाप्त तिमाही के 2.5% की तुलना में दिसंबर 2012 को समाप्त तिमाही के लिए 3.2 प्रतिशत रहा। जीएनपीए अनुपात का रूझान चार्ट 2.41 में दिया गया है।


### लाभप्रदता

2.69 एनबीएफसी-एनडी-एसआई क्षेत्र का आस्ति पर प्रतिलाभ दिसंबर 2011 को समाप्त तिमाही के 1.8% की तुलना में दिसंबर 2012 को समाप्त तिमाही के लिए 2.1 प्रतिशत रहा। (चार्ट 2.42)

### रियल एस्टेट एक्सपोजर


2.70 रियल एस्टेट क्षेत्र को एनबीएफसी-एनडी-एसआई क्षेत्र द्वारा दिया जाने वाला ऋण इस क्षेत्र को दिए जाने वाले कुल ऋण का 4.5% रहा। विशुद्ध मायनों में रियल एस्टेट क्षेत्र को दिए गए ऋण का रूझान चार्ट 2.43 में दिया गया है।

चार्ट 2.40: जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात का रूझान




स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण

चार्ट 2.41: सकल एनपीए अनुपात का रूझान



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण

चार्ट 2.42: आस्तियों पर प्रतिफल का रूझान



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण

<sup>30</sup> दिनांक 22.02.2007 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस.193 डीजी (वीएल) 2007 देखें

### पूंजी बाजार एक्सपोजर (सीएमई)

2.71 पूंजी बाजार एक्सपोजर में (i) सूचीबद्ध लिखत तथा (ii) पूंजी बाजार से संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण शामिल है। एनबीएफसी-एनडी-एसआई क्षेत्र के सीएमई की हिस्सेदारी औसतन इस क्षेत्र की कुल आस्ति का 8.8% रही जबकि क्षेत्र की अपनी निधि के सीएमई की हिस्सेदारी 34.0 प्रतिशत थी।

### दबाव परीक्षण - ऋण जोखिम

#### प्रणाली स्तर (एनबीएफसी -डू तथा एनबीएफसी-एनडी-एसआई)

2.72 दिसंबर 2012 को समाप्त अवधि के लिए एनबीएफसी (जिनमें जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी और एनडी-एसआई क्षेत्र दोनों शामिल हैं) के लिए ऋण जोखिम पर दबाव परीक्षण दो परिदृश्यों में किया गया - (i) जबकि सकल एनपीए दोगुना बढ़ाया गया तथा (ii) सकल एनपीए वर्तमान स्तर से 5 गुना बढ़ाया गया। यह देखा गया कि पहले परिदृश्य में सीआरएआर 21.7 प्रतिशत से 1.1 प्रतिशत पॉइंट घटकर 20.6 प्रतिशत हो गया जबकि दूसरे परिदृश्य में सीआरएआर 4.4 प्रतिशत पॉइंट घट गया (सीआरएआर 21.7 प्रतिशत से घटकर 17.3 प्रतिशत हो गया)। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों परिदृश्यों में सीआरएआर में गिरावट आएगी लेकिन यह 15% के न्यूनतम अपेक्षित स्तर के ऊपर ही रहेगा।

#### चुनिंदा एनबीएफसी


2.73 दिसंबर 2012 को समाप्त अवधि के लिए अलग-अलग एनबीएफसी के लिए ऋण जोखिम पर दबाव परीक्षण उन्हीं दो परिदृश्यों के अधीन किया गया जो प्रणाली स्तर दबाव परीक्षण के लिए प्रयुक्त किए गए थे। पहले परिदृश्य में यह देखा गया कि 3.5 प्रतिशत कंपनियों के संबंध में सीआरएआर 15% के न्यूनतम विनियामक आवश्यकता से कम रहा जबकि दूसरे परिदृश्य में 8.9 कंपनियों के संबंध में सीआरएआर 15 प्रतिशत से कम हो गया।

### बीमा

#### सुदृढ़ता


2.74 बीमा कंपनियों की सुदृढ़ता ऋण शोधन क्षमता के अनुपात से मिलता है। वित्त वर्ष 2012-13 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान जीवन तथा गैर- जीवन बीमा कंपनियों ने बहुत आराम से क्रमशः 1.5 तथा 1.3 के ऋण-शोधन क्षमता के अपेक्षित अनुपात को बनाए रखा।

चार्ट 2.43: रियल एस्टेट क्षेत्र को दिए गए ऋणों का रूझान



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण

चार्ट 2.44: पूंजी बाजार के एक्सपोजर का रूझान



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण

## कारोबार प्रचालन

2.75 वर्ष 2012-13 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान जीवन बीमा कंपनियों को प्रिमियम के रूप में कुल ₹1.80 ट्रिलियन की राशि प्राप्त हुई जिसमें एलआईसी की हिस्सेदारी 71.9 प्रतिशत की रही। इसी अवधि के दौरान गैर-बीमा कंपनियों (जीआईसी को छोड़कर) को प्रिमियम के रूप में कुल ₹513.88 बिलियन की राशि प्राप्त हुई जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की चार कंपनियों का योगदान 52.5 प्रतिशत का रहा।

### जीवन बीमा


2.76 नए कारोबार प्रिमियम के संदर्भ में मापा गया जीवन बीमा क्षेत्र का कारोबार पिछले दो वर्षों से सिकुड़ रहा है। नया कारोबार प्रिमियम वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान 6.3 प्रतिशत कम हो गया। यह संकुचन सार्वजनिक (अर्थात् भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)) और निजी क्षेत्र दोनों में दिखा। पिछले साल की तुलना में वर्ष 2012-13 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान जीवन बीमा कंपनियों की लाभप्रदता घटी है। इस क्षेत्र में बड़ा बदलाव यूलिप उत्पादों से दूरी बनाने के कारण हुआ जो विशेष रूप से निजी क्षेत्र में दिखा।

### एकल प्रिमियम पॉलिसी

2.77 एलआईसी का नया कारोबार प्रिमियम में बहुत बड़ी हिस्सेदारी एकल प्रिमियम पॉलिसियों की रही जो कुल प्रिमियम के 60 प्रतिशत के आसपास रही। वर्ष 2010-11 के बाद से निजी बीमा कंपनियों ने भी एकल प्रिमियम कारोबार में विस्तार किया है जो कुल कारोबार के 30% तक पहुंच गया है। जीवन बीमा क्षेत्र के लिए एकल प्रिमियम कारोबार पिछले वर्ष के 45.2 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान बढ़कर 51.4 प्रतिशत हो गया। (चार्ट 2.46)

2.78 चार्ट 2.46 से यह देखा जा सकता है कि प्रिमियम के बढ़ने के साथ बेची गई एकल प्रिमियम पॉलिसियों की संख्या घटी है जो एकल प्रिमियम पॉलिसी के टिकट साइज में वृद्धि को दर्शाता है।

चार्ट 2.45: नया कारोबार प्रिमियम



स्रोत: आईआरडीए


### निरंतरता

2.79 जीवन बीमा पॉलिसियों का स्वरूप दीर्घकालिक होने के कारण आवश्यक है कि यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाएं कि वे जीवनभर लागू रहें। हालांकि, निम्नलिखित मुद्दों के कारण जीवन पॉलिसियों की निरंतरता<sup>31</sup> में वैश्विक समस्या है i) पॉलिसी की अवधि के दौरान कुछ बेहतर उत्पाद बाजार में आ सकते हैं जिनकी विशेषताएँ ज्यादा लाभकारी हों, अथवा आरंभ से ही उत्पाद बीमाकृत व्यक्ति की आवश्यकताओं को जीवन भर पूरा करने के लिए उपयुक्त न हो। ii) बाहरी कारण जैसे कि पॉलिसी धारक के आर्थिक प्रोफाइल, नौकरी आदि में परिवर्तन, तथा iii) एजेंटों में संघर्ष के कारण बेचने के बाद खराब सेवा आदि। आईआरडीए ने भारतीय जीवा बीमा बाजार की निरंतरता में बेहतरी के लिए खासकर ऑफन पॉलिसियों के लिए बेचने के बाद प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में कुछ उपाय किए हैं। इसके परिणामस्वरूप स्थिति में कुछ सुधार आया है।

### पेंशन निधि

2.80 पेंशन क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा लागू की गई नई पेंशन योजना (एनपीएस) भारत सरकार की सेवा में भरती किए गए सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य है, जो जनवरी 2004 से प्रभावी है तथा इसे 1 मई 2009 से स्वैच्छिक आधार पर समस्त नागरिकों के लिए लागू कर दिया गया। मार्च 2010 तथा मार्च 2013 के बीच एनपीएस के ग्राहकों में 522.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि आधारभूत निधि में 538.0 प्रतिशत की बढ़त देखी गई, जो यह दर्शाता है कि ग्राहकों तथा आधारभूत निधि में अल्पावधि के दौरान तेजी से वृद्धि हुई है। (सारणी 2.9)

चार्ट 2.46: नया कारोबार प्रिमियम का संघटन - गैर-एकल प्रिमियम की तुलना में एकल प्रिमियम



स्रोत: आईआरडीए

	ग्राहकों की संख्या (लाख में)				प्रबंधनाधीन आस्तियां (करोड़ रु. में)				मार्च-10 की तुलना में मार्च-13 की संवृद्धि (%)	
	मार्च-10	मार्च-11	मार्च-12	मार्च-13	मार्च-10	मार्च-11	मार्च-12	मार्च-13	ग्राहकों की संख्या	एयूएम
केंद्र सरकार	5.96	7.48	9.47	11.40	4,484.04	7,266.39	11,341.43	17,576.00	91.15	291.97
राज्य सरकार	1.79	5.83	11.44	16.26	185.64	1,203.95	3,420.42	10,489.00	806.22	5,550.18
एनपीएस मुख्य - निजी क्षेत्र	0.04	0.36	0.74	2.13	9.52	111.26	260.93	1,351.00	5,042.44	14,091.18
एनपीएस लाइट	-	4.86	9.69	18.79	-	3.13	140.46	436.00	-	-
<b>कुल</b>	<b>7.80</b>	<b>18.53</b>	<b>31.34</b>	<b>48.58</b>	<b>4,679.20</b>	<b>8,584.73</b>	<b>15,163.24</b>	<b>29,852.00</b>	<b>522.85</b>	<b>537.97</b>

- : उपलब्ध नहीं।

स्रोत: पीएफआरडीए

<sup>31</sup> समाप्त होने या अन्य बीमाकर्ता की पॉलिसियों द्वारा बदल दिए जाने के बिना किसी बीमा कंपनी द्वारा लिखित चालू पॉलिसियों का प्रतिशत

2.81 ग्राहकों तथा आधारभूत निधि में हुई तेजी से वृद्धि के फलस्वरूप उल्लेखनीय प्रतिफल देखा गया। 31 मार्च 2013 को भारत औसत प्रतिफल, जिसका आकलन एनपीएस योजना के निवल आस्ति मूल्य के आधार पर किया गया था, 8.4 प्रतिशत से 14.2 प्रतिशत के बीच था (टेबल 2.10)।

2.82 2013-14 के बजट में यह अनुमान किया गया कि केवल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के पेंशन पर होने वाला कुल बर्हिगमन ₹707.26 बिलियन होगा, जो 2012-13 के लिए संशोधित अनुमान ₹636.36 से 10.79 प्रतिशत अधिक है। 1970 तथा 1980 के बीच भर्ती किए गए कर्मचारियों के समूह की सेवानिवृत्ति से बर्हिगमन बढ़ने की उम्मीद है। डिफाइन्ड बेनिफिट (डीबी) योजना, जो फिलहाल कार्यान्वयन के अधीन है तथा हाल ही में घोषित की गई है (अधिकांश सरकारी क्षेत्र में) के मामले में देयता आकलन का अभाव, विशेषकर बढ़ती जीवन-अपेक्षाओं के बीच, आने वाले वर्षों में राजकोषीय तनाव का कारण होगा, जहाँ काफी बड़ा भुगतान करना होगा।

योजना	प्रतिलाभ (प्रतिशत)
केंद्र सरकार	12.39
राज्य सरकार	13.00
स्वावलंबन	13.40
निजी: इक्विटी	8.38
निजी: कॉरपोरेट कर्ज	14.19
निजी: सरकारी कर्ज	13.52

स्रोत: पीएफआरडीए

## अध्याय III

### वित्तीय क्षेत्र विनियमन एवं आधारभूत संरचना

अलग अलग देशों में विभिन्न सुधारों के कार्यान्वयन में प्रगति को दिशा विरासत में मिले मुद्दों तथा विभिन्न मिश्रित कारकों जैसे कि एक ओर वित्तीय क्षेत्र विकास के चरण तथा दूसरी ओर संबंधित आर्थिक प्रणालियों के लिए विभिन्न सुधारों के सापेक्षिक महत्व तथा प्राथमिकताओं द्वारा दिया जा सकता है। लेकिन खतरा इस बात से है कि कतिपय प्रमुख अधिकार क्षेत्रों में विनियामक दृष्टिकोण में उभरती विसंगतियां अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार और संस्थाओं के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। जो भी हो, जैसे जैसे विनियामक अन्तराल उभरेंगे विनियामक द्वन्द्व जारी रहेंगे।

भारत ने जी 20 / फाईनेन्शियल स्टेबिलिटी बोर्ड के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक सुधारों अर्थात् - बासेल-II, ओटीसी डिरेक्टिवज, सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट फाईनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स का विनियमन, शेडो बैंकिंग क्षेत्र के कार्यान्वयन में स्थिर प्रगति की है। सुधारों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए भारत विनियमन के प्रति वन साईज फिटस ऑल दृष्टिकोण के छिपे हुए खतरों के प्रति सतर्क है। साथ ही, भारतीय वित्तीय क्षेत्र के लिए भारतीय विधि-विनियामक ढांचे की समीक्षा करते समय वित्तीय प्रणाली के ऐतिहासिक विकास और अद्भुत विशेषता को ध्यान में रखना होगा।

हाल में शेडो बैंकिंग क्षेत्र में कुछ हानिकारक प्रथाओं के चलते विनियामक दायरा बढ़ाने तथा पर्यवेक्षी कार्यों को सुदृढ़ करने के महत्व को दर्शाया है। वित्तीय क्षेत्र में उपभोक्ता सुरक्षा का उच्चतर स्तर सुनिश्चित करने के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ समन्वय तंत्र की प्रभावशीलता को बढ़ाने की आवश्यकता पैदा करता है।

ऐसे समय में जब घरेलू वित्तीय बचत बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है वित्तीय उत्पादों की अनाप-शनाप बिक्री, प्रलोभनकारी प्रथाओं से उपजे जोखिमों, त्रुटिपूर्ण व्यापार, हाई फ्रीकवेन्सी ट्रेडिंग, कार्ड / इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेन -हक्क सरीखे तकनीकी मुद्दों से संबंधित जोखिमों को कम करके वित्तीय प्रणाली की विश्वसनीयता को बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है।

#### वैश्विक विनियामक सुधार का कार्यान्वयन

##### विनियामक द्वन्द्व

3.1 अलग-अलग कार्यधिकार क्षेत्रों में सम्मत वैश्विक सुधार का कार्यान्वयन हो रहा है तथापि वित्तीय विनियमन की संरचना पर फिर से विचार करने की सामान्तर प्रक्रिया चल रही है। अत्यधिक अविनियमन और नरम विनियमन वो प्रमुख कारक थे, जिन्हें वित्तीय सुधार काबू में करने का इरादा रखते थे, ने वित्तीय संकट में योगदान दिये। पर जैसे जैसे संकट की यादें धुंधला रही हैं, विनियमन के प्रस्तावित उपायों के संबंध में प्रश्न उठाये जा रहे हैं। सुधारों पर पुनर्विचार बढ़ी हुई पूंजी स्तर (विशेषतया 'टू बिग टू फैल' निकायों के) अपेक्षित लाभ बनाम वित्तीय बाजारों के विकास और बैंकिंग व्यवसाय की लागत के हर्ड-गिर्द घूमती है। जबकि विनियामक द्वन्द्व-तर्क बने रहेंगे, विनियामकों को अपने सुधारों को ऐसे वस्तु-विनियमन (बॉक्स 3) के मध्य से गुजारने में कठिनाई होगी।

##### विनियमों में आन्तरिक पक्षपात के संकेत

3.2 हालांकि सुधारों पर वैश्विक मतैक्य की दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है, कुछ कार्यधिकार क्षेत्रों में विनियामक चौधराहट सिर उठा रहा है। बहुत से उन्नत कार्यधिकार क्षेत्रों में अतिरिक्त विनियामक उपायों के प्रति कई तरह के दृष्टिकोण होने से वित्तीय वैश्विकरण की गति धीमी पड़ सकती है। उदाहरण के लिए यूएस में वॉकर रूल्स यूके में विकर्स रिपोर्ट और ईयू में लिकनन रिपोर्ट सारता प्रमुख रूप से रिंग फैन्सिंग मॉडल पर आधारित है। पर रिंग फैन्सड निकायों द्वारा किये जा सकने हैं और उनके बीच हो सकने वाले कार्यकलापों के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण अन्तर है। जबकि विनियम के प्रति आन्तरिक पक्षपात के सापेक्ष गुण और दोष का इस घड़ी में अनुमान लगाना कठिन है, ऐसे विनियमों का बहुत शीघ्र प्रभाव हो सकता है जैसे कि वॉकर रूल प्रिस्क्रिप्शन ने भारत में यूएस बैंकों के परिचालनों पर खासा असर डाला है, इसका कारण यह है कि वह घरेलू विदेशी मुद्रा लेन-देन बाजार, सरकारी प्रतिभूति बाजार तथा ब्याज दर स्वैप बाजार में बड़े खिलाड़ी हैं।

**बॉक्स 3.1: विनियमन, नवोन्मेष और विनियामक डायलेक्टिक्स**

तीन दशक से अधिक पहले एडवर्ड जे.केन ने एक गतिशील मॉडल का विचार प्रस्तुत किया था जिसमें विनियमित और विनियामकों में परस्पर कार्रवाई की संकल्पना की गई थी और इसे “ विनियामक डायलेक्टिक्स ” कहा था। इस मॉडल के अधीन, वित्तीय बाजार विनियमन एक खत्म न होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें विनियामक और विनियमित संस्थाएं वैकल्पिक कार्रवाई करते हैं। आठवें दशक में केन ने यह सुझाव दिया था कि वित्तीय बाजार के सहभागी अपनी औसत सक्षमताओं को दिखाते हैं, और यह निष्कर्ष दिया कि विनियमन से बचने और विनियमन की तुलना में विनियमन और उससे बचने में समयांतराल कम होता है।

- अधिक विनियमित संस्थाओं की तुलना में कम विनियमित सहभागी अधिक तेजी और स्वतंत्रता से कार्य करते हैं।
- सरकारी सहभागियों की तुलना में निजी सहभागी अधिक तेजी और स्वतंत्रता से कार्य करते हैं।
- विनियामकों की तुलना में विनियमित सहभागी अधिक तेजी से

कार्य करते हैं।

- अन्य सभी सहभागियों की तुलना में अंतरराष्ट्रीय विनियामक निकाय अधिक सुस्ती तथा कम स्वतंत्रता से कार्य करते हैं।

हाल ही के एक पर्चे<sup>1</sup> में केन ने यह मत व्यक्त किया है कि “ अमेरिका में विनियमन के कारण नवोन्मेष का सामना करने के लिए और उन संस्थाओं को अनुशासन में लाने के लिए जिन्होंने यह गड़बड़ियां की हैं, वे इस कारण हैं कि प्रोत्साहनों के बीच द्वंद था और विनियामकों के पास स्टाफ की कमी थी” और “ बैंकर इस बात को समझते हैं कि वित्तीय सुरक्षा नेट एक राजनीतिक स्तर पर प्रवर्तनीय संविदा है, जो उन्होंने राष्ट्रीय सरकारों से प्राप्त की है” और यह उनके तुलन पत्रों से बाहर की चीज नहीं है”।

वह यह भी समझते हैं कि पैरवीकार विनियामकों के दिमाग में बैंकों के लेखाकरण निर्णय या उनकी स्थिति पर प्रश्न-चिह्न लगाकर कर करदाता बना देते हैं।<sup>2</sup>

**सुधारों के प्रति भारतीय दृष्टिकोण**

3.3 घरेलू कारणों और नीतिगत प्राथमिकताओं ने सम्मत वैश्विक सुधारों और अन्तर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए वित्तीय क्षेत्र विनियमन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण का पथप्रदर्शन करना जारी रखा। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद अपनी उप समिति के जरिये विभिन्न प्रकार के सुधारों के कार्यान्वयन का समन्वय एवं निगरानी कर रहा है, जिसकी शुरुआत उसने देश में वर्तमान विनियामक ढांचे की तुलना में प्रस्तावित सुधारों के आकलन करने के साथ कर दिया है। सुधार, अलग अलग क्षेत्रीय विनियामक से सीधे संबंधित है और उनके विनियामक कार्यधिकार क्षेत्र के भीतर निहित हैं और उनके द्वारा स्वतंत्र रूप से संचालित किया जा रहा है, सुधार क्षेत्र, जिसे सक्रिय अन्तःविनियामक / अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय की आवश्यकता

है का नेतृत्व अन्तर्राष्ट्रीय समूहों द्वारा कतिपय विशिष्ट क्षेत्रों यथा: रेजोल्यूशन रिजिम शेडो बैंकिंग, वित्तीय बाजार ढांचा, लीगल एंटीटी आईडेन्टिटीफायर और क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी पर केन्द्रित करके किया जा रहा है। इन सुधारों को लागू करने के लिए समयोचितता दर्शाते हुए संबंधित समूहों द्वारा एक रोडमैप तैयार करना प्रस्तावित है,

**बासेल - III**

**जोखिम भार आधारित दृष्टिकोण का प्रभाव**

3.4 बासेल III का ध्येय बासेल -II ढांचे में कमियों को कम करना है, जो वित्तीय संकट के दौरान उभर कर आया था। संकट के प्रमुख कारणों में से एक कारण था; जोखिम आधारित पूंजी अनुपात को विनियामक अपेक्षा से ऊपर रखने से अत्यधिक लीवरेज उत्पन्न होना. क्योंकि कुछ बैंकों के आंतरिक मॉडलों में

<sup>1</sup> केन .ई (2012) : “ बैंकर एंड ब्रोकर फर्स्ट: लूज हंड्स इन द थिऑरी ऑफ सेंट्रल बैंक पॉलिसीमेकिंग ” <https://www2.bc.edu/edward-kane/Bankers%20and%20Brokers%20First.pdf> से प्राप्त ।

<sup>2</sup> केन ई (2011), “लूज हंड्स इन कैपिटल रेगुलेशन: फेसिंग अप टू द रेग्यूलेटरी डायलेक्टिक”, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ शिकागो इंटरनेशनल बैंकिंग कॉन्फ्रेंस, 11 नवंबर 2011, शिकागो

जोखिम भारों के जमा -घटा में मदद की। मॉडलिंग के प्रयोग में सम्मिलित अन्तर्भूत जटिलता और अस्पष्टता ने संवीक्षा और पर्यवेक्षी वैधीकरण प्रक्रिया के होते हुए भी बैंकों को जोखिम भारों के आक्रमक क्रियान्वयन होने दिया जो मुख्यतः उनके व्यवसायिक प्रतिफलों से संचालित थे।

3.5 हाल ही में एक आलेख के अनुसार<sup>3</sup> जोखिम - भार सघनता जिसे बैंकों के समग्र आस्तियों के जोखिम भारित अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, पाया गया कि बासेल II के आन्तरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण को एक बार अनुमोदन प्रदान किये जाने के बाद घटा गया है। आगे, देखा गया कि यह प्रभाव विभिन्न ऋण संवर्गों के संदर्भ में बना रहा है, जिसे त्रुटिपूर्ण मॉडलिंग अथवा सुधरे हुए जोखिम उपाय मात्र से स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इन निष्कर्षों के परिणामस्वरूप बासेल III के अधीन अतिरिक्त विनियमांक उपचार में परिणित हुए जिसमें सामूहिक इक्विटी अपेक्षा न केवल दोगुना था बल्कि पूंजी संरक्षण बफर से भरा जाना अपेक्षित था<sup>4</sup>।


### भारतीय बैंकों के जोखिम भारित आस्तियों में मामूली वृद्धि

3.6 भारतीय बैंकों के जोखिम भारित आस्तियों का कुल आस्तियों के साथ<sup>5</sup> अनुपात के स्केटर डायग्राम दर्शाता है कि अनुपात का औसत मूल्य जो मार्च 2012 के अन्त में 60 प्रतिशत था मार्च, 2013 के अन्त में बढ़ कर 62 प्रतिशत हो गया (चार्ट 3.1)। अनुपात मूल्य में छितराव इन दो तारीखों के मध्य थोड़ी सी घटी। बासेल II और बासेल III के अधीन जैसे जैसे अधिकाधिक बैंक आन्तरिक मॉडल आधारित दृष्टिकोण अपना रहे हैं प्रवृत्तियों और बहिष्कों की निगरानी किये जाने की आवश्यकता है<sup>6</sup>।

### लिवरेज अनुपात - 'बुनियादी बातें अपनाना'

3.7 अत्यधिक लिवरेज की प्रवृत्ति को रोकने के लिए बासेल II के तहत एक सरल गैर-जोखिम आधारित लिवरेज अनुपात निर्धारित किया गया है जो जोखिम आधारित पूंजी आवश्यकताओं

चार्ट 3.1: आरडब्ल्यूए घनत्व



स्रोत: आरबीआइ पर्यवेक्षी विवरण और स्टाफ अभिकलन

<sup>3</sup> मैरिस्थासन, एम एंड ओ, मेरॉउच (2013), “ द मैनिपुलेशन ऑफ बासेल रिस्क वेट्स”, सीईपीआर डिस्कशन पेपर -9494. सीईपीआर

<sup>4</sup> दबाव की अवधि में एक बफर के रूप में जोखिम भारित आस्तियों के 2.5 प्रतिशत के समतुल्य आहरित किए जाने वाली अतिरिक्त पूंजी

<sup>5</sup> अभिकलन के लिए तुलन पत्रक में दी गई आस्तियों तथा तुलन पत्रक में न दी गई आस्तियों का उपयोग किया गया है।

<sup>6</sup> इस रिपोर्ट के अध्याय II का खंड 2.29 भी देखा जाए।

के लिए पूरक 'बैंक-स्टॉप' उपाय का कार्य करेगा। लीवरेज अनुपात, बैंक के शेयरधारक अर्थात् शेयरधारक, ऋणदाता, जमाकर्ता और विनियमाक आसानी से समझ सकते हैं तथा इससे संस्था की पूंजीपर्याप्तता का आकलन करने में आसानी होती है। बासेल समिति 1 जनवरी 2013 से 1 जनवरी 2017 के बीच की पैरलल रन के दौरान टायर I लीवरेज रेशो का परीक्षण कर रही है।

### लघु आवधिक तरलता पर संशोधित बासेल III दिशा-निर्देश

3.8 जनवरी 2013 में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति ने दिसंबर, 2010 में प्रकाशित लिक्विडिटी कवरेज रेशो के मूल रूप में कई परिवर्तन समाविष्ट करने के उपरान्त संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये हैं। ये परिवर्तन वित्तीय बाजारों, क्रेडिट और आर्थिक वृद्धि के विस्तार पर एलसीआर मानक के संभावित प्रभाव को कम करने की दृष्टि से जरूरी थे। इसके अतिरिक्त बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति ने एलसीआर मानक लागू

करने के लिए कतिपय बैंकिंग प्रणालियों में सतत उल्लेखनीय वित्तीय तनाव के दृष्टिगत अधिक व्यापक समय-सीमा पर विचार किया है।

### तरलता मानदण्ड पर रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश

3.9 रिज़र्व बैंक ने तरलता जोखिम पर नवम्बर, 2012 में जारी दिशा-निर्देश में इस बात का संकेत किया है कि बासेल III तरलता मानदण्ड पर अन्तिम दिशा-निर्देश तब जारी किये जाएंगे जब बासेल समिति संबंधित फ्रेम-वर्क को अन्तिम रूप देगा। अब जब बासेल समिति ने जनवरी 2013 में दिशा-निर्देश (बासेल III द लिक्विडिटी कवरेज रेशो एण्ड लिक्विडिटी रिस्क मॉनीटरिंग टूल्स) जारी कर दिये हैं और एलसीआर प्रकटन अपेक्षाओं एवं नेट स्टेबल फंडिंग रेशो को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया में है। रिज़र्व बैंक बासेल III तरलता मानदण्ड एवं लिक्विडिटी रिस्क मॉनीटरिंग टूल्स पर बासेल समिति द्वारा किये गये संशोधनों को ध्यान में रखते हुए अन्तिम दिशा-निर्देश जारी करेगा।

### बॉक्स 3.2: एलसीआर-दिशा-निर्देशों में घोषित प्रमुख परिवर्तन

**उच्च गुणवत्ता वाली आस्तियों के एक अंश के तौर पर पात्र आस्तियों की सीमा का विस्तार-** लेबल 2 एसेट्स के न्यू कैटेगरी के संयोजन के माध्यम से जिसे राष्ट्रीय पर्यवेक्षक अपने स्थानीय एलसीआर विनियमों में एचक्यूएलए के तौर पर चुनना चाहे।

**उद्योग प्रतिसूचना और तनाव के दौरान हुए वास्तविक अनुभव की दृष्टि से कतिपय नकदी प्रवाह मदों** खुदरा एवं वित्तेतर कॉर्पोरेट डिपोजिट तथा उपयोग न की प्रतिबद्ध सुविधाओं सहित) की पुनर्जांच

**बैंकों द्वारा तनाव समय एचक्यूएलए स्टॉक की उपयोगिता की स्वीकारोक्ति,** एलसीआर को न्यूनतम अपेक्षा से नीचे गिरने देना।

पर्यवेक्षकों को एचक्यूएलए के प्रयोग की परिस्थितियां विनिर्दिष्ट करने तथा ऐसी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त पर्यवेक्षी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश तय करने होंगे तथा

**फेज़-इन एरेंजमेंट अंगीकार** करने से 1 जनवरी, 2015 से एलसीआर लागू हो जाएगा परंतु ऐसा 60 प्रतिशत के न्यूनतम निर्धारित के साथ होगा। यह तब 10 प्रतिशत प्रति वर्ष के दर से बढ़ता हुआ 1 जनवरी, 2019 को 100 प्रतिशत हो जाएगा। यह क्रमांकित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करने के लिए है कि बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ करने और आर्थिक कार्यव्यापार के वित्तपोषण के लिए बिना किसी स्पष्ट व्यवधान के मानक लागू किया जा सकता है।

<sup>7</sup> बासेल III; चलनिधि कवरेज अनुपात और चलनिधि जोखिम को मापने संबंधी साधन, जनवरी 2013 <http://www.bis.org/publ/bcbs238.pdf>

<sup>8</sup> अगले 30 कैलेंडर दिनों में 'कुल निवल नगदी प्रवाह' में उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियों के रूप में उल्लिखित एलसीआर दो वैश्विक चलनिधि मानक में से एक है जो बासेल III दिशानिर्देशों का एक अनिवार्य भाग है। एलसीआर का उद्देश्य है एक बहुत प्रखर चलनिधि दबाव परिदृश्य में, 30 कैलेंडर दिनों के लिए आकस्मिक चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भाररहित उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियों के माध्यम से बैंकों की अल्पकालिक आघात सहनीयता को बनाए रखना।

<sup>9</sup> एनएसएफआर मानक का गठन इस प्रकार से किया गया है कि अपने चलनिधि जोखिम प्रोफाइल के संबंध में उनकी दीर्घकालिक आस्तियों का निधियन कम से कम स्थिर देयताओं की न्यूनतम राशि से किया जाए।

### अधिक कड़े पूंजी आवश्यकताएं और समयोचितता

3.10 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पहले ही बासेल III पूंजी विनियमन लागू कर दिये हैं जो 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी हो कर 31 मार्च 2018 तक इसे चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएंगे। इस प्रकार संपूर्ण कार्यान्वयन के लिए भारत की समय-सूची बासेल समिति की समय-सीमा से 9 महीने आगे है। बतौर विवेकशीलता और पूंजी पर्याप्तता की गणना में हो सकने वाली संभावित त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उच्चतर टायर I पूंजी निर्धारित किया है जो कि बासेल III अपेक्षाओं से 1 संपूर्ण प्रतिशत बिन्दु ऊपर है (सारणी 3.1)। बीसीबीएस द्वारा लीवरेज को अन्तिम रूप नहीं दिये जा सकने पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4.5 (टीयर I समग्र आस्ति का पूंजी के साथ अनुपात) प्रतिशत का न्यूनतम टीयर I लीवरेज अनुपात लागू किया है, जिसकी बाद में बीसीबीएस के अन्तिम अनुशंसा के आधार पर समीक्षा की जाएगी

### अतिरिक्त पूंजी अपेक्षाएं

3.11 विश्लेषणात्मक अध्ययनों ने 10 उच्च पूंजी आवश्यकताओं के कारण लेंडिंग (वृद्धि) पर वैश्विक स्तर पर संभावित दुष्प्रभाव की तरफ इशारा किया है। फिर भी, सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली की बजह से हुए लाभों के कारण उधार देने की लागत में वृद्धि को संतुलित किया जा सकता है। ऐसी आशा की जा सकती है कि बैंकों के सुधरे हुए पूंजी अनुपात से स्टेक होल्डरों में और अधिक विश्वास जगेगा और इस प्रकार कालान्तर में उनकी पूंजी लागत घटायी जा सकती है।

3.12 बासेल III पूंजी अपेक्षाएं लागू करने के लिए लंबी समयावधि से भारतीय बैंकों को सुचारू और बिना व्यवधान के अवस्थान्तरित होने की आशा की जा सकती है। प्रारंभिक अनुमानों दर्शाते हैं कि भारतीय बैंकों की अतिरिक्त पूंजी अपेक्षाएं 5 ट्रिलियन रुपये होंगी, जिसमें से गैर- इक्विटी पूंजी 3.25 ट्रिलियन रुपये और बाकी इक्विटी से पूरी होगी।<sup>11</sup>

### सारणी 3.1 बासेल III के अधीन भारतीय बैंकों की पूंजी अपेक्षाएं

(आरडब्ल्यू के अनुसार)

	बासेल III मानक	भारतीय रिज़र्व बैंक प्रिस्क्रिप्शन्स
न्यूनतम सामूहिक इक्विटी (एमसीई)	4.5	5.5
पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी)	2.5	2.5
जोड़ (एमसीई + सीसीबी)	7.0	8.0
न्यूनतम टीयर I पूंजी	6.0	7.0
न्यूनतम टीयर I पूंजी + सीसीबी	8.5	9.5
न्यूनतम कुल पूंजी	8.0	9.0
न्यूनतम कुल पूंजी + सीसीबी	10.5	11.5

<sup>10</sup> मैक्रोइकॉनॉमिक एसेसमेंट ग्रुप (2010), “ एसेसिंग द मैक्रोइकॉनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द ट्रांजिशन टू स्ट्रॉंग कैपिटल एंड लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स ”। बैंकिंग पर्यवेक्षण के संबंध में वित्तीय स्थिरता बोर्ड तथा बासेल समिति द्वारा गठित अंतिम रिपोर्ट, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट।

<sup>11</sup> सुब्बाराव डी (2013), “द ग्लोबल फाइनेंसियल क्राइसिस एंड द इंडियन फाइनेंसियल सेक्टर व्हाट हैव वी लर्न एंड हाउ हैव वी रेस्पॉण्डेड ?”, इंडियन मर्चेन्ट चेंबर द्वारा 5 जून 2013 को आयोजित सातवें अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग तथा वित्त सम्मेलन में व्याख्यान।

### भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति- सहायक ढांचा

3.13 परंपरागत रूप से वित्तीय विनियम के प्रति भारतीय दृष्टिकोण वैश्विक अनुभव और स्थानीय परिस्थितियों को मिश्रित करने का रहा है। जहां तक वैश्विक भीमाकार बैंकिंग संस्थाओं का प्रश्न है, भारत में उनके परिचालनों के संबंध में इस कथन अर्थात् 'विनियमित करने के लिए अत्यधिक पैचीदा' के अनुसार चिंता का सबब बने हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2005 में तैयार किये गये रोड-मैप द्वारा विदेशी बैंकों को भारत में बतौर शाखा अथवा सहायक संस्था के प्रविष्टि करने के संबंध में विकल्प देने की अनुमति दी गई है। संकट के बाद वैश्विक नीतिगत सोच में परिवर्तन प्रतिबिम्बित करते हुए रिजर्व बैंक का मौजूदा रवैया साह्यकारी मॉडल के पक्ष में है। जबकि कतिपय कर संबंधी मुद्दों अर्थात् शाखाओं को सहायक संस्थाओं में परिवर्तित किये जाने के परिणाम स्वरूप स्टाम्प शुल्क और केपिटल गैन कर में छूट का मसला हल कर लिया गया है, कतिपय कानूनी मुद्दों का हल अभी तक नहीं हो पाया है।

### उन्नत मापन दृष्टिकोण के अधीन परिचालनगत जोखिम

3.14 पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में परिचालनगत जोखिम को मापने में कठिनाईयों और मानकीकृत दृष्टिकोण की सीमाओं के बारे में चिन्ता प्रकट की गई थी। परिचालनगत जोखिमों के संदर्भ में बासेल II के अधीन निर्धारित तीन दृष्टिकोणों में से पूंजी प्रभारों की गणना के लिए उन्नत मापन दृष्टिकोण सबसे अधिक जोखिम संवेदी और परिष्कृत है।

3.15 रिजर्व बैंक ने अप्रैल, 2011 में उन्नत मापन दृष्टिकोण पर दिशा-निर्देश जारी किया है और उन्नत मापन दृष्टिकोण में माईग्रेशन हेतु भारतीय बैंक, 1 अप्रैल, 2012 से आवेदन कर सकते हैं। तब से ले कर चार बैंकों ने उन्नत मापन दृष्टिकोण में माईग्रेशन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क किया है। उन्नत मापन दृष्टिकोण के कार्यन्वयन में बैंकों ने जिन कुछ प्रमुख चुनौतियों का सामना किया है वे हैं आन्तरिक शासन से संबंधित मुद्दे, संगत व्यवसाय वातावरण, आन्तरिक नियंत्रण कारक, ऐतिहासिक लोस डेटा की उपलब्धि में अड़चने जिसमें आन्तरिक और बाह्य दोनों आंकड़े, परिदृश्यगत आंकड़े और आपरेशनल

लॉस आंकड़ों का मॉडलिंग और क्वान्टिफिकेशन भी शामिल हैं। परिचालनगत जोखिम पूंजी गणना हेतु उन्नत मापन दृष्टिकोण के प्रयोग के लिए विनियामक अनुमति पर बैंकों की इस संबंध में तैयार होने के आकलन के आधार पर विचार किया जाएगा। .

### ओवर द काउंटर डिरिवेटिव्स

3.16 ओवर द काउंटर डिरिवेटिव्स पर संकटकालोत्तर सुधारों का जोर उत्पादों के मानकीकरण, सेन्ट्रल काउंटर पार्टी आधारित इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म और ट्रेड रिपोजिटरीज के माध्यम से ट्रेड की रिपोर्टिंग पर है। उत्पादों की अस्पष्टता, अपर्याप्त संपाश्रविक के साथ अत्यधिक द्विपक्षीय एक्सपोजर और बाजार भागीदारों के बीच अन्तरसंबंधता ओवर द काउंटर डिरिवेटिव्स बाजार में विश्व भर में प्रमुख जोखिम हैं। वित्तीय स्थिरता बोर्ड संप्रति जी 20 समूह के देशों में इन सुधारों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी कर रहा है।

### भारत में कार्यान्वयन की स्थिति

3.17 भारत में ओवर द काउंटर डिरिवेटिव्स मार्केट, उत्पादों में घाल-मेल का निम्न स्तर, बाजार के सुचारू विकास और विनियमन ने सुनिश्चित किया है कि ओवर द काउंटर डिरिवेटिव्स से सिस्टमिक जोखिम के संबंध में बड़ी चिन्ता की कोई बात नहीं है। ओवर द काउंटर डिरिवेटिव उत्पाद वास्तविक क्षेत्र की सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर चरणबद्ध रूप से लाये गये थे। वर्तमान विनियमन आदेश के अनुसार ओवर द काउंटर डिरिवेटिव्स वैधता करार विनियमित निकाय होने के कारण लेन-देन करने वाले किसी एक पक्ष पर सशर्त लागू है। भारतीय समाशोधन निगम लि. सरकारी प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार लिखतों और विदेशी मुद्रा उत्पादों के लेन-देन का समाशोधन और निपटान का प्रावधान करता है। ओवर द काउंटर डिरिवेटिव्स मार्केट का विनियामक होने के नाते रिजर्व बैंक ने पारदर्शिता और ओवर द काउंटर डिरिवेटिव्स मार्केट में प्रतिपक्षी जोखिम घटाने और लेन-देन करने, निपटान करने और सूचना देने के लिए तगड़े बाजार संरचना के विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित किया। चूंकि भारत जी 20/एफएसबी सुधारों को कार्यन्वित करने के लिए कटिबद्ध है। ओवर द काउंटर डिरिवेटिव्स सुधार उपायों को लागू करने में मुनासिब तरक्की हुई है।

### उत्पादों का मानकीकरण

3.18 ओवर द काउंटर डिरिवेटिव उत्पादों के मानकीकरण की प्रक्रिया शने शने अपनाने की योजना बनाई गई है। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैपस लेने-देने का अभिलेखीकरण, कूपन, कूपन भुगतान तारीख इत्यादि के संदर्भ में मानकीकरण किया जा रहा है। बाजार सहभागियों के परामर्श से न्यूनतम अनुमानित मूलधन, अवधि, कारोबार के घंटे, भुगतान गणना इत्यादि के अनुसार ब्याज दर स्वैपस संविदा में मानकीकरण प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। प्रारंभिक पहल के तौर पर आईएनआर अन्तःबैंक ऑफर रेट-ओवरनाईट इंडेक्स स्वैप संविदा के लिए मानकीकरण 1 अप्रैल, 2013 से अनिवार्य कर दिया गया है। आईआरएस में अन्य मानक परवर्ती चरणों में मानकीकृत किया जाना प्रस्तावित है। विदेशी मुद्रा डिरिवेटिव्स 'साधारण व्युत्पन्नी' हैं और बाजार परंपरा का अनुसरण करते हैं।

### विदेशी मुद्रा और ब्याज दर वायदा व्यापार का केन्द्रीकृत समाशोधन

3.19 अमरीकी डॉलर - भारतीय रूपये वायदा लेन-देनों के निपटान के लिए गारंटीकृत केन्द्रीकृत समाशोधन की व्यवस्था है। विदेशी मुद्रा वायदा का अनिवार्य केन्द्रीकृत समाशोधन शीघ्र ही लागू किया जाना प्रस्तावित है। भारतीय रूपये में आईआरएस तथा वायदा दर करार, जो कि बाजार में लेन-देन डिरिवेटिव ब्याज दर का काफी बड़ा अंश होता है, वर्तमान में गैर-गारंटीकृत मॉड में समाशोधित किया जा रहा है। हालांकि यह बाजार सहभागियों के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वे अपने व्यापार सीसीपी के माध्यम से समाशोधित करे 97 प्रतिशत से अधिक आईआरएस/एफआरए निधि प्रवाहों का निपटान सीसीआई एल के माध्यम से किया जा रहा है। सीडीएस मार्केट भारत में अभी विकसित हो रहा है और सीडीएस लेन-देनों के केन्द्रीकृत समाशोधन को समर्थन देने के लिए आवश्यक बाजार कार्यकलाप प्राप्त करने में अभी समय लग सकता है। सीसीपी द्वारा प्रस्तावित जोखिम नियंत्रण ढांचा और डिरिवेटिव के लिए प्रक्रियागत पहलू और एक्सपोजर नॉर्म से संबंधित मुद्दों की जांच की जा रही है।

3.20 सरकारी प्रतिभूतियों में रिपो, आईआरएस, एफआरए और विदेशी मुद्रा वादा विनियम संबंधी लेन-देनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म उपलब्ध हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित कार्यदल

की रिपोर्ट<sup>12</sup> ने सीसीपी के तहत आईआरएस मार्केट के लिए अन्य बातों के अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक स्वैप सुविधा चालू करने की सिफारिश की है, जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के माध्यम से निष्पादित ट्रेड के निपटान गारंटी दे सकते हैं। इन विशेषताओं को लागू करने के लिए अपनाये जाने के तौर-तरीकों का इस समय परीक्षण किया जा रहा है।

3.21 मौजूदा विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक और प्राथमिक व्यापारी आईआरएस/एफआरए और विदेशी मुद्रा डिरिवेटिव लेन-देनों की रिपोर्ट सीसीआई इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर करते हैं। शेयर संतुलनकर्ताओं द्वारा सभी सीडीएस ट्रेडस(क्लाईट ट्रेड सहित) सीसीआईएल की इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर करना अपेक्षित है। टीआर को सभी प्रमुख ओपटीसी विदेशी मुद्रा डिरिवेटिव की रिपोर्ट जुलाई, 2012 से लागू हो गई है। इसके अतिरिक्त उपयुक्त गोपनीयता प्रोटोकॉल के तहत विदेशी मुद्रा डिरिवेटिव में क्ललाईट ट्रेड की रिपोर्टिंग अप्रैल, 2013 से शुरू हो चुकी है। इस समय बैंकों द्वारा आईआरएस में क्ललाईट ट्रेड की रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को की जा रही है और ब्याज दर डिरिवेटिव के संबंध में क्ललाईट ट्रेड की रिपोर्टिंग फ्रेम-वर्क बनाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

### एक्सट्राटेरिटोरियल रेग्युलेटरी ज्यूरिसडिक्शन से जोखिम

3.22 ओटीसी डिरिवेटिव सुधार से वास्ता रखने वाले यूएस और यूरोपियन कानूनों ने एक्सट्राटेरिटोरियल रेग्युलेटरी ज्यूरिसडिक्शन, जिससे विनियामक टकराव की ओर बढ़ने और बाजार कार्यकलाप बाधित कर सकने की संभावनाओं पर चिन्ता जाहिर की है। मिसाल के तौर पर डोड फ्रैंक एक्ट द्वारा यथा संशोधित यूरोपियन मार्केट इन्फ्रस्ट्रक्चर रेग्यूलेशन एवं कॉमोडिटी एक्सचेंज एक्ट में आदेशात्मक नियम निहित हैं जो यूरोपियन/ यूएस बैंकों को तीसरे विश्व की उन समाशोधन गृहों जिन्होंने यूरोपियन सिक्योरिटीज एवं मार्केट अथॉरिटीज को मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन नहीं किया है अथवा जो कोमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन में डिरिवेटिव कमीशन विनियम के अनुसार बतौर डिरिवेटिव क्लियरिंग ऑरगेनाइजेशन पंजीकृत नहीं हैं, में सहभागिता करने से रोक सकते हैं। अभी चर्चा चल रही है, ईयू और यूएस नियमों में विसंगतियों, तुल्यता आकलन के लिए प्रक्रिया और समय की अनिश्चितता अन्तरराष्ट्रीय

<sup>12</sup> सरकारी प्रतिभूतियों एवं ब्याज दर डेरिवेटिव्स बाजार में चलनिधि बढ़ाने हेतु कार्यकारी समूह

वित्तीय बाजार के कामकाज को प्रभावित कर सकता है और जी 20 सुधार कार्यसूची के कार्यान्वयन की प्रगति पर असर डाल सकता है।

### नॉन ओटीसी क्लीयर्ड डिरिवेटिव्स के लिए मार्जिन

3.23 नॉन ओटीसी क्लीयर्ड डिरिवेटिव्स के लिए मार्जिन के लिए अन्तरराष्ट्रीय मानकों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। मार्जिन अपेक्षाओं पर विश्वसनीय मानक विकसित करने के लिए बीसीबीएस और अन्तरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग द्वारा गठित कार्यदल ने अपना ड्राफ्ट विचार किये जाने हेतु प्रस्तुत कर दी है। सम्मिलित किये गये (अर्थात् वित्तीय फर्म और सिस्टमिकली महत्वपूर्ण गैर-वित्तीय निकाय) उन सभी निकायों, जो गैर-केन्द्रीकृत समाशोधित डिरिवेटिव का कार्य कर रहे हैं के लिए प्रस्तावित किये गये महत्वपूर्ण सिद्धान्तों में से एक सिद्धान्त यह है कि वे काउंटर पार्टी जोखिमों के लिए उपयुक्त प्रारंभिक और वेरिफेशन मार्जिनस के लिए अनिवार्यता विनियम करें। हालांकि हो सकता है कि मार्जिन थ्रेश-होल्ड की वास्तविक प्रमात्रा सुनिश्चित करना राष्ट्रीय विवेक पर छोड़ दिया जाए, जो घरेलू वित्तीय बाजार के माफिक हो।

### कोलेटरल के लिए मांग

3.24 मार्जिन अपेक्षाओं के लिए सुधरे हुए मानकों और मानकीकृत ओटीसी डिरिवेटिव संविदाओं के केन्द्रीकृत समाशोधन से कोलेटरल आस्तियों के लिए मांग में संरचनात्मक वृद्धि करवा सकती है। इस समय वैश्विक वित्तीय बाजार में सुरक्षित आस्तियों में व्यापक कमी का कोई सबूत अथवा अपेक्षा नहीं है। तथापि, आपूर्ति और मांग में अस्थायी असंतुलन और उससे जुड़े मूल्य परिवर्तनों से अपेक्षित है कि वे अंतर्जात निजी क्षेत्र के प्रत्युत्तरों जैसे निजी लेन-देनों में कोलेटरल आस्तियों के लिए अधिक व्यापक पात्रता मानदण्ड, वर्धित कोलेटरल पुनर्पयोग, कोलेटरल कायान्तरण आदि से सुदृढ़ प्रोत्साहन सृजित हो सकते हैं। जबकि प्रत्युत्तर कोलेटरल आस्तियों में किसी प्रकार की कमी को छोटा करने में मदद दे सकते हैं, वे अंतरसंपर्कता, प्रोसाइकिलिटी और वित्तीय प्रणाली के धुंधलेपन और उच्च परिचालनगत निधियन और रोलओवर जोखिम में वृद्धि कर सकते हैं। ये जोखिम, मार्केट डिस्कलोजर्स और बेहतर विनियामक रिपोर्टिंग में पारदर्शिता बढ़ाने, तनाव परीक्षण, जोखिम समायोजित जमा-बीमा, ऋणग्रस्त परिसंपत्ति देनदारियों पर विवेकशील मानदंड सीमाएं लगाने जैसे

कतिपय उपायों से कम किये जा सकते हैं।

3.25 भारत में वाणिज्य बैंकों की निधियन मुख्यतः जमानत रहित और स्थिर जनता की जमाराशियों इसलिए भारतीय बैंकिंग प्रणाली में ऋणग्रस्त आस्तियां बहुत कम हैं। बैंकों से अपनी आस्तियों का कुछ अंश ऋणमुक्त चल-आस्तियों, जिनमें में सोवरन प्रतिभूतियां भी शामिल हैं, में रखना अपेक्षित है, ताकि सांविधिक चलनिधि अनुपात<sup>13</sup> का अनुपालन किया जा सके। अपेक्षाकृत न्यून उपयोग ऋणग्रस्तता की सीमा को सीमित कर देता है।

### विधिक संस्था पहचान प्रणाली

3.26 वैश्विक वित्तीय संकट ने अन्य बातों के साथ साथ जोखिम स्थितियों और वित्तीय आंकड़ों के समुच्चयन को समर्थन देने के लिए विधिक संस्था पहचान हेतु एक जैसी वित्तीय प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। एफएसबी ने माइक्रो प्रूडेन्शियल और मैक्रो प्रूडेन्शियल जोखिमों के कुशल आकलन के उद्देश्यों को समर्थन देने के लिए एक वैश्विक विधिक संस्था पहचान प्रणाली पर परियोजना हाथ में ली है। एलईआई विधिक पहचान समुच्चयन का एक प्रकार है जो सामूहिक सदस्यता रखने वाले विधिक निकायों द्वारा एक या अधिक उत्पादों में ओटीएस डिरिवेटिव लेन-देन अथवा पोजिशन से प्रोदभूत हो सकने वाले जोखिमों की समीक्षा और विश्लेषण करने की अनुमति देता है। ऐसे एलईआई समूह से संबंधित आंकड़े प्राधिकारियों को समूह और इसके प्रतिपक्षियों से संबंधित संक्रामक जोखिमों के संकेन्द्रण का आकलन करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। एलईआई प्रणाली से प्रत्याशित है कि वह अनुशासनबद्ध संकल्प, बाजार दुरुपयोग और वित्तीय धोखा-धड़ी को रोकने तथा वित्तीय आंकड़ों की उच्च गुणवत्ता और सटीकता को समग्रता बनाये रखा जा सके।

3.27 रेग्यूलेटरी ओवरसाइट कमेटी की स्थापना के जनवरी, 2013, में वैश्विक एलईआई प्रणाली को औपचारिक रूप से लागू किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक एलईआई प्रणाली की रेग्यूलेटरी ओवरसाइट कमेटी ज्वार्इन कर लिया है और भारत के लिए परियोजना अपेक्षाओं का विस्तृत अध्ययन करने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी स्थापित किया है। ओटीसी डिरिवेटिव बाजार के अतिरिक्त एलईआई प्रणाली भारत में अधिक सुदृढ़ ऋण सूचना प्रणाली स्थापित करने में मदद कर सकता है।

<sup>13</sup> भारत में बैंकों को हर दिन अपने कारोबार की समाप्ति पर एक निर्धारित न्यूनतम सांविधिक चलनिधि अनुपात, निवल मांग एवं समय देयताएं की तुलना में चलनिधि ( नकद, सोना तथा भार रहित अनुमोदित प्रतिभूति के रूप में) बनाए रखना होता है।

### प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं

3.28 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं (सिफि) के रूप में जानी जाने वाली बड़ी और विविध कार्य करने वाली संस्थाओं का विनियमन एवं पर्यवेक्षण इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि इनके फेल हो जाने से सिस्टम को व्यापक स्तर पर अत्यधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत वर्ष में फिलाहल ऐसा कोई वैश्विक सर्वांगी महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था नहीं है जो (जी-सिब)<sup>14</sup> की सूची में शामिल किया गया हो। हालांकि ऐसे बैंक और वित्तीय संस्थाएं हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से चाहे महत्वपूर्ण क्यों न हों, किन्तु उनका भारत की आन्तरिक वित्तीय प्रणाली और अर्थ व्यवस्था पर गैर-पारंपरिक प्रणालीगत संस्थाओं के मुकाबले अभी भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

3.29 इस प्रकार की संस्थाओं के महत्व को स्वीकारते हुए एफसीबी तथा मानक निर्धारण निकाय ने अन्य सर्वांगी महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र से संबंधित सिफि रूप रेखा उपलब्ध करा रही हैं। जहां तक बैंकिंग सिस्टम का सवाल है एफएसबी और बीसीबीएस ने देशी सर्वांगी महत्वपूर्ण बैंकों (डी-सिब) के लिए एक सिद्धान्त-आधारित न्यूनतम रूप-रेखा को अंतिम रूप दिया है। (बॉक्स 3.3)। एफएसबीसी की प्रस्तावित समयबद्धता के अनुसार, जी-सिब के लिए की गई चरणबद्ध व्यवस्थाओं की तर्ज पर राष्ट्रीय प्राधिकरणों को चाहिए कि वे डी-सिब के रूप में पहचाने गये बैंकों पर अपेक्षाएं जनवरी 2016 से लागू करना आरंभ करें।

### भारत में वित्तीय समूहों के लिए समेकित पर्यवेक्षण

3.30 भारत में बड़े वित्तीय गुणों की दो या इससे अधिक बाजार-खंडों (बैंकिंग, बीमा, प्रतिभूति, गैर-बैंकिंग वित्त और पेन्शन) में महत्वपूर्ण उपस्थिति के आधार पर उनकी पहचान वित्तीय समूहों के रूप में की जाती है। वित्तीय समूहों (एफसी) के और अधिक प्रभावशाली पर्यवेक्षण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत में वित्तीय क्षेत्र के चार विनियामकों अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) तथा पेन्शन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने एफसी के समेकित पर्यवेक्षण एवं निगरानी (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

3.31 एफसीडीसी की उपसमिति ने एफसी की निगरानी को कड़ा करने के लिए एक अंतर-विनियामक फोरम का गठन किया है।

अग्रणी प्रधान विनियामक मॉडल को स्वीकारते हुए आईआरएफ की रूपरेखा आंतरिक पर्यवेक्षकों के महाविद्यालय के रूप में तैयार की गई है तथा इसे एफसी के प्रभावी समेकित पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षी सहयोग का विकास करने तथा एफसी के कार्यकलापों की वजह से सर्वांगी स्थिरता को होने वाले जोखिम का मूल्यांकन करने- इन दो प्रमुख कार्यों को करने का अधिदेश दिया गया। एफ सी निगरानी ढांचे में शामिल करने की दृष्टि से, आईआरएफ मामला-विशेष के आधार पर ऐसे एक या एकाधिक सर्वांगी महत्वपूर्ण वित्तीय गुणों की पहचान करें, जिनकी एक वित्तीय बाजार खंड में महत्वपूर्ण / प्रभावी उपस्थिति हो तथा एक और बाजार खंड में प्रमुख/विशेष सहभागिता हो। संबंधित विनियामक विभिन्न संकेतकों को ध्यान में रखते हुए अपने-अपने अधिकार क्षेत्र की संस्थाओं के लिए मानदंड निर्धारित कर रहे हैं।

### पर्यवेक्षण में सीमा-पार से सहयोग

3.32 पर्यवेक्षण में सीमापारीय पर्यवेक्षियों (होम और होस्ट के रूप में) के साथ सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय बैंकों के संबंध में बेहतर सीमापारीय बैंकिंग पर्यवेक्षण और सहयोग के लिए सूचना के आदान-प्रदान की व्यवस्था कर रहा है। भारतीय बैंकों का विदेशों में परिचालन बढ़ जाने से इस चैनल का महत्व और बढ़ जाता है। सहमति ज्ञापन से पर्यवेक्षकों के बीच पर्यवेक्षित संस्थाओं की स्थिति संबंधी सूचना के आदान-प्रदान, संकट के समय प्रत्यक्ष जांच में सहयोग करने का औपचारिक किन्तु कानूनी तौर पर गैर-बाध्यकारी द्वार उपलब्ध होता है तथा उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता भी बनी रहती है। सहमति ज्ञापन किसी भी पर्यवेक्षक के राष्ट्र के कानून का अतिक्रमण नहीं करता है। इससे तो पर्यवेक्षी सहयोग और समन्वय का वातावरण तैयार करने का प्रयास किया जाता है तथा इस प्रकार के कानून का पूर्णतया पालन किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 16 विदेशी पर्यवेक्षकों के साथ सहमति ज्ञापन निष्पादित किया है और 28 अन्य सीमा-पारीय पर्यवेक्षकों के संबंध में प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही है। देशी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों से व्यवहार के लिए बीसीबीएस द्वारा संरचना - अक्टूबर 2012

3.33 देशी रूप से महत्वपूर्ण संस्थान जिसमें विशेषकर वे बैंक शामिल हैं जिनका सीमापार कारोबार बहुत अधिक हो, को पर्यवेक्षक महत्व देने की आवश्यकता है। दो बड़े भारतीय बैंकों

<sup>14</sup> वैश्विक प्रणालीगत मुख्य बैंकों के समूह का एफएसबी का अद्यतन के अनुलग्नक 1 - नवंबर 2012

### बॉक्स 3.3: सिफि रूप-रेखा की डीसिब तक पहुंच

डिसिब के लिए प्रस्तावित सिद्धान्तों<sup>15</sup> का केन्द्र बिन्दु डी-सिब की उच्च क्षति सहनीयता (एच-एल-ए) डिसिब रूप-रेखा के 12 सिद्धान्त निम्नानुसार है:

#### मूल्यांकन प्रणाली

**सिद्धान्त 1:** राष्ट्रीय प्राधिकरणों को एक ऐसी प्रणाली की स्थापना करनी चाहिए जिससे राष्ट्रीय संदर्भ में बैंकों के सर्वांगी महत्व की सीमा का निर्धारण किया जा सके।

**सिद्धान्त 2:** डिसिब संबंधी मूल्यांकन प्रणाली से बैंकों का असफलताजनित प्रमुख प्रभाव अथवा इससे पड़ने वाले बाह्य प्रभाव का ज्ञान हो जाना चाहिए।

**सिद्धान्त 3:** डिसिब की असफलता के प्रभाव की जांच के लिए संदर्भ प्रणाली के रूप में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ही माना जाए

**सिद्धान्त 4:** राष्ट्रीय प्राधिकरणों को चाहिए कि वे बैंकों के सर्वांगी महत्व की डिग्री का निर्धारण समेकित गुप स्तर पर करें तथा मेजबान प्राधिकरण अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली सहायक संस्थाओं में से किसी के साथ समेकित जांच कर सकते हैं।

**सिद्धान्त 5:** डिसिब की असफलता के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को सैद्धान्तिक तौर पर बैंक विशेष के निम्नलिखित घटकों के संदर्भ में आंका जाना चाहिए: (क) आकार (ख) अन्तरसंबद्धता (ग) स्थानापन्न क्षमता / वित्तीय संस्थापरक ढांचा ( जिसमें बैंकिंग क्षेत्र की संघटित प्रकृति के मानदण्ड भी शामिल हों);(घ) जटिलता ( सीमा-पारीय गतिविधियों से उभरी अतिरिक्त जटिलताओं सहित ) इसके साथ साथ राष्ट्रीय प्राधिकरण दूसरे ऐसे उपाय / आंकड़ों पर भी विचार कर सकते हैं जो उक्त प्रत्येक घटक जैसे कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का आकार की सीमा में इन बैंक-विशेष संकेतकों का निरूपण करते हैं।

**सिद्धान्त 6:** राष्ट्रीय प्राधिकरण अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले बैंकों के सर्वांगी महत्व का नियमित रूप से आकलन करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके आकलन से प्रासंगिक वित्तीय प्रणालियों की वर्तमान स्थिति का ज्ञान होता है तथा डीसिब आकलन की आवधिकता से अधिक नहीं है।

**सिद्धान्त 7:** राष्ट्रीय प्राधिकरण अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बैंकों के सर्वांगी महत्व के निर्धारण प्रयुक्त प्रणाली की रूप-रेखा

संबंधी सूचना को सार्वजनिक करे।

#### उच्च हानि- सहनीयता

**सिद्धान्त 8:** राष्ट्रीय प्राधिकरणों को उन प्रणालियों और विचारों को प्रलिखित करके रखना चाहिए जिन्हें उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले डी-सिब के संबंध में ढांचे के लिए अपेक्षित एचएलए के स्तर की सूचना मात्रा परक प्रणालियों ( जहां उपलब्ध हों ) तथा राष्ट्र विशेष में प्रचलित घटकों के माध्यम से दी जानी चाहिए तथा इससे पर्यवेक्षी निर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

**सिद्धान्त 9:** किसी बैंक पर लागू एचएलए अपेक्षा सिद्धान्त 5 के तहत यथानिर्दिष्ट सर्वांगी महत्व की डिग्री के अनुरूप होनी चाहिए। यदि किसी क्षेत्राधिकार में बहुविध डी-सिब बकट हों तो प्रत्येक डि-सिब बकट के लिए अलग अलग एचएलए- स्तर निहित होना चाहिए।

**सिद्धान्त 10:** राष्ट्रीय प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डी-सिब अपेक्षाओं से अनुरूपता बनाये रखने के लिए इस लिए एचएल ढांचा लागू करना चाहिए कि वे उदगम और / अथवा समेकित स्तर पर आशांकन करें तथा होस्ट प्राधिकरणों को इसलिए एचएलए अपेक्षाओं को लागू करना चाहिए वे उप-समिति /अनुषंगी स्तर पर आशांकन करें। होम प्राधिकरण यह जांच करे कि उदगम बैंक स्वालम्बन के स्तर पर पंजीकृत है तथा उन मामलों की भी जांच करे जिनमें अनुषंगी स्तर पर डी-सिब अपेक्षाओं का अनुपालन जरूरी है। जिस मामले में बैंकिंग गुप को होम क्षेत्राधिकार में डि-सिब एवं दोनो रूपों में चिह्नित किया गया है।

**सिद्धान्त 11:** होस्ट प्राधिकरण यदि किसी बैंक के सहायक बैंक को डि सिब मानता है तो होम और होस्ट प्राधिकरणों को चाहिए कि वे होस्ट ज क्षेत्राधिकार में लागू सीमाओं के अन्दर समुचित एचएल अपेक्षाओं के संबंध में सहयोग एवं समन्वय किये जाने की व्यवस्था करे।

**सिद्धान्त 12:** कॉमन इक्विटी टीयर I (सीटीआई) द्वारा एच एल अपेक्षाओं को पूरी तरह पूरा किया जाना चाहिए। इसके साथ , राष्ट्रीय प्राधिकरणों को चाहिए कि वे डी-सिब से उत्पन्न जोखिमों के निराकरण के लिए उचित समझे जाने वाले नीतिगत उपायों एवं अतिरिक्त अपेक्षाओं का प्रावधान करें।

<sup>15</sup> बीसीबीएस के द्वारा राष्ट्रीय प्रणालीगत मुख्य बैंकों के साथ व्यवहार हेतु एक ढांचा, अक्टूबर 2012

के लिए पर्यवेक्षी महाविद्यालय स्थापित किया गया है, जो ऐसे संस्थानों के लिए पर्यवेक्षी प्रबलता को बढ़ाने का एक प्रयास है।

### संकल्प व्यवस्था

3.34 पिछले एफएसआर में इस बात का उल्लेख किया गया था कि भारत में विभिन्न प्रकार के वित्तीय क्षेत्रों की इकाइयों के संकल्प के लिए विशद विधिक संस्थागत व्यवस्था का अभाव है। वर्तमान में बैंकों के संकल्प को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत सहज बना दिया गया है जिसमें अनिवार्य या स्वैच्छिक विलयन का प्रावधान है। विभिन्न प्रकार की वित्तीय क्षेत्रों की इकाइयों (जिसमें वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, निगम कंपनियाँ आदि शामिल हैं) के संकल्प के लिए वर्तमान विधिक व्यवस्था के परीक्षण के साथ संकल्प व्यवस्था के सुधार के कार्यान्वयन पर कार्य आरंभ किया गया है। एफएसडीसी उप समिति के दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत के सभी प्रकार के वित्तीय संगठनों के लिए विशद संकल्प व्यवस्था पर एक कार्यकारिणी समूह का गठन किया गया है।

### छाया बैंकिंग

3.35 छाया बैंकिंग इकाइयों ने शेष वित्तीय व्यवस्था के साथ अपने परस्पर संबंध के कारण वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतः यह अत्यावश्यक है कि उस जोखिम की पहचान कर उसका प्रबंधन किया जाए जो छाया बैंकिंग शेष वित्तीय संगठनों को दे सकता है। एफएसबी द्वारा निर्देशित सुधार मुख्यतः बैंक के अन्य वित्तीय संगठनों के साथ परस्पर संबंध, मुद्रा बाजार पारस्परिक निधि (एमएमएमएफ), प्रतिभूतिकरण और प्रतिभूतियाँ उधार देना या उनकी पुनः खरीद से होने वाले जोखिमों पर केंद्रित हैं।

### भारत में छाया बैंकिंग की भूमिका


3.36 सुदूरवर्ती इलाकों में सभी क्षेत्रों के लोगों की आवश्यकता दक्षतापूर्वक पूरी करने में बैंकिंग क्षेत्र की पहुँच सीमित है तथा कुछ हद तक गैर-बैंकिंग क्षेत्रों की इकाइयाँ इस कमी को पूरा कर रही हैं। गैर-बैंक क्षेत्र के कुछ भाग [जैसे रिजर्व बैंक के विनियमन में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)] भारत में विनियमित है यद्यपि उन पर बैंकिंग प्रणाली के अपेक्षाकृत कम

कड़ाई है। तथापि, गैर बैंकिंग क्षेत्र का एक बड़ा भाग अनियमित इकाइयों के रूप में है जिसे एफएसबी की परिभाषा के भाव के अनुसार छाया बैंकिंग प्रणाली का एक हिस्सा माना जा सकता है। उनके उपयोगी आर्थिक कार्य के आलोक में विशेषकर भारत जैसे देशों में जहाँ वित्तीय समावेशन एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है, उपभोक्ता संरक्षण के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के दौरान ऐसी गैर-बैंक इकाइयों के विनियमन के लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

### जमाराशि स्वीकार करने वाली तथा अन्य प्रणालीगत महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

3.37 भारतीय रिजर्व बैंक के विनियम का केंद्र मूलतः निवेशकों के हित की रक्षा करना है अतः जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (जिसे एनबीएफसी-डी के रूप में जाना जाता है) पर है। समय के साथ विनियामक मानदंड विशेषकर 1997-98 से इसके परिणामस्वरूप एनबीएफसी क्षेत्र का समेकन हुआ है जिससे जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनियों की संख्या कम हो गई है। एनबीएफसी जनता से जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी की जनसाधारण से स्वीकार की गई राशि की पूरी मात्रा में तथा साथ-साथ बैंक जमाराशि के अनुपात में काफी हद तक कमी आई है। चूंकि कई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने जमाराशि स्वीकार करना बंद कर दिया है, गैर बैंकिंग वित्तीय

चार्ट 3.2: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जनसाधारण से स्वीकार की गई जमाराशि<sup>16</sup>



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणी

<sup>16</sup> एनबीएफसी-डी तथा आरएनबीसी द्वारा जनसाधारण से स्वीकार की गई जमाराशि शामिल है। जो आरएनबीसी एनबीएफसी की अलग श्रेणी में आते हैं तथा जिनका अपना मुख्य व्यवसाय किसी योजना या व्यवस्था के तहत या अन्य किसी प्रकार से जमाराशि स्वीकार करना है और निवेश करना नहीं है, आस्ति वित्तीय न ऋण कंपनी है।

कंपनियों के परिचालन पैमाने में इस अवधि के दौरान बढ़त हुई है। इस दौर तथा एनबीएफसी क्षेत्र की बदलती रूपरेखा को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने डी श्रेणी की एनबीएफसी पर लागू विनियामक आवश्यकताओं (पूंजी पर्याप्तता और ऋण संकुचन मानकों के संबंध में) को बाद में जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली बल्कि प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर भी लागू कर दिया है। चार्ट 3.3 तथा 3.4 एनबीएफसी-डी और एनबीएफसी-एनडी-एसआई श्रेणी में कंपनियों की संख्या तथा एनबीएफसी की कुल परिसंपत्ति दर्शाती है।

### एनबीएफसी क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित विनियामक परिवर्तन


3.38 वर्तमान में एनबीएफसी क्षेत्र विनियामक निरीक्षण की प्रक्रिया में है। एनबीएफसी की कार्यकारिणी समूह ने अगस्त 2011 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में एनबीएफसी क्षेत्र के लचीलेपन को सुनिश्चित करने तथा समग्र वित्तीय स्थिरता के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र से होने वाले जोखिम दोनों के संबंध में व्यापक सिफारिशें दी है। कार्यकारिणी समूह की सिफारिश पर आधारित ड्राफ्ट दिशा-निर्देशों को दिसंबर 2012 में टिप्पणी के लिए सार्वजनिक डोमेन में दिया गया तथा अंतिम दिशा-निर्देश जल्द ही आने की उम्मीद है। मुख्य सिफारिशें विस्तृत रूप में चार श्रेणियों में बाँटी जा सकती हैं, जैसे कि (i) प्रविष्टि बिंदु मानक, मुख्य व्यवसाय मानदंड, बहुविध और सीमित एनबीएफसी (ii) कंपनी अभिशासन जिसमें प्रकटीकरण अपेक्षाएं शामिल है, (iii) चलनिधि प्रबंधन तथा (iv) विवेकपूर्ण विनियमन जिसमें पूंजी पर्याप्तता, चलनिधि प्रावधानिकरण, कुछ संवेदनशील एक्सपोजर के लिए जोखिम भारिता, तथा जमाराशि स्वीकार करने पर प्रतिबंध शामिल है।

### मुद्रा बाजार पारस्परिक निधि

#### कम खुदरा भागीदारी


3.39 भारत में एमएमएमएफ तथा चलनिधि योजना का विनियमन सेबी (पारस्परिक निधियाँ) विनियमन 1996 से होता है। एमएमएमएफ वे पारस्परिक निधियाँ है जिसे अनन्य रूप से मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश करने के उद्देश्य तैयार किया गया है। चलनिधि पारस्परिक निधि योजनाएं 91 दिनों की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ ऋण तथा मुद्रा बाजार प्रतिभूतियों में निवेश कर सकती हैं। वर्तमान में एमएमएमएफ तथा चलनिधियों का प्रयोग मुख्यतः संस्थागत निवेशकों द्वारा एक ऐसे निवेश चक्र

चार्ट 3.3: कंपनियों की संख्या - एनबीएफसी-डी तथा एनबीएफसी-एनडी-एसआई



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणी

चार्ट 3.4: एनबीएफसी-डी तथा एनबीएफसी-एनडी-एसआई की कुल आस्ति



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणी

के रूप में किया जाता है जो सुलभ, सुविधाजनक तथा किफायती है तथा जिसमें मूलधन और चलनिधि सुरक्षित है। मार्च 2013 के अंत तक एमएमएमएफ के प्रबंधन के अंतर्गत निवल आस्ति/भारत में चलनिधि लगभग 934 बिलियन थी, जिसमें गैर-खुदरा निवेशकों का 98 प्रतिशत योगदान था। एमएमएमएफ कुल ऋण पारस्परिक निधि के एयूएम का 19 प्रतिशत था जो सकल पारस्परिक निधि क्षेत्र का 71 प्रतिशत है।

### **स्थिर निवल आस्ति मूल्य विशेषताओं का अभाव**

3.40 स्थिर निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) के रूप में भारत में एमएमएमएफ नहीं है, कुछ उन्नत अधिकार क्षेत्रों में पाया गया जोखिम, विशेषकर संयुक्त राज्य अमरीका में संगत नहीं है। सेबी द्वारा मूल्यांकन मानक की समीक्षा की गई और तदनुसार फरवरी 2012 में जारी की गई अधिसूचना में उचित मूल्यांकन के अति महत्वपूर्ण और अधिभावी सिद्धांतों को दर्शाया गया। इसमें प्राप्य मूल्य/उचित मूल्य दर्शाती समस्त परिपक्वताओं की प्रतिभूतियों के मूल्यन को शामिल किया गया। समस्त कर्ज तथा मुद्रा बाजार प्रतिभूतियों को परिपक्वताओं में सम्मिलित कर उसका मूल्यन उस भारित औसत मूल्य पर किया जाएगा जिस पर विशिष्ट मूल्यन दिन उसका कारोबार किया जाता है और यदि उस विशिष्ट मूल्यन दिन पर किन्हीं प्रतिभूतियों का कारोबार नहीं किया जाता तो 60 दिनों की अवशिष्ट परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों का मूल्यन परिशोधन आधार पर किया जाएगा तथा 60 दिनों से अधिक अवशिष्ट परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों का मूल्यन बेंचमार्क प्रतिफल/उस प्रयोजन के लिए सौंपी गई एंजेसियों द्वारा प्रस्तावित जोखिम मुक्त प्रतिफल के मैट्रिक्स पर किया जाएगा, बशर्ते ऐसे मूल्यन प्रतिभूति/परिसंपत्ति का प्राप्य मूल्य/उचित मूल्य दर्शाते हों।

### **अल्पावधि कर्ज निधि का चलनिधि जोखिम - विनियामक उपाय**

3.41 भारत में अर्थसुलभ निधि तथा अन्य अल्पावधि कर्ज निधि को 2008-09 के दौरान हुए वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभावस्वरूप उन्मोचन दबावों से चलनिधि संबंधी गहरे तनाव का सामना करना पड़ा था। भारतीय रिजर्व बैंक ने चलनिधि दबावों को हल्का करने

के लिए पारस्परिक निधियों के लिए एक अल्पावधि चलनिधि खिड़की की सुविधा दी। बाद में, कुछ विवेकपूर्ण उपाय किए गए ताकि भविष्य में चलनिधि तनाव के परिणामस्वरूप होने वाले प्रभावों का सामना करने में पारस्परिक निधि को मदद मिले।

3.42 असीमित अवधि वाली योजनाओं में आस्ति-देयता में अंतर को पूरा करने के लिए इन विनियामक उपायों में अर्थसुलभ निधियों के निवेश पर 91 दिन की अवशिष्ट परिपक्वता वाली लिखतों का प्रतिबंध लगा दिया गया (पहले 182 दिन की अनुमति थी)। सीमित अवधि वाली पारस्परिक निधि की सूचीबद्धता अनिवार्य कर दी गई गई ताकि निवेशकों को बाहर निकलने का विकल्प प्रदान किया जा सके। इसके साथ ही, बेहतर आस्ति-देयता प्रबंधन के लिए सीमित अवधि वाली योजनाओं को अवशिष्ट परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों, जिसकी अवधि योजना की परिपक्वता से अधिक न हो, में निवेश करने की अनुमति दी गई। पारस्परिक निधि योजनाओं की एनएवी की उपयुक्तता के लिए एकसमान निर्दिष्ट अवधि से संबंधित प्रावधानों में आशोधन किया गया। निवेश की प्रयोज्यता, निर्दिष्ट अवधि के पहले ऋण सुविधा लिए बिना उपयोग हेतु निधि की उपलब्धता के बाद ही आंकी जानी चाहिए। आगे, ऋण तथा संकेंद्रण जोखिम से निपटने के लिए किसी भी पारस्परिक निधि योजना को यह अनुमति नहीं है कि वह सरकारी प्रतिभूतियों, खजाना बिल तथा संपार्श्विकीकृत लेन-देन संबंधी दायित्व (सीबीएलओ) को छोड़कर किसी जारीकर्ता के मुद्रा बाजार लिखतों में अपनी निवल आस्तियों का 30 प्रतिशत से अधिक निवेश कर सके।

### **बैंकों तथा अर्थसुलभ पारस्परिक निधियों के बीच निधियों का चक्राकार प्रवाह**

3.43 हाल के कुछ वर्षों में पारस्परिक निधि की अर्थसुलभ योजनाओं में बैंक निवेश विविध प्रकार से बढ़ा है। अर्थसुलभ योजनाएं अब भी संस्थागत निवेशक जैसे कि वाणिज्य बैंक जिनकी उन्मोचन आवश्यकता बड़ी तथा समकालीन है, पर निर्भर है। दूसरी ओर जहाँ ये पारस्परिक निधि बड़े उधारदाता हैं जैसे कि सीबीएलओ तथा बाजार रेपो, वहाँ बैंक बड़े उधारकर्ता हैं। पारस्परिक निधियों की विविध योजनाएं बैंकों के

<sup>17</sup> इस रिपोर्ट के अध्याय II के खंड 2.12 को भी देखा जाए।

जमा प्रमाणपत्र(सीडी) में भी बड़ा निवेश करती हैं। बैंकों तथा पारस्परिक निधियों के बीच निधियों का ऐसा चक्राकार प्रवाह चलनिधि दबाव के समय प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न कर सकता है। ऐसे जोखिमों से निपटने को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने यह नियम बनाया है कि बैंकों द्वारा पारस्परिक निधि की अर्थसुलभ/अल्पावधि ऋण योजनाओं में एक वर्ष तक के पोर्टफोलियो का भारित औसत परिपक्वता के साथ कुल निवेश की सीमा पिछले वर्ष के 31 मार्च को उनकी निवल मालियत का 10 प्रतिशत होगी।

### सामूहिक निवेश योजनाओं में विनियामक कमियां

3.44 कुछ घटनाएं प्रकाश में आई हैं कि कुछ व्यक्ति/कंपनियाँ विधिक प्रावधानों तथा विभिन्न एजेंसियों जैसे कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), सेबी, आरबीआई, राज्य सरकार, सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार आदि की भूमिका में स्पष्टता के अभाव का फायदा उठा कर जनसाधारण से धन इकट्ठा कर रहे हैं। यह, विनियामक परिधियों को बढ़ाने तथा वर्तमान संरचना में विनियामक कमियों को भरने की ओर विशेष ध्यान दिलाता है।

### राज्य सरकार तथा विधि प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका

3.45 विनियामक कमियों से निपटने के लिए तत्काल अंतरिम उपाय के रूप में सूचना का आदान-प्रदान तथा राज्य सरकार की सक्रिय भूमिका से मौजूदा विनियामकों के बीच समन्वय बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ अधिक सहभागिता तथा राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) जैसे मंच के माध्यम से विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय की भी आवश्यकता है। तथापि, विनियामक कमियों को पूरा करने के समस्त प्रयासों के बावजूद उच्च प्रतिफल के वायदे पर व्यक्ति निवेशक की जोखिम प्रवृत्ति तथा सुभेद्यता पर नियंत्रण करना मुश्किल करना। विनियामकों ने समय-समय पर जनसाधारण तथा निवेशकों को जागरूक करने के उपाय किए हैं ताकि उन्हें जल्द तथा उच्च प्रतिफल देने का वायदा करने वाली विविध योजनाओं के प्रलोभन में पड़ने से रोका जा सके।

### बाजार संचालन तथा उपभोक्ता संरक्षण

3.46 अत्यधिक प्रतियोगिता तथा प्रतिकूल प्रोत्साहन संरचना के कारण वित्तीय सेवा प्रदान करने वाले प्रायः उत्पादों का व्यापक गलत विक्रयण तथा अनुपयुक्त और जोखिम निवेश के प्रति

ग्राहकों का अपनिदेशन कर रहे हैं। उत्पादों के गलत विक्रयण की घटना समस्त ग्राहक समूहों में पायी गई जैसे कि कॉरपोरेट का दोषपूर्ण डेरिवेटिव (उनके एक्सपोजर की प्रतिरक्षा के लिए) या व्यक्तियों को अनुपयुक्त बीमा उत्पाद। अल्पावधि लाभ के लिए ऐसी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तिगत संस्थानों के लिए प्रतिष्ठा जोखिम अधिक है। इस पृष्ठभूमि पर विनयमन का झुकाव वित्तीय क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण तथा बाजार संचालन को मजबूत बनाने के प्रति है।

### बैंक-बीमा

#### गलत-विक्रयण

3.47 बैंक-बीमा के अंतर्गत भारत में मॉडल बैंकों को बीमा कंपनियों के एजेंट के रूप में अगस्त 2000 से बीमा का कारोबार करने की अनुमति दी गई, जो कुछ शर्तों पर आधारित तथा जोखिम में बिना किसी भागीदारी के था। जैसा कि संघ बजट 2013-14 में घोषणा की गई कि यह प्रस्ताव दिया गया है कि बैंकों को बीमा दलाल के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाए ताकि बैंक शाखाओं का पूरे नेटवर्क का उपयोग देश में बीमा सेवाओं में निवेश को बढ़ाने के लिए किया जा सके। बैंक बीमा दलाल के रूप में किसी भी कंपनी के बीमा उत्पाद को बेच सकता है जो एजेंट-मालिक मॉडल के अंतर्गत केवल एक कंपनी तक प्रतिबंधित था।

#### अनुचित तथा प्रतिबंधी कार्य प्रणाली

3.48 यद्यपि अपने व्यापक नेटवर्क के कारण बैंक बीमा उत्पादों के वितरण के लिए काफी उपयुक्त हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया के संचालन के संबंध में कुछ मुद्दे उठ खड़े हुए, सामान्यतः गलत विक्रयण तथा कुछ प्रतिबंधात्मक/अनुचित कार्य प्रणाली (जैसे कि बीमा उत्पाद खरीदने पर लॉकर सुविधा देने का प्रावधान, अनुपयुक्त तथा/या विविध पॉलिसी आदि) से संबंधित।

3.49 यह पाया गया कि कुछ मामलों में बैंक ने शाखा के अन्य कार्यों से मार्केटिंग कार्मिकों के बीच कार्यों का स्पष्ट विभाजन नहीं किया तथा बैंक कार्मिक तीसरी पार्टी जैसे कि बीमा कंपनियों, पारस्परिक निधियों तथा अन्य इकाइयों से उनके उत्पाद बेचने के लिए सीधे प्रोत्साहन प्राप्त कर रहे हैं। कुछ मामलों में बैंक स्टाफों द्वारा सीधे प्रोत्साहन प्राप्त करने के कारण विक्रय संरचना में विकृति आ गई।

3.50 बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट 2011-12 के अनुसार जीवन बीमा में अधिकतम शिकायतें गलत बिक्री से संबंधित हैं। वे मुख्यतः निजी क्षेत्रों से संबंध रखती हैं जबकि जीवन बीमा निगम 70 प्रतिशत शेयर के साथ कारोबार करती है। शिकायतों के प्रकार मुख्यतः अनुचित कारोबार व्यापार और उत्पादों की गलत बिक्री (उदाहरण: कदाचार, प्रस्तावित उत्पाद से अलग वास्तविक उत्पाद बेचा जाना, एकल प्रीमियम पॉलिसी को वार्षिक प्रीमियम पॉलिसी के रूप में जारी किया जाना, समर्पण मूल्य अनुमानित से कम, प्रीमियम वापसी का भुगतान फ्री-लुक नहीं करना, प्रीमियम आदि की हेरा-फेरी करना) है। निजी जीवन बीमा कंपनियां एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में बैंकों को अपने कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में उपयोग करती हैं, विशेष रूप से बीमा वित्तीय उत्पादों में आम जनता को पूर्ण रूप से समझने के लिए सबसे जटिल है, बीमा उत्पादों को आगे बढ़ाने में बैंकों द्वारा उपयोग की गयी विपणन और बिक्री रणनीति पर दुबारा चर्चा करने की जरूरत महसूस होती है। हाल में, ब्रिटेन में बैंकों को उनके उधार/क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को भुगतान संरक्षण बीमा की गलत बिक्री के लिए दंडित किया गया है।

3.51 बीमा कंपनियों की कमिशन संरचना और परिचालन व्यय की सीमा बीमा अधिनियम 1938 में निर्धारित की गयी है और उसके अंतर्गत नियम निर्धारित किये गये हैं। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) द्वारा इन सीमाओं के अनुपालन की वार्षिक आधार पर निगरानी की जा रही है और इसके उल्लंघन के मामलों पर दंडात्मक कार्रवाई के माध्यम से निपटा जा रहा है। हाल ही में, ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जहां बीमा कंपनी और एजेंट (बैंक) दोनों को दंडित किया गया है।

3.52 बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वे विपणन/ उत्पादों की सिफारिश करने के लिए, इन मामलों में भी यहां तक कि बैंक द्वारा सिर्फ एक कंपनी के विपणन/वितरण/उत्पादों की सिफारिश की हो, विभिन्न कंपनियों से प्राप्त सभी कमिशन/अन्य फीस (किसी भी रूप में), यदि कोई हो, उसका ब्यौरा अपने ग्राहकों को दें। पारदर्शिता को और आगे बढ़ाने के लिए, बैंकों को सलाह दी गई है कि 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष से उनके द्वारा ' नोट्स ऑफ अकाउंट' में किये गये बैंक एश्यरेंस के मामले में प्राप्त फीस/

पारिश्रामिक का विवरण की जानकारी दें। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा भी बीमा कंपनियों के लिए इसी प्रकार की जानकारी और आचार संहिता निर्धारित की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि नोट्स ऑफ अकाउंट में कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में कार्य करने वाले बैंकों द्वारा किये गये खुलासे उनके द्वारा प्राप्त भुगतान की प्रकृति में पारदर्शिता लायेंगे।

### **धन प्रबंधन और अन्य संबंधित गतिविधियों की गलत बिक्री**

3.53 सामान्यतः वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस (डब्ल्यूएमएस) में रेफरल सर्विसेस, निवेश सलाहकार सेवा (आईएसएस), और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेस शामिल हैं। भारत में बैंकों को बहुत सीमित सर्विसेस, मुख्य रूप से सलाहकार और रेफरल सर्विसेस, की अनुमति दी गई है।

3.54 गलत बिक्री से संबंधित शिकायतों, जिसके द्वारा उत्पादों की जो किसी विशेष ग्राहक के लिए अनुपयुक्त है, कमिशन संबंधित कारणों या ज्ञान की कमी, उत्पाद प्रदाता और सलाहकार/पोर्टफोलियो प्रबंधक के बीच जवाबदेही के बारे में स्पष्टता, को उपभोक्ता सुरक्षा उपायों द्वारा संबोधित किये जाने की आवश्यकता है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) उप समिति के अंतर- नियमक तकनीकी समूह में इस मुद्दे पर व्यापक रूप से चर्चा हुई है और बैंकों द्वारा प्रस्तुत वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेस पर मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा की जा रही है। बैंकों द्वारा वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेस पर व्यापक दिशा निर्देश जारी करते समय उनके द्वारा मार्केटिंग और थर्ड पार्टी वित्तीय उत्पादों का डिस्ट्रिब्यूशन के पहलूओं पर भी सकारात्मक असर होने की जरूरत है।

3.55 हाल में अधिसूचित सेबी (निवेश सलाहकार) विनियमन, 2013 में जोखिम रूपरेखा और उपयुक्तता, आईएसएस हेतु अलग पहचान योग्य विभाग या डिविजन (एसआईडीडी) के लिए विस्तृत मानदंड, किसी प्रकार के हित, निवेश शिकायत का निवारण आदि के संघर्ष सहित ग्राहकों के लिए विस्तृत प्रकटीकरण निहित है। कुछ हद तक गलत बिक्री जोखिम पर नियंत्रण लगाने के लिए ऐसे मानदंड काम आ सकते हैं।

### परिचालन पद्धतियों की आवश्यकता

3.56 सभी वित्तीय क्षेत्र के निकायों को वर्तमान केवाईसी, जोकाले धन को वैध बनाने (धनअशोधन) में इसके उपयोग की संभावनाओं के खिलाफ वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, का अनुपालन करने की आवश्यकता है। केवाईसी दिशानिर्देशों को सरल बनाने और वित्तीय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक समान बुनियादी केवाईसी संरचना प्राप्त करने की ओर कदम उठाये गये हैं

3.57 मीडिया रिपोर्ट में हाल की घटनाओं के परिणामस्वरूप रिजर्व बैंक ने कर चोरी और धन की धोखाधड़ी अंतरण में सहायता करने में शामिल कुछ बैंकों की जांच शुरू किये हैं। इसमें से कुछ तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) उत्पादों की बिक्री जैसे बीमा और धन प्रबंधन सेवाएं जिसकी पिछले अनुभाग में चर्चा की गई है, से संबंधित है। इसका मुख्य परिणामी बिंदु बैंकों द्वारा केवाईसी/एएमसी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में लापरवाही की ओर इशारा करती है।

3.58 जिन क्षेत्रों में बैंकों को केवाईसी/एएमएल उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिक संकेंद्रित योजना अपनाने की आवश्यकता है उसमें अन्य चीजों के साथ नये खोले गये खातों में बड़ी राशि का अंतरण, एक ग्राहक के बहु-ग्राहक पहचानों पर परिचालन नियंत्रण, धन-शोधन निवारण अलर्ट के लेन-देन करने के लिए स्किल सेट बढ़ाना, संदिग्ध लेनदेनों का त्वरित अनुवर्ती एवं वृद्धि शामिल है। ऐसे उपाय निर्धारित अंतरालों पर जोखिम वर्गीकरण की त्वरित समीक्षा, विभिन्न खातों में लेनदेन के बदलते आयामों के अनुकूल धन-शोधन निवारण निगरानी प्रणाली में अलर्ट सीमा की समीक्षा की आवश्यकता से भी संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, फोन लाइन या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ग्राहकों के विवरणों का अद्यतन करना, ग्राहक के केवाईसी विवरण को सुनिश्चित और अद्यतन करने के लिए एकल और उन्नत समुचित सवधानी (एसडीडी/ईडीडी) के उपाय का अंगीकार करना, धन-शोधन निवारण जाँच आदि से बचने की दृष्टि सहित लेनदेनों के विखंडन से संबंधित मामलों से

जुड़ी मुद्दों से निपटने की चिंताओं को दूर करने के लिए बैंकों को संबोधित करने की आवश्यकता है।

3.59 उपर्युक्त विषय पर बैंकों को जारी किये गये रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षी प्रयास विशेष परिपत्रों और व्यापक विनियामक दिशानिर्देशों के रूप में 'दिशानिर्देश' के साथ सम्मिलित किये गये हैं। ऐसे दिशानिर्देश इनसे संबंधित पहलुओं को कवर करती है (i) बैंकों द्वारा उपयुक्त जोखिम आधारित अंतरण निगरानी तंत्र के लिए उठाये गये आईटी पहल, (ii) समर्पित केवाईसी लेखापरीक्षा, (iii) जोखिम संबंधित रूपरेखा के परिचालन पहलुओं की सिफारिश (iii) फर्जी धन /फर्जी लक्रेटर रिपोर्ट/फिशिंग आदि का फर्जी प्रस्ताव।

### बदलते हुए व्यापारिक वातावरण में तकनीकी जोखिम<sup>18</sup>

3.60 हाल के वर्षों में बैंकिंग और वित्त में तकनीकी के प्रयोग में तेजी से बढ़ोत्तरी होने के साथ-साथ तकनीकी के दुरुपयोग और विफलता से उत्पन्न जोखिम भी बढ़ गई है। कुछ बैंकों में हुई हाल के साइबर धोखाधड़ी के मामले में प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग और वित्त की सुरक्षा और अखंडता के लिए जोखिम में बढ़ती जटिलता, परिष्कार और विविधता पर प्रकाश डाला है। विश्व स्तर पर, ऑनलाइन और मोबाइल तकनीकों के प्रयोग आभासी बैंकों, आभासी मुद्रा (बॉक्स 3.4) और लाइसेंस रहित संस्थाओं द्वारा बैंकिंग और भुगतान सेवाओं के प्रावधान के प्रसार कर रही है। प्रौद्योगिकी के बहुत सारे लाभ विशेषकर, वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में बहुत फायदा हुई है, वहीं यह घटनाविनियामक, कानूनी और परिचालन जोखिम के रूप में चुनौतियों खड़ी करती है।

3.61 बैंकों में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी) से संबंधित मुख्य जोखिमों में से एक मौजूदा नियामक सह कारोबारी महौल की आवश्यकता के अनुसार प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं के अप्रचलन से संबंधित है। इसलिए उभरती हुई वातावरण में व्यापार और अनुपालन कार्यों की बदलती मांगों को संभालने के लिए मौजूदा प्रौद्योगिकी प्रणाली की बुनियादी सुविधाओं की उपयुक्तता की समीक्षा प्रौद्योगिकी प्रणाली की क्षमता का आकलन करने की आवश्यकता है।

<sup>18</sup> प्रौद्योगिकी से संबंधित जोखिम कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, ऑनलाइन नेटवर्कों तथा दूर 3G संचार प्रणालियों के प्रयोग या निर्भरता के कारण उत्पन्न किसी प्रतिकूल परिणाम, क्षति, हानि, व्यवधान, उल्लंघन, अनियमितता या विफलता के संबंध में होती है। ये जोखिम प्रणालियों की विफलता प्रक्रिया में त्रुटियों, सॉफ्टवेयर में त्रुटियों, परिचालन गलतियों, हार्डवेयर ब्रेकडाउन, क्षमता में कमियों, नेटवर्क में कमियों, नियंत्रण कमजोरियों, सुरक्षा में कमियों, आंतरिक तोड़-फोड़, जासूसी, अमैत्रीपूर्ण आक्रमणों, हैकिंग के मामलों, कपटपूर्ण आचरण तथा दोषपूर्ण रिकवरी क्षमताओं से भी जुड़े होते हैं।

### बॉक्स 3.4 : आभासी मुद्रा स्कीम

इसे इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है - आभासी मुद्रा एक प्रकार का अनियमित, डिजिटल मुद्रा है, जो आम तौर पर डेवलपर्स द्वारा जारी और नियंत्रित किया जाता है और अपने विशिष्ट आभासी समुदाय<sup>19</sup> के सदस्यों के बीच इस्तेमाल और स्वीकार किया जाता है। आभासी मुद्रा स्कीम आभासी समुदाय के उपयोगकर्ताओं के लिए आभासी मुद्रा स्कीम जारी रखने और उनके मालिकों के लिए 'अस्थायी मुद्रा' (Float revenue) राजस्व उत्पन्न करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है। वे आभासी समुदाय के लिए व्यापार मॉडल और व्यापार रणनीति के संबंध में उच्च स्तर का लचीलापन प्रदान करते हैं। वर्तमान में विभिन्न प्रकार के आभासी मुद्रा स्कीम प्रचलन में हैं। आभासी मुद्राओं के कुछ प्रकारों का 'वास्तविक' मुद्रा के साथ कोई पारस्परिक प्रभाव या विनिमेयता नहीं है, वहीं दूसरों के लिए 'वास्तविक' मुद्रा, सामग्री और सेवाएँ अधिक सक्रिय और सीधा है। 'सीमित' मुद्रा स्कीम जिसका अधिकतर उपयोग ऑन-लाइन गेमों में होता है, का 'वास्तविक' मुद्रा से कोई संबंध नहीं है। कुछ आभासी मुद्रा स्कीम (अधिकतर यूनिटयरेक्शनल) आभासी मुद्रा स्कीम खरीदने के लिए रूपांतरण दर की सुविधा प्रदान करते हैं जो बाद में आभासी वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। द्विआयामी प्रवाह के लिए उपलब्ध कराने वाली अन्य आभासी मुद्रा स्कीम श्रेणी के तहत आभासी मुद्रा दो विनियम

दरों (खरीद और बिक्री) के साथ किसी अन्य परिवर्तनीय मुद्रा की तरह कार्य करती है। ऐसी योजनाओं में, आभासी मुद्रा न केवल आभासी वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है बल्कि वास्तविक सामग्री और सेवाएं खरीदने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आभासी मुद्रा का उपयोग खाता ईकाई के रूप में किये जाने के कारण आभासी मुद्रा स्कीम इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा स्कीम से अलग है क्योंकि यह विधिमान्य मुद्रास्थिति के साथ कोई प्रत्यक्ष समकक्ष नहीं है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए इस्तेमाल परंपरागत मुद्राओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी आभासी मुद्रा स्कीम को तैयार किया जा सकता है। एक अलग कानूनी ढांचे के अभाव में केंद्रीय बैंकों की संस्था सहित, वित्तीय क्षेत्र के विनियमन और पर्यवेक्षण के तहत आभासी मुद्रा के मामले पारंपरिक नियम में शामिल नहीं हैं। इसके अलावा, उसके जारीकर्ता को अलग ढंग से मूल्यवर्गित आभासी मुद्रा पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया है, आभासी मुद्रा (यदि अनुमति हो तो) और पारंपरिक मुद्रा के बीच अनियमित लिंक कानूनी निविदा स्थिति चुनौतियां खड़ी करती हैं, जो अपनी इच्छा पर योजना को नियंत्रण करता है मुद्रा की आपूर्ति का प्रबंध करता है। विनियामकों द्वारा ऑनलाइन भुगतान विकल्प का प्रभाव और आभासी मुद्राओं के साथ जुड़ी संभावित खतरों को निर्धारित करने का अध्ययन किया जा रहा है।

### सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क की समीक्षा की आवश्यकता

3.62 वैश्विक स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली प्रबंधन का तेजी से आउटसोर्स किया जा रहा है। प्राथमिक आउटसोर्सकर्ता द्वारा तीसरे पक्ष ने उप प्रक्रियाओं में से कुछ उप करार की एक व्यापक प्रसार की प्रवृत्ति है जो ग्राहक के अंतरण जोखिम का उजागर करती है। आउटसोर्स विक्रेता के साथ मूल्य निर्धारण और सेवा स्तर करार (एसएलए) टर्म के साथ विवाद मामले में जिसे सौंपी गई जिम्मेदारी पूरी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, कानूनी मुद्दे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके साथ सुरक्षा से जुड़े जोखिम और प्रतिष्ठा सामने आती है जिससे सावधानीपूर्वक निपटने की आवश्यकता है।

3.63 प्रौद्योगिकी के उपयोग में हुई वृद्धि से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को देखते हुए, बैंकों को एक मजबूत प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित करने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं को लागू करने की आवश्यकता है। इन संस्थानों को कारोबार की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त जोखिम न्यूनीकरण तकनीक और सुरक्षा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा, बैंकों और विनियमकों को विशेष रूप से आईटी वातावरण में, अपने ग्राहकों के वित्तीय जागरूकता बढ़ाने में एक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। विनियमकों ने अपने संबंधित क्षेत्रों में उभरते प्रौद्योगिकी जोखिमों का पता लगाने के लिए विभिन्न उपायों, उदाहरण के लिए- रिजर्व बैंक ने सुरक्षित कार्ड लेनदेन और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन पर बैंकों को अतिरिक्त दिशा-निर्देश<sup>20</sup> जारी किए हैं।

<sup>19</sup> (ईसीबी 2010), "वर्चुअल करेंसी स्कीम" यूरोपीयन सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट, अक्टूबर

<sup>20</sup> <http://rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=7874&Mode=0>

## वित्तीय बाजार बुनियादी सुविधा

### वित्तीय बाजार बुनियादी सुविधा में अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन

3.64 भारत अंतरराष्ट्रीय मानकों तथा नई भुगतान और निपटान प्रणाली समिति (CPSS)-ज़ वित्तीय बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर्स (PF-MIs) की अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (IOSCO) मानक सिद्धांतों सहित भुगतान प्रणाली को अपनाने और लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (CCIL) के लिए वित्तीय बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर्स (PFMIs) के आधार पर निरीक्षण ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है और वित्तीय बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर्स (PFMIs) के मूल्यांकन पद्धति का उपयोग कर समाशोधन निगम लिमिटेड का मूल्यांकन किया गया था। इस अभ्यास से यह पाया गया कि समाशोधन निगम लिमिटेड ने, अपने जोखिम प्रबंधन ढांचा को मजबूत करने के लिए कई उपायों को लागू किया है, जिसमें प्रतिभूति सेगमेंट में अतिरिक्त राशि प्रणाली, सदस्यों के लिए सीमित देयता और गणना से संबंधित विदेशी मुद्रा वायदा से बाहर निकलने के विकल्प में परिवर्तन का कार्यान्वयन, सदस्यों के लिए सीमित देयता और डिफॉल्ट निधि की गणना आदि में पूर्ण सुधार शामिल है।

3.65 भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने भी अपने विनियमक क्षेत्राधिकार नामतः विनियम, निगमों और निक्षेपागारों के समाशोधन के अंतर्गत वित्तीय बाजार आधारभूत ढांचा (एफएमआई) द्वारा पालन किये जा रहे प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन से संबंधित नीतियों की जाँच की गई है। वर्तमान में यद्यपि यह पाया गया है कि वित्तीय बाजार आधारभूत ढांचा के कामकाज में कोई बड़ी प्रौद्योगिकी जोखिम नहीं थे तथापि प्रौद्योगिकी बुनियादी सुविधाओं के नये चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है।

### भुगतान और निपटान प्रणाली

3.66 भुगतान और निपटान प्रणालीएफएमआई का प्रमुख हिस्सा बनकर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में पीएसएस बुनियादी ढांचे के बिना किसी बड़ी बाधा के निष्पादन जारी रखा है। रिजर्व बैंक की व्यापक नीति

निर्देश जो देश में पीएसएस को विनियमित करने और निगरानी रखने के लिए विधायी अधिकार है सभी भुगतान का लेनदेन, विशेष रूप से बड़े मूल्य/थोक लेनदेन का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पादों में बढ़ती अनुपात पलायन करने के इच्छुक हैं।

### उच्च आवृत्ति व्यापार से हुई जोखिम

3.67 पिछले एफएसआर में उच्च आवृत्ति व्यापार से हुई संभावित जोखिमों को कवर किया गया था। यद्यपि बाजार क्षेत्रों (सेगमेंट) की विशिष्ट उच्च आवृत्ति व्यापार से जुड़े जोखिमों को संबोधित किया जा रहा है, उच्च आवृत्ति व्यापार की प्रकृति और उससे जुड़ी जोखिमों में 'बिग डाटा 21' जैसी नवाचरों के कारण परिवर्तन हो रहा है। 'नई उच्च आवृत्ति व्यापार' 22, 'बिग डाटा' पर आधारित विश्लेषण और एल्गोरिथम का उपयोग कर सोशल मीडिया सहित इंटरनेट पर उपलब्ध वृहत जानकारी से बाजार के भावों की जानकारी निकालकर व्यापार रणनीति विकसित करने का प्रयास कर रही है। बिग डाटा के उपयोग से वित्तीय बाजारों में परिवर्तन आ रहा है इसलिए नियमों को भी तालमेल बनाये रखने की जरूरत है।

### भारतीय इक्विटी बाजार में एल्गोरिथम व्यापार का विनियमन

3.68 वर्तमान में एल्गोरिथम व्यापार (एल्गो) और उच्च आवृत्ति व्यापार (एचएफटी) यूएस और यूरोप जैसे विकसित बाजारों में 80 प्रतिशत की तुलना में भारतीय बाजारों में नकदी बाजार कारोबार केवल 14 प्रतिशत है। अल्गो और उच्च आवृत्ति व्यापार (एचएफटी) द्वारा उत्पन्न विनियमक प्रणाली की एक उचित नियामक ढांचे और सतत निगरानी अन्य बातों के साथ-साथ परिचालन जोखिम और अन्य जोखिमों से बचाती है। एल्गोरिथम व्यापार एक उभरता क्षेत्र है, सेबी और स्टॉक एक्सचेंज लगातार इसका अध्ययन कर रहे हैं और जैसा उचित समझा जाए, इससे जुड़ी जोखिमों को कम करने के लिए और उसे बेहतर विनियमित करने के लिए कदम उठा रहे हैं।

3.69 एल्गोरिथम व्यापारके विनियमन करने वाले फ्रेमवर्क अभ्यास को कार्यान्वित करने वालों में भारत विश्व के प्रतिभूति बाजारों में एक है। सेबी ने अन्य बातों के साथ एल्गोरिथम आदेशों

<sup>21</sup> शब्द बिग डाटा से तात्पर्य बड़े या / मिश्रित डाटासेट से है, जिसे स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर टूल्स के साथ प्रभावी तरीके से प्रबंधित नहीं किया जा सकता है।

<sup>22</sup> शाह एस ए हॉर्न एंड जे. कॉपेला (2012) " गुड डाटा वॉन्ट गारंटी गुड डिसिजन्स " हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, अप्रैल

को निष्पादित किये जाने के लिए न्यूनतम आदेश-स्तर जाँच की सूची, व्यापार करने के उच्च आदेश के अनुपात के मामलों को दंड देने के लिये फ्रेमवर्क और नये एल्गोरिथम के अनुरूप परीक्षण का अनुदेश मार्च 2012 में जारी किये हैं। अन्य जोखिम प्रबंधन उपायों जिसे अनिवार्य किया गया है उसमें व्यापार सदस्यों के बेस न्यूनतम पूंजी (बीएमसी) को बढ़ाया जाना शामिल है जो एल्गोरिथम व्यापार का कार्य करते हैं और व्यापार सदस्यों के ट्रेडिंग टर्मिनल को सक्षम बनाने के अभ्यास को परिवर्तन करते हैं जिन्हें संपार्श्विक की समाप्ति पर नियोग्य ठहराया जाता है। अपने पूर्व के अनुदेशों के सातत्य में सेबी ने विनिर्दिष्ट करते हुए अतिरिक्त दिशानिर्देश जारी किये हैं कि शेयर दलालों/एल्गोरिथम ट्रेडिंग सदस्यों को जो एल्गोरिथम ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करते हैं वे एल्गोरिथम ट्रेडिंग प्रणाली को प्रत्येक छह माह में यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेबी/स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्धारित एल्गोरिथम ट्रेडिंग को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है के संदर्भ में लेखापरीक्षा प्रणाली के अधीन करना होगा।

### **सह स्थान सुविधा के तहत आदेश प्रबंधन में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए की आवश्यकता**

3.70 सेबी इस समय बेहतर सह स्थान की सुविधा को विनियमित करने के लिए एल्गोरिथम प्रस्तावित उपायों के हिस्से के रूप में विभिन्न मुद्दों पर विचार कर रहा है। सेबी के प्रस्ताव उन सहभागियों को जो सह स्थान सेवाओं के साथ-साथ उन सहभागियों को जो स्वचालित व्यापार प्रणाली का उपयोग करते हुए आदेश करते हैं और स्टॉक एक्सचेंज पर सह-स्थित हैं से निपटने के लिए अधिक समानता और निष्पक्षता प्रदान करना चाहते हैं।

### **स्टॉक एक्सचेंजों में त्रुटिपूर्ण व्यापार - उठाए गये कदम**

3.71 "त्रुटि व्यापार" वह लेनदेन है जो आदेश पैरामीटर जैसे सुरक्षा का नाम, कारोबार करने का मात्रा, व्यापार के लिए कीमत आदि में प्रविष्टि करने के दौरान प्रणाली या मानवीय भूल का परिणाम है। इस तरह के अवांछित व्यापार आमतौर पर मूल्य गठन और व्यवस्थित रूप से व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक साल में एक्सचेंजों द्वारा कुल आदेश की संख्या की तुलना में त्रुटि आदेशों की घटनाएं कम रही हैं, स्टॉक एक्सचेंज द्वारा लागू किये गये उपाय जैसे अग्रिम वास्तविक समय जोखिम प्रबंधन प्रणाली, शेयर स्तर कीमत बैंड और बाजार में सूचकांक सर्किट

ब्रेकर, आदि त्रुटि आदेश से क्षति को सीमित करने की आशा है। सेबी ने प्रति आदेश सीमा मूल्य की शुरुआत कर व्यापार पूर्व जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क, शेयर दलाल के अनिष्पादित आदेशों के मूल्यों पर अधिमानित सीमा, नकली मूल्य बैंड और जोखिम न्यूनीकरण मोड आदि को मजबूत करने का उपाय भी किया है।

### **बैंकों के क्लियरिंग हाउस के निपटान गारंटी फंड का एक्सपोजर**

3.72 स्क्रीन आधारित ट्रेडिंग वातावरण में जहां व्यापार करने के लिए प्रतिपक्ष गुमनाम होते हैं, वहां स्टॉक एक्सचेंज के क्लियरिंग कॉर्पोरेशन/क्लियरिंग हाउस केंद्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) के रूप में कार्य करता है और स्टॉक एक्सचेंज पर निष्पादित किये गए सौदों से उत्पन्न शुद्ध दायित्वों के निपटारे की गारंटी देता है। इस व्यवस्था के तहत केंद्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) दलालों और उनके अंतिम ग्राहकों की ओर से अस्थिर लेनदेनों के जोखिमों का उत्तरदायित्व लेता है। इन जोखिमों को कम करने के लिए केंद्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) एक निपटान गारंटी फंड (एसजीएफ) रखती है और अन्य बातों के साथ अतिरिक्त राशि जिसमें दलालों/ग्राहकों से बैंक गारंटी और प्रतिभूति (जो बाद में बैंक द्वारा जारी किया जाता है) के रूप में अंशदान शामिल है, जमा करती है। इस प्रकार सीसीपी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से बैंक के संपर्क में है और इसलिए सीसीपी बैंकों से जुड़े रहते हैं। बैंक के विफल होने के मामले में सीसीपी का बैंकों के साथ इस प्रकार आपस में जुड़ा रहना प्रणालीगत खूब का एक संभावित स्रोत हो सकता है।

### **बैंकों में सीसीपी के एक्सपोजर की एकाग्रता**

3.73 सेबी ने फरवरी 2005 में जारी किये गये अपने दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट किया था कि स्टॉक एक्सचेंज पूर्ण रूप से या ट्रेड गारंटी फंड (टीजीएफ)/एसजीएफ के प्रतिशत में एक्सपोजर सीमा तय करे जिसे बैंक को सीधे या परोक्ष रूप से अवगत किया जा सकता है। कुल एक्सपोजर में बैंक द्वारा खुद या दूसरों के लिए उपलब्ध करायी गई गारंटी के साथ-साथ बैंक के कर्ज या इक्विटी प्रतिभूतियां जो सदस्यों द्वारा कुल तरल परिसंपत्तियों के लिए जमा किया गया है, शामिल है।

3.74 तदनुसार, राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम लिमिटेड (एनएससीसीएल), राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) के

समाशोधन गृह ने बैंक गारंटी और बैंक प्रतिभूति जिसे कोलेटरल के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, के संबंध में बैंक के लिए 15 प्रतिशत निपटान गारंटी निधि (एसजीएफ) का अधिकतम एक्सपोजर विनिर्दिष्ट किया है। इन मानदंडों को विनिर्दिष्ट सीमा का अनुपालन करने के लिए समय-समय पर निगरानी की जाती है। राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम लिमिटेड सूचीबद्ध बैंकों द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में जारी अर्थात् बैंक गारंटी और सावधि जमा रसीदों का कोलेटरल स्वीकार करता है। इस उद्देश्य के लिए वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम लिमिटेड के साथ 58 सूचीबद्ध बैंक हैं जबकि बॉम्बे शेयर बाजार का भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (आईसीसीएल) सिर्फ अनुसूची वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किये गये बैंक गारंटी स्वीकार करती है। सेबी ने यह भी विनिर्दिष्ट किया है कि एक्सचेंज में जमा किये गये टीजीएफ/एसजीएफ का 5 प्रतिशत या कुल तरल परिसंपत्तियों (टीएलए) का 1 प्रतिशत से अधिक नहीं, जो भी कम हो, उस एक बैंक को एक्सपोज किया जाएगा जिसकी निवल राशि '5 अरब डॉलर की संपत्ति से कम है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसी या मान्यताप्राप्त विदेशी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा पी1 (या पी1+) या उसके समतुल्य नहीं आंका गया हो और एक्सचेंज में जमा किये गये टीजीएफ/एसजीएफ का 50 प्रतिशत या कुल तरल परिसंपत्तियों का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं, जो भी कम हो, वैसे सभी बैंक को मिलाकर एक्सपोज किया जाएगा।

### बैंकों के सामान्य सेट के कारण संभावित सघनता जोखिम

3.75 राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम लिमिटेड और भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के निपटान गारंटी फंड का एक्सपोजर पांच शीर्ष बैंकों (सारणी 3.2) के साथ पर्याप्त रूप से विभाजित किया गया है। राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम लिमिटेड द्वारा विनिर्दिष्ट एक्सपोजर सीमा के अनुसार निपटान गारंटी निधि का पांच शीर्ष बैंकों के साथ 75 प्रतिशत का अधिकतम एक्सपोजर हो सकता है। राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम लिमिटेड के निपटान गारंटी फंड और भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के का अलग-अलग एक्सपोजर उच्चतम सीमा से कम है, लेकिन तथ्य यह है कि चार बैंक शीर्ष पांच बैंक की सूची में एक समान हैं, जो कि इसे और महत्वपूर्ण बनाता है कि एक्सपोजर सीमा की निरंतर आधार पर निगरानी की जाए।

सारणी 3.2 : एनएससीसीएल और आईसीसीएल के अनुसार शीर्ष पांच बैंक (31 मार्च 2013 के अनुसार)

एनएससीसीएल			आईसीसीएल		
क्र.सं.	बैंक का नाम	एक्सपोजर एसजीएफ का %	क्र.सं.	बैंक का नाम	एक्सपोजर एसजीएफ का %
1.	बैंक 1	8.09	1.	बैंक 1	7.63
2.	बैंक 2	4.85	2.	बैंक 2	6.13
3.	बैंक 3	4.65	3.	बैंक 3	3.38
4.	बैंक 4	2.92	4.	बैंक 4	1.78
5.	बैंक 5	1.85	5.	बैंक 5	1.42
शीर्ष 5 बैंकों का कुल एक्सपोजर		22.76	शीर्ष 5 बैंकों का कुल एक्सपोजर		20.34

नोट: बीएसई के मामले में एक्सपोजर एसजीएफ + कुल तरल परिसंपत्ति % है।

स्रोत: एनएसई और बीएसई

**अनुलग्नक - 1**

**प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण**

वित्तीय प्रणाली द्वारा सामना किए जा रहे कुल जोखिम पर बाजार के प्रतिभागियों और स्टोक हॉल्डरों के दृष्टिकोण जानने के लिए अक्टूबर 2011 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण की शुरुआत की गई थी। वर्तमान सर्वेक्षण अप्रैल 2013 में किया गया।

अक्टूबर 2011 को किए गए एसआरएस के प्रथम चरण से अप्रैल 2013 को किए गए अंतिम चरण तक आते-आते विश्व वित्तीय बाजार में चल रही हलचलों के कारणों के बदलने के साथ-साथ बाजार के प्रतिभागियों के दृष्टिकोण भी भिन्न हुए हैं। प्रथम एसआरएस के दौरान वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करनेवाले मुख्य घटक आस्ति गुणवत्ता में हास और बाजार अस्थिरता थे। अद्यतन सर्वेक्षण के अनुसार, वैश्विक और सूक्ष्म-आर्थिक जोखिम को बाजार प्रतिभागी वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करनेवाले मुख्य घटक मानते हैं। अधिकांश प्रतिवादी यह महसूस करते हैं कि विश्व वित्तीय प्रणाली में उच्च प्रभाववाली घटना घटने की मध्यम संभावना है जबकि प्रथम एसआरएस में विश्व वित्तीय प्रणाली में उच्च प्रभाववाली घटना घटने की संभावना अधिक थी। हालांकि, प्रतिभागियों ने भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता में सकारात्मक आत्मविश्वास जताया (सारणी 1)।

वैश्विक जोखिमों में गिरती वैश्विक वृद्धि, साँवरीन जोखिम/संक्रामक और वैश्विक मुद्रास्फीति को प्रमुख घटकों के रूप में गिना गया है। प्रतिभागियों द्वारा पहचान किए समष्टि आर्थिक जोखिमों में घरेलू आउटलुक, देशी मुद्रास्फीति, चालू खाता घाटा, उच्च राजकोषीय घाटा और आधारभूत संरचना विकास की कमी या धीमी रफ्तार प्रमुख है। विदेशी मुद्रा जोखिम, निधीयन जोखिम, आस्ति गुणवत्ता का हास और कम ऋण व्यापार को भी भारतीय आर्थिक व्यवस्था द्वारा झेले जा रहे जोखिमों के रूप में उल्लिखित किया है। (सारणी 2)

सर्वेक्षण में भाग लेनेवालों ने महसूस किया कि अगले अर्ध-वर्ष के दौरान भारतीय अर्थ व्यवस्था में उच्च प्रभाववाली घटना घटने की संभावना कम है। स्ट्रेकधारकों को समूचे वैश्विक वित्तीय प्रणाली की स्थिरता में मध्यम स्तर का आत्मविश्वास है। यह भी अनुमान लगाया जाता है कि अगले छह महीने में वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अस्थिरता बढ़ती है तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता पर अत्यधिक प्रभाव डाल सकता है। तथापि, सर्वेक्षण यह भी व्यक्त करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता में प्रतिभागियों को सकारात्मक रूप से आत्मविश्वास है (सारणी 3)। आगे, पिछले अर्ध-वर्ष के दौरान इस अनुमान में ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं आया है। (आरेख 1)।

**सारणी 1: प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण में पहचान किए गए प्रमुख जोखिम समूह - अप्रैल 2013**

प्रमुख जोखिम समूह	अप्रैल 13	परिवर्तन	अक्टूबर 12	परिवर्तन	अप्रैल 12	परिवर्तन	अक्टूबर 11
ए. वैश्विक जोखिम		↔		↑		↔	
बी. समष्टि आर्थिक जोखिम		↑		↓		↓	
सी. बाजार जोखिम		↓		↓		↔	
डी. संस्थागत जोखिम		↑		↔		↓	
ई. सामान्य जोखिम		↔		↔		↔	

**नोट :**

**जोखिम वर्ग**

अत्यधिक उच्च जोखिम	उच्च	मध्यम	कम	बहुत कम
--------------------	------	-------	----	---------

पिछले सर्वेक्षण से जोखिम में परिवर्तन		
↑	↔	↓
बढ़ा	वहीं	कम हुआ

विभिन्न अंतराल (अप्रैल और अक्टूबर में अर्ध-वार्षिक आधार पर) में किए गए प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण में सामने आए परिदृश्य में जोखिम अनुमान एक वर्ग से दूसरे वर्ग में परिवर्तित हो सकता है जिसे रंग में बदलाव में दर्शाया गया है। तथापि, एक ही जोखिम वर्ग में (अर्थात; एक ही रंग के बॉक्स) जोखिम अनुमान कभी बढ़ता है/कभी कम हुआ है और कभी अपरिवर्तित रहा है, जिसको तीर के चिह्न से दर्शाया गया है। जोखिम अनुमान में परिवर्तन दो लगातार सर्वेक्षण के बीच हुआ है।

**स्रोत :** आरबीआई, प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण, अक्टूबर 2011 से अप्रैल 2013

सारणी 2 - प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण में पहचान किए गए विभिन्न जोखिम - अप्रैल 2013

जोखिम मद	अप्रैल 13	परिवर्तन	अक्टूबर 12
ए. वैश्विक जोखिम	वैश्विकमंदी	↓	
	सोवरीन जोखिम /संक्रामक	↓	
	निधीयन जोखिम (बाहर से उधार)	↑	
	वैश्विक मुद्रास्फीति / पण्य मूल्य जोखिम (कूड आयल के दाम सहित)	↑	
	अन्यवैश्विक जोखिम	↓	
बी. समष्टि आर्थिक जोखिम	घरेलू आर्थिक आउटलुक में हास	↓	
	देशी मुद्रास्फीति	↑	
	चालू खाता घाटा	↑	
	पूंजीगत अंतर्वाह / बहिर्वाह (एफआईआई व्युत्क्रमण, एफडीआई की कमी)	↔	
	सोवरीन रेटिंग में गिरावट	↑	
	राजकोषीय जोखिम (उच्च राजकोषीय घाटा)	↔	
	कार्पोरेट क्षेत्र जोखिम (उच्च लीवरेज / कम लाभप्रदता)	↓	
	आधारभूत संरचना का धीमा विकास / कमी	↓	
	स्थावर संपदा मूल्य	↓	
	पारिवारिक बचत	↑	
	राजनीतिक जोखिम	↓	
	अन्य समष्टि आर्थिक जोखिम	↑	
सी. मार्केट जोखिम	विदेशी मुद्रा दर जोखिम	↓	
	ईक्विटी मूल्य अस्थिरता	↓	
	निधीयन जोखिम / तरलता जोखिम / ब्याज दर जोखिम	↑	
	अन्य मार्केट जोखिम	↔	
डी. संस्थागत जोखिम	विनियामक जोखिम	↔	
	आस्ति गुणवत्ता हास	↑	
	बैंकों की अतिरिक्त पूंजी आवश्यकता	↓	
	बैंकों की निधीयन संबंधी दिक्कतें	↑	
	कम क्रेडिट ऑफ-टेक	↑	
	क्रेडिट में अत्यधिक वृद्धि	↔	
	परिचालन जोखिम	↑	
	अन्य संस्थागत जोखिम	↔	
ई. सामान्य जोखिम	आतंकवाद	↔	
	प्राकृतिक आपदा	↓	
	सामाजिक अशांति (बढ़ती असमानता)	↔	
	अन्यसामान्य जोखिम	↔	

नोट :

जोखिम वर्ग

अत्यधिक उच्च जोखिम	उच्च	मध्यम	कम	बहुत कम
--------------------	------	-------	----	---------

पिछले सर्वेक्षण से जोखिम में परिवर्तन		
↑	↔	↓
बढ़ा	वहीं	कम हुआ

विभिन्न अंतराल (अप्रैल और अक्टूबर में अर्ध-वार्षिक आधार पर) में किए गए प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण में सामने आए परिदृश्य में जोखिम अनुमान एक वर्ग से दूसरे वर्ग में परिवर्तित हो सकता है जिसे रंग में बदलाव में दर्शाया गया है। तथापि, एक ही जोखिम वर्ग में (अर्थात; एक ही रंग के बॉक्स) जोखिम अनुमान कभी बढ़ता है/कभी कम हुआ है और कभी अपरिवर्तित रहा है, जिसको तीर के चिह्न से दर्शाया गया है। जोखिम अनुमान में परिवर्तन दो लगातार सर्वेक्षण के बीच हुआ है।

स्रोत : आरबीआई, प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण, अक्टूबर 2012 से अप्रैल 2013

**सारणी 3 : उच्च प्रभाववाली घटनाओं के घटने संबंधी अनुमान और भारतीय वित्तीय प्रणाली में उनका प्रभाव**


ए : आनेवाले समय में वैश्विक वित्तीय प्रणाली में हो रही उच्च प्रभाववाली घटना (अल्पावधि में : 1 साल तक)	
बी : आनेवाले समय में वैश्विक वित्तीय प्रणाली में हो रही उच्च प्रभाववाली घटना (मध्यावधि में : 1 से 3 साल)	
सी : आनेवाले समय में भारतीय वित्तीय प्रणाली में हो रही उच्च प्रभाववाली घटना (अल्पावधि में : 1 साल तक)	
डी : आनेवाले समय में भारतीय वित्तीय प्रणाली में हो रही उच्च प्रभाववाली घटना (मध्यावधि में : 1 से 3 साल)	
ई : समूचे वैश्विक वित्तीय प्रणाली की स्थिरता में विश्वास	
एफ: अगले छह महीने में वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अस्थिरता बढ़ती है तो वह भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता पर अत्यधिक प्रभाव डालने संबंधी अनुमान ।	
जी : भारतीय वित्तीय प्रणाली में विश्वास	

**नोट :**

जोखिम					
ए - डी	अत्यधिक	उच्च	मध्यम	कम	बहुत कम
ई और जी	विश्वास नहीं	ज्यादा विश्वास नहीं	विश्वास है	बहुत विश्वास है	पूरा विश्वास है
एफ	उल्लेखनीय रूप से प्रभावित होगा	काफी हद तक प्रभावित होगा	थोडा प्रभावित होगा	कुछ हद तक प्रभावित होगा	कोई प्रभाव नहीं होगा

स्रोत : आरबीआई, प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण-अप्रैल 2013

**चार्ट 1 : पिछले छह माह के दौरान अनुमान में परिवर्तन**



- ए : आनेवाले समय में वैश्विक वित्तीय प्रणाली में हो रही उच्च प्रभाववाली घटना (अल्पावधि में : 1 साल तक)
- बी : आनेवाले समय में वैश्विक वित्तीय प्रणाली में हो रही उच्च प्रभाववाली घटना (मध्यावधि में : 1 से 3 साल)
- सी : आनेवाले समय में भारतीय वित्तीय प्रणाली में हो रही उच्च प्रभाववाली घटना (अल्पावधि में : 1 साल तक)
- डी : आनेवाले समय में भारतीय वित्तीय प्रणाली में हो रही उच्च प्रभाववाली घटना (मध्यावधि में : 1 से 3 साल)
- ई : समूचे वैश्विक वित्तीय प्रणाली की स्थिरता में विश्वास
- एफ : भारतीय वित्तीय प्रणाली में विश्वास

स्रोत : आरबीआई, प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण-अप्रैल 2013

## अनुलग्नक - 2

### कार्य-प्रणालियाँ

#### समष्टिगत आर्थिक स्थिरता मैप

समष्टिगत आर्थिक स्थिरता संबंधी रूपरेखा और सूचक सात उप-सूचक पर आधारित है और प्रत्येक उप-सूचक समष्टिगत-आर्थिक जोखिम के विशेष क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। समष्टिगत आर्थिक जोखिम संबंधी प्रत्येक उप-सूचक में उस क्षेत्र के जोखिमों का प्रतिनिधित्व करनेवाले चुनिंदा मानदंड शामिल हैं। इन उप-सूचकों को जीडीपी, मुद्रास्फीति, ब्याज दर, बैंकों की आस्ति गुणवत्ता आदि समष्टिगत आर्थिक और वित्तीय चर वस्तुओं पर उनके उचित प्रभाव के आधार पर चुना गया है। संपूर्ण समष्टिगत आर्थिक स्थिरता सूचकांक के सात उप-सूचकों और उनके घटकों का ब्योरा नीचे दिया गया है :

**वैश्विक जोखिम सूचक:** वैश्विक जोखिम सूचकांक विश्व अर्थव्यवस्था आउटपुट में वृद्धि पर आधारित है। आउटपुट वृद्धि में गिरावट से सामान्यतः घरेलू अर्थव्यवस्था के समग्र रुख को प्रभावित करता है और विशेष तौर पर घरेलू निर्यात की मांग पर इसका प्रभाव होता है। घरेलू अर्थव्यवस्था में पूंजीगत प्रवाह भी वैश्विक स्तर पर वृद्धि से प्रभावित होते हैं। इसलिए आउटपुट वृद्धि में गिरावट से जोखिमों में बढ़ोतरी हो जाती है।

**घरेलू संवृद्धि:** घरेलू संवृद्धि सूचकांक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पर आधारित है। संवृद्धि में गिरावट होने से सामान्यतः बैंकों की आस्ति गुणवत्ता, पूंजीगत प्रवाह और समग्र आर्थिक स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए संवृद्धि में गिरावट होने से जोखिमों में बढ़ोतरी हो जाती है।

**मुद्रास्फीति:** थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति सूचकांक को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त होता है। मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी होने पर व्यक्तियों की क्रय शक्ति कम हो जाती है और कॉरपोरेटों की निवेश के संबंध में निर्णय क्षमता जटिल हो जाती है। इसलिए मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी होने से जोखिमों की संभावना बढ़ जाती है।

**बाहरी जोखिम संबंधी सूचकांक:** बाहरी जोखिम संबंधी सूचकांक में सकल घरेलू उत्पाद के प्रति चालू खाता घाटा, आयात का आरक्षित कवर और कुल ऋण के प्रति अल्पकालीन ऋण का अनुपात शामिल है। बढ़ते हुए चालू खाता घाटे और बढ़ते हुए कुल ऋण के प्रति अल्पकालीन ऋण का अनुपात और कम होते हुए आयात के आरक्षित कवर की स्थिति जोखिम की संभावना को दर्शाती है।

**राजकोषीय सूचकांक:** राजकोषीय सूचकांक राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा पर आधारित है। घाटा अधिक होने की स्थिति में जोखिम की संभावना बढ़ जाती है। उच्च सरकारी घाटा सामान्यतः निवेश के लिए निजी क्षेत्र को उपलब्ध संसाधनों में कमी लाता है और मुद्रास्फीति के संदर्भ में यह प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

**कापॉरेट सूचकांक:** कापॉरेट क्षेत्र की स्थिति बिक्री के प्रति लाभ के मार्जिन (ईबीआईटीडीए) (ब्याज, कर, मूल्यहास और परिशोधन पूर्व अर्जन), ब्याज में भुगतान के प्रति ब्याज कवरेज अनुपात (ईबीआईटी) (ब्याज एवं करपूर्व अर्जन जके जरिए आंकी जाती है। लाभ के मार्जिन में कमी और कम ब्याज कवरेज अनुपात से जोखिमों में बढ़ोतरी होती है।

**घरेलू सूचकांक:** सूचकांक खुदरा अनर्जक आस्ति पर आधारित है। खुदरा अनर्जक आस्ति में बढ़ोतरी से जोखिमों में बढ़ोतरी होती है।

#### वित्तीय बाजार स्थिरता संबंधी मैप

वित्तीय बाजार की स्थिरता को आंकने के उद्देश्य से बैंकिंग क्षेत्र, विदेशी मुद्रा बाजार, ईक्विटी बाजार और ऋण बाजार नामक चार क्षेत्र/बाजार के सूचकों के आधार पर वित्तीय बाजार स्थिरता संबंधी मैप तैयार किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों/बाजारों से चुने गए सूचक निम्नलिखित हैं :

- बैंकिंग क्षेत्र: सीएनएक्सबैंक सूचकांक का बैंकिंग बीटा और निफ्टी सूचकांक, सीडी दर और सीडी दर घटाव निहित वायदा दर।
- विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार : दैनिक आईएनआर-यूएस डॉलर विनिमय दर का सीमेक्स जो निम्नानुसार परिभाषित है  $X_t / \text{Max}(X_t, i=1, 2, \dots \text{एक साल तक})$ । जिसमें  $X_t$  समय पर आईएनआर-यूएस डॉलर विनिमय दर है और विदेशी मुद्रा विनिमय दर का 25 डेल्टा रिस्क रिवर्सल,
- ईक्विटी मार्केट : निफ्टी सीमेक्स और इंडिया VIX का इनवर्स और
- ऋण बाजार : कापॉरेट बांड जो ए, एए और एएए दर के कापॉरेट बांडों की औसत आय है, 10 साल का सरकारी बांड का लाभ और सीपी दर।

एक ही स्तर पर मैप के निर्माण के पहले सभी सूचकों को एक स्तर पर लाने के लिए अंतर-समान अंतरण (वेरियंस-इक्वल ट्रांसफॉर्मेशन) का प्रयोग किया गया है। चारचुनिंदा क्षेत्रों/बाजारों के लिए चार संकेतक आधारभूत संकेतकों के सामान्य औसत के आधार पर तैयार किए गए थेजिसे काबवेब मैप के रूप में तैयार किया गया है।

### **प्रणालीगत चलनिधि सूचकांक**

वित्तीय प्रणाली में प्रणालीगत चलनिधिसेआशय बैंकिंग क्षेत्र, गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र, कारपोरेट क्षेत्र और विदेशी मुद्रा चलनिधि की स्थिति से है। चलनिधि के लिए मौजूदा आवश्यकता निधि की उपलब्धता और भविष्य में उनकी दर के बारे में प्रत्याशा से भी प्रभावित होती है। प्रणालीगत चलनिधि सूचकांक (एसएलआई)बाजार के विभिन्न उपखंडों का प्रतिनिधित्व करनेवाले निम्नलिखित चार संकेतकों का प्रयोग करते हुए बनाया गया था :

- भारत औसत काल दर से आरबीआई रेपो दर घटाते हुए
- 3 माह वाला कमर्शियल पेपर (सीपी) दर से 3 माहवाला सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (सीडी) दर घटाते हुए
- 3 माहवाली सीडी दर से 3 माह वाली वायदा निहित जमा दर
- भारत औसत काल दर से 3 माहवाली ओवरनाईट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) दर घटाते हुए

प्रणालीगत चलनिधि सूचकांक (एसएलआई) को मानक सामान्य के सामान्य औसत या अंतर-समान (वेरियंस-इक्वल) के उपर्युक्त संकेतकों रुपांतरित मूल्य सेप्राप्तकियाजाताहै।

### **बैंकिंग स्थिरता मैप और संकेतक**

बैंकिंग स्थिरता मैप और संकेतक (बीएसआई),आधारभूत परिस्थितियों में आ रहे परिवर्तनों का संपूर्ण मूल्यांकन और किसी अवधि के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता पर असर करनेवाले जोखिम घटकों को प्रस्तुत करता है। प्रत्येक सम्मिश्र सूचकांक के निर्माण के लिए निम्नलिखित अनुपात का प्रयोग किया जाता है :

सारणी : बैंकिंग स्थिरता संबंधी रूपरेखा और बैंकिंग स्थिरता सूचक के निर्माण के लिए प्रयुक्त सूचक				
परिमाण	अनुपात			
दृढ़ता	सीआरएआर	टियर-I पूंजी से टियर -IIपूंजी	लीवरेज अनुपात के रूप में कुल आस्ति के प्रति पूंजी और आरक्षित	
आस्ति-गुणवत्ता	कुल अग्रिमों के प्रति निवल एनपीए	कुल अग्रिमों के प्रति सकल एनपीए	सकल एनपीए के प्रति उप-मानक-अग्रिम	मानक-अग्रिमों के प्रति पुनःसंगठित मानक अग्रिम
लाभप्रदता	आस्तियों पर आय	निवल ब्याज मार्जिन	लाभ में वृद्धि	
चल निधि	कुल आस्तियों के प्रति तरल आस्ति	कुल-आस्तियों के प्रति ग्राहक-जमा	ग्राहक-जमा के प्रति गैर-बैंक-अग्रिम	कुल जमाओं के प्रति 1 साल के भीतर परिपक्व होनेवाली जमाएं
दक्षता	आय के प्रति लागत	स्टाफ खर्चों के प्रति कारोबार (ऋण + जमा)		कुल खर्चों के प्रति स्टाफ खर्च

पांच संयुक्त संकेतक पांच आयामों अर्थात दृढ़ता, आस्ति-गुणवत्ता, लाभप्रदता, चलनिधि और दक्षता को दर्शाते हैं। बैंक के कामकाज के किसी आयाम को दर्शाने वाले प्रत्येक संकेतक के लिये शून्य (न्यूनतम) और 1 (अधिकतम) के बीच के मूल्य को लिया जाता है। प्रत्येक संकेतक अपने निर्माण के लिये व्यवहृत नमूना अवधि के दौरान एक सापेक्षिक माप होता है जहां उच्च मूल्य का अर्थ है उसके आयाम में जोखिम अधिक है। इसलिए, किसी भी विशेष आयाम में संकेतक के मूल्य में वृद्धि यह दर्शाता है कि अन्य अवधियों की तुलना में उस अवधि के लिये उक्त आयाम में जोखिम में वृद्धि है। किसी आयाम के लिये व्यवहृत प्रत्येक अनुपात हेतु, बैंकिंग सेक्टर के लिये भारत औसत की व्युत्पत्ति की गयी है जहां भार बैंकिंग प्रणाली की कुल आस्तियों की तुलना में बैंक के व्यक्तिगत आस्ति का अनुपात है। नमूना अवधि के लिए प्रत्येक संकेतक को निम्नलिखित पद्धति द्वारा सरलीकृत किया गया है यथा 'दिये गये तारीख को अनुपात घटाव नमूना अवधि में न्यूनतम मूल्य,को नमूना अवधि में अधिकतम मूल्य घटाव नमूना अवधि में, न्यूनतम अवधि द्वारा विभाजित कर'। प्रत्येक आयाम के संयुक्त मापन को उस आयाम के लिये व्यवहृत सामान्यीकृत अनुपातों के भारत औसत के रूप में परिकलित किया गया है, जहां भार कैमैल्स रेटिंग्स के मूल्यांकन के लिये दिये गये अंकों पर आधारित है। प्रत्येक आयाम के लिये व्यक्तिगत संयुक्त संकेतकों के आधार पर बैंकिंग स्थिरता संकेतक को इन पांच संयुक्त उप-संकेतकों के सरल औसत के रूप में निर्मित किया गया है।

### **बैंकिंग स्थिरता उपाय (बीएसएम) - विपत्ति काल निर्भरता विश्लेषण**

गुडहार्ट और सिगोवियानो (2009) द्वारा प्रतिपादित विपत्तिकाल निर्भरता के नमूने का अनुसरण किया गया है। प्रथम, बैंकिंग प्रणाली को बैंक (बीआई) के संविभाग के तौर पर अभिकल्पित किया गया है। इसके बाद, वैयक्तिक बैंकों के पीओडी जिसमें संविभाग निहित हैं, को इक्विटी मूल्यों से निर्दिष्ट किया गया है। इसके पश्चात, इस प्रकार के पीओडी, जैसे इनपुट (बर्हिजात चर) और सतत सूचना बहुविधचर सघनता वर्धन (सीआईएमडीओ) प्रणाली (सिगोवियानो 2006) जो कि गैर- पैरामेट्रीक दृष्टिकोण है और क्रास - एंट्रॉपी पर आधारित है, को प्रयुक्त करते हुए बैंकिंग प्रणाली के पोर्टफोलियो मल्टीवेरिएट डेंसिटी (बीएसएमडी) को प्राप्त किया गया है। अंत में, बीएसएमडी से बीआई के विशिष्ट समूह के विशिष्ट पीओडी और बैंकिंग प्रणाली के संयुक्त पीओडी (जेपीओडी) का अनुमान लगाया गया है।

बीएसएमडी और इस प्रकार अनुमानित सशर्त संभाव्यताएं और जेपीओडी बैंक की विपत्तिकाल निर्भरता को स्थापित करते हैं। यह संविभाग में बीआई के मध्य लीनियर (सहसंबंध) और गैर-लीनियर निर्भरता को प्रदर्शित करता है। यह आर्थिक चक्र के दौरान इस प्रकार के परिवर्तनों की अनुमति देता है। पारंपरिक जोखिम मॉडलों की तुलना में इसके अनेक फायदे हैं। पारंपरिक जोखिम मॉडल अधिकांशतः केवल सहसंबंधों को शामिल करते हैं और इनके जरिए यह अनुमान लगाते हैं कि पूरे आर्थिक चक्र के दौरान ये सतत हैं।

### **नेटवर्क विश्लेषण**

मैट्रिक्स एलजेब्रानेटवर्क विश्लेषण का केन्द्रबिंदु है और यह विशिष्ट रूप से वित्तीय क्षेत्र में विभिन्न इकाइयों के बीच द्विपक्षीय एक्सपोजर का विश्लेषण है। प्रणाली में प्रत्येक संस्था के द्वारा अन्य संस्थाओं के साथ उधार दिए जाने और लिए जाने को स्कवेयर मैट्रिक्समें रखा जाता है और इसके बाद नेटवर्क ग्राफ में मैप किया जाता है। नेटवर्क मॉडल अनेक सांख्यिकीय उपायों को प्रयुक्त करता है ताकि प्रणाली में अंतर संबद्धता के स्तर को मापा जा सके। इनमें से कुछ का विवरण इस प्रकार है :

*संयोजकता* - यह सांख्यिकीय प्रकार्य है जो कि सभी संभावित लिंक से जुड़ी इकाइयों की परिधि को एक पूर्ण ग्राफ में प्रदर्शित करता है।

*क्लस्टर कोअफिशन्ट* - नेटवर्क में क्लस्टरिंग इस बात की गणना करता है कि प्रत्येक नोड किस प्रकार से अंतर संबद्ध हैं। विशिष्ट रूप से इस बात की अधिक संभाव्यता होनी चाहिए कि संबद्ध संस्थाओं के नोड में से एक (बैंक के काउंटरपार्ट यदि वित्तीय नेटवर्क हो तो) भी आपस में संबद्ध हों। नेटवर्क के लिए अधिक स्तर का कोअफिशन्टप्रणाली में मौजूद उच्च स्थानीय अंतर संबद्धता से युक्त होता है।

*सबसे छोटा पाथ लेंथ* - यह किसी नेटवर्क में किसी नोड और प्रत्येक अन्य नोड के बीच निदेशित लिंक की औसत संख्या को दर्शाता है। सबसे छोटे पाथ के संबद्ध नोड को प्रणाली में हब के रूप में माना जा सकता है।

*केन्द्रीयताके मध्य में* - यह सांख्यिकी रिपोर्ट करती है कि किस प्रकार सबसे छोटा पाथ लेंथ किसी विशिष्ट नोड से होकर गुजरता है।

*इजिन वेक्टर केन्द्रीयता का माप* : इजिन वेक्टर केन्द्रीयता किसी नेटवर्क में नोड (बैंक) के महत्व के मापक है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार नोड के नेबर्स (संबद्ध संस्थाएं) आपस में युक्त होते हैं और यह आउट डिग्रीज की किसी एक संख्या से अधिक को या किसी नोड के सीधे 'नेबर्स'को कैप्चर करने की कोशिश करता है। यह अलॉगारिदम नेटवर्क में सभी नोड में सापेक्षी केन्द्रीयता स्कोर प्रदान करता है। किसी बैंक का केन्द्रीयता स्कोरसभी नोड जिससे कि वह संबद्ध है, के केन्द्रीयता स्कोर के योग का समानुपातिक है। सामान्य तौर पर,  $N \times N$  मैट्रिक्स के लिए,  $N$  अलग इजिन वैल्यू होगा जिसके लिए इजिन वेक्टर साल्यूशन मौजूद है। प्रत्येक बैंक का एक विशिष्ट इजिन वैल्यू होता है जो कि इस प्रणाली में इसके महत्व को दर्शाता है। यह माप बैंक के प्रणालीगत महत्व को स्थापित करने के लिए नेटवर्क विश्लेषण में प्रयुक्त होता है और इस प्रकार यह सबसे अधिक निर्णायक संकेतक है।

*टीयर्ड नेटवर्क संरचना*: विशिष्ट तौर पर वित्तीय नेटवर्क में स्तरगत संरचना दर्शाने की प्रवृत्ति होती है। टीयर्ड नेटवर्क संरचना वह है जिसमें नेटवर्क में विभिन्न संस्थाओं में अन्य इकाइयों के साथ संबद्धता की अलग-अलग तीव्रता और स्तर होता है। मौजूदा विश्लेषण में, सबसे अधिक संबद्ध बैंक (इजिन वेक्टर केन्द्रीयता के माप के आधार पर) वे होते हैं जो सबसे आंतरिक कोर में होते हैं। इसके बाद सापेक्षी संबद्धता के स्तर के आधार पर बैंकों को मध्य कोर, बाहरी कोर और परिधि (आरेख के केन्द्र के पास में संबंधित संकेन्द्रीत वृत्त) में रखा जाता है। बैंक की संबद्धता की श्रेणी को प्रत्येक बैंक के इन डिग्री और आउट डिग्री को सबसे अधिक संबद्ध बैंक से विभाजित कर प्राप्त अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार के अनुपात में सबसे ऊपर के श्रेणीबद्ध 10 बैंकों को आंतरिक कोर में शामिल किया जाता है। इसके बाद 90 से 70 प्रतिशत के बीच श्रेणीबद्ध बैंक होते हैं जो कि मध्य कोर में आते हैं और इसके बाद 40 और 70 प्रतिशत की श्रेणीवाले बैंकों का तीसरा स्तर होता है। 40 प्रतिशत से कम के संबद्धता अनुपातवाले बैंकों को परिधि में रखा जाता है।

### ऋणशोधन क्षमता संक्रामक विश्लेषण

ऋणशोधन क्षमता संक्रामक विश्लेषण मूल रूप से दबाव परीक्षण है जहां एक या उससे अधिक बैंकों के फेल हो जाने के डोमिनो इफेक्ट की वजह से बैंकिंग प्रणाली को हुए सकल रूप से नुकसान को मापा जाता है। हम इस प्रकार की स्थिति में हुए संक्रमण को समझने के लिए चक्र दर चक्र या क्रमिक एलगॉरिदम का अनुसरण करते हैं जो फरफाईन (2003) के जरिए भलिभांति जाना -पहचाना है। समय 0 में संक्रमण फैलानेवाले बैंक  $i$  से प्रारंभ करते हुए हम बैंकों को समूह को  $Dq$ .  $Q = 1, 2, \dots$  के माध्यम से पहचानते हैं जो प्रत्येक चक्र या इसकी पुनरावृत्ति में इस दबाव में आता रहता है। इस विश्लेषण के लिए जब किसी बैंक का कोर सीआरएआर 6 प्रतिशत से कम चला जाता है तो यह माना जाता है कि बैंक विपत्ति में है।

### चलनिधि संक्रामक विश्लेषण

ऋणशोधन क्षमता संक्रामक विश्लेषण किसी निवल उधारकर्ता की चूक की वजह से प्रणाली को हुए संभावित नुकसान का मूल्यांकन करता है। जबकि चलनिधि संक्रामक विश्लेषण इस बात का अनुमान लगाती है कि किसी निवल उधारकर्ता की चूक की वजह से प्रणाली को संभावित नुकसान कितना हुआ है। यह विश्लेषण बैंकों के कुल एक्सपोजर पर निष्पादित किया जाता है। इस एक्सपोजर में निधि आधारित और व्युत्पन्नी शामिल हैं। इस विश्लेषण के लिए मूल अवधारणा यह है कि बैंक प्रारंभिक अवस्था में अपनी चलनिधि रिजर्व या बफर का प्रयोग करते हैं और तकि किसी बड़े निवल उधारकर्ता की चूक के कारण हुए चलनिधि दबाव के प्रभाव को कम किया जा सके। चलनिधि रिजर्व के तहत जिन मदों पर विचार किया जाता है, वे हैं - (a) सीआरएआर अधिशेष का अधिक होना (b) अधिक एसएलआर अधिशेष (c) सीमांत वित्तीय अवस्थिति सुविधा का उपलब्ध होना और (d) निर्यात ऋण पुनर्वित्त का उपलब्ध होना। यदि कोई बैंक चलनिधि बफर से ही इस दबाव का सामना करने में समर्थ है तो इससे फिर कोई संक्रामक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

तथापि, चलनिधि बफर से ही इस दबाव का सामना करने में समर्थ नहीं है तो बैंक ऐसे सभी ऋणों के लिए प्रयास करेगा जो कि 'मांगे जाने योग्य' हैं जिसकी वजह से संक्रामक प्रभाव फैल जाएगा। इस विश्लेषण के लिए केवल अल्पकालीन आस्ति जैसे काल मार्केट में उधार दी गई राशि या अन्य अति अल्पकालीन ऋण को 'मांगे जाने योग्य' ऋण के रूप में लिया जा सकता है। इसके बाद कोई बैंक या तो बच सकता है या उसका परिसमापन हो सकता है। इस मामले में ऐसे भी उदाहरण हो सकते हैं जहां कोई बैंक लोन कॉल करके बच सकता है। लेकिन इसके फलस्वरूप अन्य बैंकों को भी आगे संक्रामक प्रभाव हो सकता है जिससे वे दबाव में आ सकते हैं। इसकी दूसरी अवधारणा यह है कि जब कोई बैंक परिसमापन की स्थिति में आ जाता है तो उस बैंक द्वारा उधार दी गई राशि को सकल आधार पर गिना जाता है। जबकि यदि कोई बैंक बिना परिसमापन की स्थिति के अल्पकालीन ऋण की मांग करता है तो यह ऋण निवल आधार पर माना जाता है (इस अवधारणा के आधार पर कि काउंटरपार्टी द्वारा पहले उसी काउंटरपार्टी के प्रति अल्पकालीन ऋण उधार कम करने की संभावना है।)

### समष्टिगत दबाव परीक्षण

समष्टिगत आर्थिक आधातके प्रति बैंकों की सुदृढ़ता का मूल्यांकन करने के लिए क्रेडिट जोखिम के लिए समष्टिगत जांच की गई थी। यहां, समष्टिगत चरों के प्रकार्य, अनेक आर्थिकमिति मॉडलों जो कि समष्टिगत चरों से समग्र बैंकिंग प्रणाली को संबद्ध करता है, के रूप में क्रेडिट जोखिम संकेतक को मॉडल बनाया गया था। प्रयुक्त किए जा रहे समय ऋणखला आर्थिकमिति मॉडल दृष्टि- (i) गिरावट अनुपात के संदर्भ में मल्टिवेरिएट रिग्रेशन (ii) गिरावट अनुपातका प्रयोग करते हुए समग्र वीएआर (iv) गिरावट अनुपात का क्वान्टाईल रिग्रेशन (v) बैंक समूह के आधार पर गिरावट अनुपात डाटा मल्टिवेरिएट पैरल रिग्रेशन; और (vi) क्षेत्रीय एनपीए के लिए मल्टिवेरिएट रिग्रेशन। बैंकिंग प्रणाली समग्र में गिरावट अनुपात में मौजूदा और परवर्ती मूल्य, जबकि समष्टिगत चरों में जीडीपी में वृद्धि, अल्पकालीन ब्याज दर (कॉल रेट), डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति, जीडीपी के प्रति निर्यात का अनुपात ( $Ex/GDP$ ), जीडीपी के प्रति सकल राजकोषीय घाटा का अनुपात ( $GFD/GDP$ ) और आरईआर।

मल्टिवेरिएट रिग्रेशनके जरिए बैंकिंग प्रणाली के एनपीए और पूंजी पर चुनिंदा समष्टिगत आर्थिक चरों के प्रभाव का मूल्यांकन का पता लगाया जाता है, वीएआर मॉडल बैंक की पूंजी और एनपीए अनुपात, जिसे फीड-बैक प्रभाव में भी शामिल किया जाता है, पर समग्र आर्थिक दबाव की स्थिति के प्रभाव का प्रदर्शित करता है। इन प्रणालियों से गिरावट अनुपात का कन्डीशनल माध्य का अनुमान लगाया जाता है और यह माना जाता है कि क्रेडिट गुणवत्ता के स्तर को ध्यान दिए बिना क्रेडिट गुणवत्ता पर समष्टिगत चरों का प्रभाव समान ही रहेगा जो कि हमेशा सही नहीं हो सकता है। इस अवधारणा को अपर्याप्त मानते हुए क्वान्टाईल रिग्रेशन को क्रेडिट गुणवत्ता को दर्शाने के लिए समायोजित किया गया है, जिसके तहत कन्डीशनल माध्य की जगह कन्डीशनल क्वान्टाईल का अनुमान लगाया गया है।

### मॉडलिंग ढांचा

एग्रीगेट एनपीए (GNPA) अनुपात / स्लीपेज अनुपात (SR) पर समष्टिगत अर्थव्यवस्था के आघातों के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित मल्टीवेरिएट मॉडलों को चलाया गया<sup>1</sup>:

- *संकलित बैंकिंग प्रणाली मल्टीवेरिएट रिग्रेशन*

यह विश्लेषण पूरी वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली के लिए संकलित स्तर पर स्लीपेज अनुपात पर किया गया था।

$$SR_t = \alpha_1 + \beta_1 SR_{t-1} - \beta_2 \Delta GDP_{t-2} + \beta_3 Call_{t-1} - \beta_4 \left( \frac{Ex}{GDP} \right)_{t-2} + \beta_5 \Delta WPI_t + \beta_6 \left( \frac{GFD}{GDP} \right)_{t-1}$$

जहाँ,  $\alpha_1, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$  और  $\beta_6 > 0$ .

- *वेक्टर ऑटो रिग्रेशन (वीएआर)*

अनुमानिक रूप में, आर्डर p (VAR(p)) के माध्य-आधारित वीएआर को इस तरह से लिखा जा सकता है

$$y_t = A_1 y_{t-1} + \dots + A_p y_{t-p} + u_t ; t=0,1,2,3,\dots$$

जहाँ  $y_t = (y_{1t}, \dots, y_{kt})'$  t समय में चर वस्तुओं का वेक्टर (K×1) है,  $A_i (i=1,2,\dots,p)$  स्थायी (K×K) गुणांक मैट्रिक्स हैं और  $u_t = (u_{1t}, \dots, u_{kt})'$  आयामीय व्हाइट नॉयस या नवोन्मेषी प्रक्रिया है।

अनुमान लगाने के लिए वीएआर प्रणाली, स्लीपेज अनुपात, कॉल दर, मुद्रास्फीति, ग्रोथ और आरईईआर चुने गए। वीएआर का उचित क्रम न्यूनतम सूचना अर्हता के साथ-साथ दूसरे निदानों के आधार पर चुने गए हैं और उपयुक्त क्रम दो पाए गए। तदनुसार, क्रम 2 (वीएआर 2) के वीएआर का अनुमान लगाया गया था और एआर विशेषता वाले बहुपदी के घनमूल के आधार पर मॉडल के स्थिरता की जांच की गई थी। चूंकि सभी घनमूल इकाई परिधि के भीतर पाए गए इसलिए चुना गया यह मॉडल स्थिरता स्थिति को पूरा करने वाला पाया गया था। चुने गए वीएआर के आवेग प्रतिक्रिया प्रकार्य का उपयोग करते हुए समष्टिगत अर्थव्यवस्था के विभिन्न आघातों का प्रभाव को निर्धारित किया गया था।

- *क्वांटाइल रिग्रेशन*

कंडिशनल क्वांटाइल के वांछित स्तर पर स्लीपेज अनुपात का अनुमान लगाने के लिए, माध्यिका (मिडियन) पर निम्नलिखित क्वांटाइल रिग्रेशन (जो स्लीपेज अनुपात का मौजूदा क्वांटाइल है) का उपयोग किया गया था:

$$SR_t = \alpha_1 - \beta_1 SR_{t-1} - \beta_2 \Delta GDP_{t-1} + \beta_3 Call_{t-4} - \beta_4 \left( \frac{Ex}{GDP} \right)_{t-1} + \beta_5 \Delta WPI_t + \beta_6 \left( \frac{GFD}{GDP} \right)_{t-1}$$

जहाँ,  $\alpha_1, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$  और  $\beta_6 > 0$ .

- *बैंक-समूह वार पैनेल फिक्स्ड-इफेक्ट रिग्रेशन*

निम्नलिखित अचल प्रभाव पैनेल रिग्रेशन का इस्तेमाल करके बैंक समूह वार स्लीपेज अनुपात का अनुमान लगाया गया।

$$SR_{it} = \alpha_i + \beta_1 SR_{i(t-1)} - \beta_2 \Delta GDP_{t-1} + \beta_3 Call_{t-2} - \beta_4 \left( \frac{Ex}{GDP} \right)_{t-1}$$

जहाँ,  $\alpha_i$  बैंक समूह निर्दिष्ट मानदंड है और  $\alpha_i, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ , और  $\beta_4 > 0$ .

<sup>1</sup> स्लीपेज अनुपात, निर्यात/जीडीपी, और कॉल दर अपेक्षित अवधि के अनुसार समायोजित किए गए।

• **सेक्टरल मल्टीवेरिएट रिगेशन**

प्रत्येक सेक्टर के लिए अलग-अलग संकलित एनपीए (अनर्जक आस्ति) अनुपात का उपयोग करके मल्टीवेरिएट रिगेशन मॉडलों का प्रयोग करते हुए विभिन्न सेक्टरों पर समष्टि-आर्थिक आघातों के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया था। आश्रित परिवर्तियों में लैगड एनपीए, सेक्टरल जीडीपी ग्रोथ, मुद्रास्फीति और छोटी अवधि के ब्याज दर शामिल थे। स्लीपेज अनुपात से एनपीए और सीआरएआर की व्युत्पत्ति जिसे उपर्युक्त क्रेडिट जोखिम अर्थमितीय मॉडलों से पूर्वानुमानित किया गया था, निम्नलिखित धारणाओं पर आधारित थी; 15 प्रतिशत का क्रेडिट ग्रोथ; जून, सितम्बर, दिसम्बर और मार्च तिमाहियों के दौरान क्रमशः 5.6 प्रतिशत, 6.3 प्रतिशत, 6.3 प्रतिशत तथा 9.6 प्रतिशत की वसूली दर; जून, सितम्बर, दिसम्बर और मार्च तिमाहियों के दौरान बट्टे खाते में डालने की दर क्रमशः 3.3 प्रतिशत, 3.8 प्रतिशत, 4.6 प्रतिशत तथा 5.2 प्रतिशत; जोखिम भारित आस्तियों में 18 प्रतिशत का ग्रोथ और लाभ ग्रोथ का अनुमान बेसलाइन, मध्यम जोखिम और गंभीर जोखिम के अधीन क्रमशः 15 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और -5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। आय का न्यूनतम 25 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित खाते में अनिवार्यतः अंतरित करने का अनुमान लगाते हुए विनियामक पूँजी विकास के न्यूनतम रहने का अनुमान है। एनपीए के मौजूदा स्टॉक के प्रचलन के अनुसार विभिन्न उप-श्रेणियों में नए एनपीए का वितरण किया गया था। अग्रिमों की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रावधानीकरण आवश्यकताएं इस प्रकार हैं, मानक अग्रिमों के लिए 0.4 प्रतिशत, अवमानक अग्रिमों के लिए 20 प्रतिशत, संदिग्ध अग्रिमों के लिए 75 प्रतिशत और हानि वाले अग्रिमों के लिए 100 प्रतिशत। अनर्जक अग्रिमों के अनुपात का अनुमानित मूल्य “तुलनपत्र दृष्टिकोण” का उपयोग करते हुए पूँजी अनुपातों में रूपांतरित हुए जिसके द्वारा प्रावधानों और निवल लाभों के द्वारा तुलनपत्र में पूँजी प्रभावित होती है। यह माना गया है कि मौजूदा ऋण प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात भविष्य के प्रभाव के लिए नियत रहेगा।

**एकल कारक संवेदनशीलता विश्लेषण - दबाव परीक्षण**

तिमाही निगरानी के भाग के रूप में, दबाव परीक्षण किया जाता है जिसमें क्रेडिट जोखिम, ब्याज दर जोखिम, चलनिधि जोखिम आदि शामिल हैं। इन आघातों के लिए वाणिज्यिक बैंकों की आघातसहनीयता का अध्ययन किया गया। इस विश्लेषण में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शामिल होते हैं।

**क्रेडिट जोखिम**

बैंकों की आघातसहनीयता का पता लगाने के लिए, एनपीए के स्तर को बढ़ाकर क्रेडिट पोर्टफोलियो पर आघात किया गया। यह आघात पूरे पोर्टफोलियो के साथ-साथ चुने हुए सेक्टरों के लिए उसी समय प्रावधानीकरण अपेक्षाओं में वृद्धि के साथ किया गया। क्रेडिट संकेद्रण जोखिम की जांच के लिए, शीर्ष व्यक्तिगत उधारकर्ता और सबसे बड़े समूह उधारकर्ता की चूक का अनुमान लगाया गया था। इस प्रकार अनुमानित प्रावधानीकरण अपेक्षाओं को मौजूदा प्रावधानों से समायोजित किया गया तथा अवशिष्ट प्रावधानीकरण अपेक्षाओं, यदि हों तो उसे बैंक की पूँजी में से घटाया गया। 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार पर्यवेक्षी आंकड़ों के आधार पर यह विश्लेषण संकलित स्तर के साथ-साथ अलग-अलग बैंक के स्तर पर किया गया था। परिदृश्य में मानक, अवमानक और संदिग्ध/हानि वाले अग्रिमों के लिए क्रमशः 1 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के बढ़े हुए प्रावधानीकरण अपेक्षाओं को अनुमानित किया गया। एनपीए में अनुमानित वृद्धि को एनपीए के मौजूदा स्टॉक में यथा प्रचलित समान अनुपात में अवमानक, संदिग्ध और हानि वाली श्रेणियों में वितरित किया गया था। क्रेडिट पोर्टफोलियो के परिवर्तित संरचना पर अतिरिक्त प्रावधानीकरण अपेक्षा को लागू किया गया था।

**ब्याज दर जोखिम**

भारतीय रुपए के प्रतिफल वक्र में परिवर्तन के कारण पोर्टफोलियो के मूल्य में गिरावट या आय में कमी को अनुमानित आघात के कारण बैंकों की कुल हानि के लिए गणना की गई है। इस तरह अनुमानित कुल हानि को बैंक की पूँजी में से घटाया गया।

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम के लिए, निवेश पोर्टफोलियो पर मूल्यांकन प्रभाव (पोर्टफोलियो हानि) की गणना के लिए अवधि विश्लेषण दृष्टिकोण पर विचार किया गया था। निवेशों पर पोर्टफोलियो हानि की गणना प्रत्येक समय अवधि के लिए लागू आघातों के आधार पर की गई। इसके फलस्वरूप प्राप्त हानि/लाभ का इस्तेमाल प्रभावित सीआरएआर को पता लगाने के लिए किया गया। बैंकिंग बही पर परीक्षणों के लिए मूल्यांकन प्रभाव की गणना इस अनुमान के अधीन की गई कि एचटीएम पोर्टफोलियो बाजार के लिए चिह्नित होगा। ट्रेडिंग बही में ब्याज दर आघातों के लिए एक अलग प्रयोग में, प्रत्येक समय अवधि के लिए मूल्यांकन हानियों की गणना अवधि दृष्टिकोण का इस्तेमाल करते हुए ब्याज वाली आस्तियों पर की गई।

## चलनिधि जोखिम

चलनिधि दबाव जांचों का उद्देश्य किसी भी बाह्य चलनिधि सहायता का कोई संसाधन लिए बिना अप्रत्याशित चलनिधि बहिर्गमन की स्थिति का सामना करने के लिए किसी बैंक की क्षमता का मूल्यांकन करना है। यह विश्लेषण मार्च 2013 के अंत में किया गया था। जमाकर्ताओं का विश्वास अचानक कम होने के फलस्वरूप अप्रत्याशित जमा आहरणों के अलग-अलग अनुपातों (जमाओं के प्रकार के आधार पर) को चित्रित करता है और उन्हें निधि प्रदान करने के लिए उपलब्ध चलनिधि आस्तियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करता है।

चलनिधि दबाव जांच में पूर्वानुमान इस प्रकार हैं:

- यह अनुमानित है कि केवल तरल आस्तियों की बिक्री के द्वारा बैंक जमाओं के दबावग्रस्त आहरण का सामना करेंगे।
- निवेशों की बिक्री उनके बाजार मूल्य पर 10 प्रतिशत के हेयरकट के बाद किया गया है।
- दबाव परीक्षण स्थिर मोड में किया गया है।

## चुने हुए बैंकों के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो का दबाव परीक्षण

डेरिवेटिव पोर्टफोलियो के कल्पित मूल्य के रूप में शीर्ष 22 बैंकों के प्रतिनिधि नमूने पर दबाव जांच संबंधी कार्य का फोकस किया गया। नमूने में शामिल सभी बैंकों से उनके डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर दबाव की परिस्थिति के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कहा गया था।

घरेलू बैंकों के मामले में देश के भीतर और विदेशी, दोनों ही संचलनों के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो को शामिल किया गया था। विदेशी बैंकों के मामले में केवल देश (यानी भारत) के भीतर की स्थिति पर विचार किया गया था। जिन डेरिवेटिव ट्रेड में बचाव प्रभावोत्पादकता स्थापित की गई थी उन्हें इस परीक्षण से अलग रखा गया था जबकि अन्य सभी ट्रेडों को शामिल किया गया।

दबाव परिदृश्य में चार संवेदनशीलता परीक्षणों को शामिल किया गया था जिसमें मानदंडों के रूप में स्पॉट यूएसडी/आईएनआर दर और घरेलू ब्याज दर शामिल थे।

### सारणी: संवेदनशीलता विश्लेषण के लिए आघात

घरेलू ब्याज दर		
आघात 1	एकदिवसीय	+250 आधार अंक
	1 वर्ष तक	+150 आधार अंक
	1 वर्ष से अधिक	+100 आधार अंक

घरेलू ब्याज दर		
आघात 2	एकदिवसीय	-250 आधार अंक
	1 वर्ष तक	-150 आधार अंक
	1 वर्ष से अधिक	-100 आधार अंक

विनिमय दर		
आघात 3	यूएसडी/आईएनआर	+20 प्रतिशत

विनिमय दर		
आघात 4	यूएसडी/आईएनआर	-20 प्रतिशत

### **अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक**

#### **क्रेडिट जोखिम**

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (एसयूसीबी) पर क्रेडिट जोखिम की जांच मार्च 2013 के अंत में उनके आस्ति पोर्टफोलियो का इस्तेमाल करते हुए की गई। परीक्षण एकल कारक संवेदनशीलता विश्लेषण पर आधारित थे। अनुमानित परिदृश्य इस प्रकार थे:

- परिदृश्य I: सकल एनपीए में 50 प्रतिशत की वृद्धि
- परिदृश्य II: सकल एनपीए में 100 प्रतिशत की वृद्धि

#### **चलनिधि जोखिम**

1-28 दिनों की अवधि में नकदी प्रवाह के आधार पर चलनिधि दबाव जांच की गई थी जिसमें बहिर्वाह में 20 प्रतिशत से अधिक अंतर [नकारात्मक अंतर (नकदी अंतर्वाह का नकदी बहिर्वाह से कम होना)] को दबावग्रस्त माना गया था।

- परिदृश्य I: नकदी बहिर्वाह 1-28 दिनों की अवधि में 50 प्रतिशत बढ़ने पर (नकदी अंतर्वाह में कोई परिवर्तन नहीं).
- परिदृश्य II: नकदी बहिर्वाह 1-28 दिनों की अवधि में 100 प्रतिशत बढ़ने पर (नकदी अंतर्वाह में कोई परिवर्तन नहीं).

### **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां**

#### **क्रेडिट जोखिम**

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (जमा लेने वाली और जमा नहीं लेने वाली एवं प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण दोनों शामिल) पर क्रेडिट जोखिम की जांच दिसम्बर 2012 के अंत में उनके आस्ति पोर्टफोलियो का इस्तेमाल करते हुए की गई। परीक्षण एकल कारक संवेदनशीलता विश्लेषण पर आधारित थे। सीआरएआर के प्रभाव का अध्ययन दो अलग-अलग परिदृश्यों में किया गया;

- परिदृश्य I: जीएनपीए मौजूदा स्तर से दो गुना वृद्धि पर
- परिदृश्य II: जीएनपीए मौजूदा स्तर से पांच गुना वृद्धि पर

एनपीए में अनुमानित वृद्धि को एनपीए के मौजूदा स्टॉक में यथा प्रचलित समान अनुपात में अवमानक, संदिग्ध और हानि वाली श्रेणियों में वितरित किया गया था। वर्तमान पूँजी स्थिति से अतिरिक्त प्रावधानीकरण अपेक्षा को समायोजित किया गया था। दबाव की जांच अलग-अलग एनबीएफसी के साथ-साथ संकलित स्तर पर भी की गई थी।